खण्ड-312, अंक-1
मंगलवार, 26 अग्रहायण, शक संवत् 1896
(17 दिसम्बर, 1974 ई0)

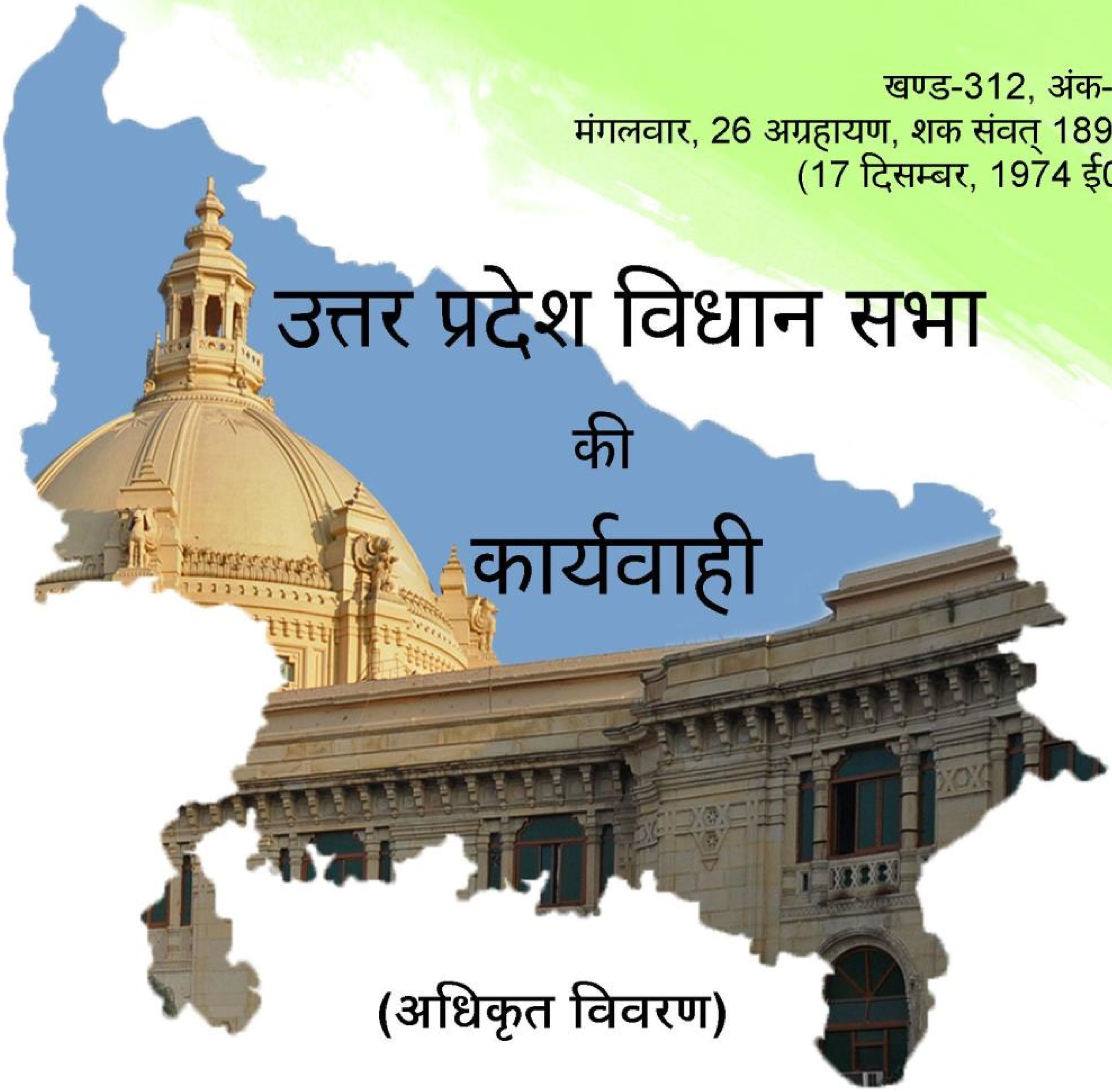

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 312 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 का शुद्धि-पत्र

क्रम सं0	पृष्ठ सं0	विवरण
1	1	तिथि के नीचे '1 बजे' के स्थान पर " 11 बजे" पढ़ा जाय।
2	1	दूसरे कालम की 17 वीं पंक्ति में सदस्य का नाम "कृष्ण राय, श्री" के स्थान पर " कृष्णा राय, श्री" पढ़ा जाय।
3	2	दूसरे कालम की अन्तिम पंक्ति में "निभय नारायन सिंह, श्री" के स्थान पर "निर्भय नारायन सिंह, श्री" पढ़ा जाय।
4	3	दूसरे कालम की 17 वीं पंक्ति में "महाखान सिंह सैनी, श्री" के स्थान पर "मलखान सिंह सैनी, श्री" पढ़ा जाय।
5	4	प्रथम कालम की नीचे से 19 वीं पंक्ति में "राजन्द्र शाह, श्री" के स्थान पर "राजेन्द्र शाह, श्री" तथा 21 वीं पंक्ति में "राजन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री" के स्थान पर "राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री" पढ़ा जाय।
6	4	दूसरे कालम की अन्तिम पंक्ति में "वीर सिंह सगर" के स्थान पर "वीर सिंह सेंगर" पढ़ा जाय।
7	6	आठवीं पंक्ति में शब्द "वायाणसी" के स्थान पर "वाराणसी" पढ़ा जाय।
8	7	13वीं पंक्ति में शब्द "ठेकेदार की तरह" के स्थान पर "ठेकेदार की तरफ" पढ़ा जाय।
9	9	नीचे से दूसरी पंक्ति में शब्द 'म मरे" के स्थान पर "में मेरे" पढ़ा जाय।
10	9	नीचे से 7 वीं पंक्ति में "हिम्मत देखते है" के स्थान पर "हिम्मत रखते है' पढ़ा जाय।
11	10	नीचे स पांचवीं पंक्ति में "श्री मधुकर दिघे से पहले स्टार (*) के बाद अंक "2" पढ़ा जाय।
12	14	प्रथम पैरा की तीसरी पंक्ति में शब्द "टेक्सटाल" के स्थान पर "टेक्स-टाइल" पढ़ा जाय।
13	15	नीचे से दूसरी पंक्ति में "3 जुलाई," केस्थान पर " 2 जुलाई" पढ़ा जाय।
14	18	छठीं पंक्ति में "श्री मुहम्मद असरार" के स्थान पर "श्री मुहम्मद असरार अहमद" पढ़ा जाय।
15	24	तारांकित प्रश्न संख्या 12 के शीर्षक में शब्द "क्रिष विज्ञान" के स्थान पर "कृषि विज्ञान" पढ़ा जाय।
16	27	तारांकित प्रश्न 22 के ऊपर की दूसरी पंक्ति में "ग्राम किशनी" के स्थान पर " ग्राम किशना" पढ़ा जाय।
17	32	तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर की पांचवीं पंक्ति में प्रश्न शब्द "पसिवां" के स्थान पर "पसिगवां" पढ़ा जाय।
18	34	तारांकित प्रश्न 8 के शीर्षक में शब्द "ज़िलालाबाद" के स्थान पर "जलालाबाद" पढ़ा जाय।

क्रम सं0	पृष्ठ सं0	विवरण
19	35	तारांकित प्रश्न 10 के उत्तर की प्रथम पंक्ति में शब्द "मैंक" के स्थान पर "बैंक" पढ़ा जाय ।
20	45	चौथी पंक्ति में "आक्सीजन सिलेंटर" के स्थान पर "आक्सीजन सिलेन्डर" पढ़ा जाय ।
21	47	दूसरे पैरा की 7वीं पंक्ति में "शक्ति" के स्थान पर "शान्ति" पढ़ा जाय ।
22	48	दूसरे पैरा की दूसरी पंक्ति में "सहायता" के स्थान पर "सहृदयता" पढ़ा जाय ।
23	48	तीसरे पैरा की नीचे से दूसरी पंक्ति में शब्द "सोया-खोया" के स्थान पर "खोया-खोया" पढ़ा जाय ।
24	49	तीसरे पैरा की पंक्ति 7 में "वह कम मानने वाले थे" के स्थान पर "वह कब मानने वाले थे" पढ़ा जाय ।
25	51	दूसरे पैरा की पांचवीं पंक्ति का अन्तिम शब्द "समावादी" के स्थान पर "समाजवादी" पढ़ा जाय ।
26	51	अन्तिम पंक्ति में शब्द "कम करने" के स्थान पर "काम करने" पढ़ा जाय ।
27	53	दूसरे पैरा की चौथी पंक्ति में "हमारे बीच में रहे" के स्थान पर "हमारे बीच में नहीं रहे" पढ़ा जाय ।
28	56	दूसरे पैरा की 8वीं पंक्ति में शब्द "सामाजिक जोवन" के स्थान पर "सामाजिक जीवन" पढ़ा जाय ।
29	76	क्रम संख्या 22, कालम 3 में "अंक 3" पढ़ा जाय तथा क्रम संख्या 24; कालम 6 में अंक 44" के स्थान पर "4" पढ़ा जाय ।

एस0यू0पी0—एल0 136 वि0 सभा0—1976—842।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 1 बजे दिन म, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—399

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां) (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खूब चन्द, श्री
गंगा देई विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंगबहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्म वीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नारायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)

निसा अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम दास चौधरी, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल वधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी चेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुररहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
महाखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नी लाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह यादव चौधरी, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती

यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमापन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवस्तव, श्री
राधवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद बौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राधा चरण सिंह ठाकुर, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम वचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन पाण्डेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सगर, श्री

वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्र, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री मुलायम सिंह यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके सामने...

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न के बाद। (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय--

आपने श्रीमन्, सुना होगा कि 25 तारीख को लोक नायक श्री जयप्रकाश नारायण को वाराणसी में...

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के समय नहीं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

जयप्रकाश नारायण--जिन्दाबाद--लोक नायक जय प्रकाश नारायण जिन्दाबाद (व्यवधान)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

मुर्दाबाद।

श्री त्रिवेणी सहाय--

लोक नायक जयप्रकाश नारायण--जिन्दाबाद, इंकिलाब जिन्दाबाद

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1974

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

नगरपालिका इटावा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष के द्वारा शीशम काण्ड में किये गये घोटाले की जांच

*1--श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा) तथा श्री नत्थू सिंह यादव (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगरपालिका इटावा भू0पू0 उपाध्यक्ष (श्री प्रतिभा रंजन दीक्षित) के विरुद्ध नगरपालिका के लाखों रुपए के घोटाले से सम्बन्धित शीशम कांड की जांच पिछले दो वर्ष में सरकार द्वारा कराई गई थी? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा की गई और उसकी रिपोर्ट क्या है और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

जी हां।

जांच सिटी मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा कराई गई। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार श्री दीक्षित नगरपालिका, इटावा को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए दोषी थे।

श्री दीक्षित के विरुद्ध दावा दायर करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जांच के लिए कब आदेश हुए और सरकार को जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन, यह शिकायत 7 अक्तूबर, 1969 को प्राप्त हुई। जिला मजिस्ट्रेट ने सिटी मजिस्ट्रेट को 17 अक्तूबर, 1969 को जांच का आदेश दिया। 23 अक्तूबर, 1969 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी इसके बाद रिपोर्ट मंडलायुक्त को भेज दी गई। उन्होंने कार्यवाही के लिए भेजा तो जो म्युनिसिपैलिटी के एडवोकेट थे उन्होंने कुछ विवरण मांगा। वह विवरण दिया गया और डी० जी० सी० को लिखा गया कि आप इसकी कार्यवाही करें। उन्होंने लिखा कि ठेकेदार की तरह से वह इस मामले में वकील हो चुके हैं इसलिए वह दावा दायर नहीं कर सकते हैं उस बीच में वह पुराने अध्यक्ष फिर नगरपालिका के अध्यक्ष हो गये। उन्होंने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि अभी इसकी कार्यवाही रोक दी जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव---

मान्यवर, सन् 1969 में इस जांच रिपोर्ट का आदेश हुआ और लगातार 5 वर्ष तक इनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? यद्यपि आपने यह बताया कि इस जांच-पड़ताल में समय लगा, परन्तु अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। मान्यवर, जब जांच रिपोर्ट का आदेश हुआ और वहां के सिटी मजिस्ट्रेट ने तुरन्त उस जांच को समाप्त किया, उसके बाद रिपोर्ट आयुक्त, इलाहाबाद के यहां भेजी गई। आयुक्त, इलाहाबाद ने तुरन्त आदेश दिया कि नगरपालिका के जो उपाध्यक्ष हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। उसके बाद श्री प्रतिभा रंजन दीक्षित जो क्लर्क थे उनको तनख्वाह देकर फोरसिबिली रिटायर कर दिया गया। मान्यवर, इसमें सरासर सरकार का हाथ था उस केस को दबाने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह केस कब दायर हुआ ? उनका मुकदमा यदि दायर हो चुका है तो वह कब दायर हुआ है ?

श्री अध्यक्ष---

दावा दायर करने के आदेश जा चुके हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, यह कार्यवाही सन् 1969, 70, 71 की है शायद उस समय चौधरी साहब इस सदन के मालिक रहे हैं और यह दावा दायर करने की कार्यवाही मंडलायुक्त के आदेश से हुई। मंडलायुक्त ने कार्यवाही का आदेश वकीलों को दे दिया और वकील उस पर विवरण मांगते रहे, उसके बाद सिविल डी० जी० सी० ने कहा कि हम इस मुकदमें को नहीं दे सकते।

श्री मुलायम सिंह यादव---

मान्यवर, श्री प्रतिभा रंजन दीक्षित पर आरोप क्या लगाये गये हैं ?

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मान्यवर, चौधरी साहब उस समय मुख्य मन्त्री थे उनसे पूछना चाहिए था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं आया और चौधरी साहब का नाम बीच में लाकर प्रश्न के उत्तर को टाल दिया जा रहा है।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय माधव बाबू के असमानता के प्रश्न का भी मान्यवर, उत्तर दे रहा हूं। माधव बाबू को जनसंघ मिनिस्टर बनाते ही नहीं है, जब मौका आता है। सन् 1969 से 71 के बीच में चौधरी साहब मुख्य मंत्री रहे। अब यह सरकार देर की दोषी नहीं है क्योंकि उनके कार्यकाल में मुकदमा चलाने की आज्ञा दी गई थी।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सवाल पूछा जाता है तो चौधरी साहब का खाम खाह क्यों नाम लाया जाता है ? यह अच्छी बात नहीं है। साढे 4 साल तक ये लोग क्या करते रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष:--

जबाब दे दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, जो मैंने प्रश्न किया है, उसका जवाब आना चाहिये।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, सिटी मजिस्ट्रेट ने यह रिपोर्ट दी है कि जो वहां के इन्चार्ज दीक्षित साहब थे, उन्होंने बोली के जरिये से दूसरे ठेकेदार को 250 रुपया बढ़ा कर बिना कायदे के दे दिया।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, इसमें क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब इतने गम्भीर आरोप लगाये गये हैं श्री प्रतिभा रंजन दीक्षित पर और वह आजकल नगरपालिका के सदस्य हैं, क्या उनको अपने पद से हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने की कार्यवाही होगी ताकि यह जो लास है वह पूरा हो सके।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा नाम किस विषय में लिया गया है। ये अपनी सारी गलतियों और कमजोरियों को दूसरों पर लादना चाहते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, चौधरी साहब का नाम न लेना और उत्तर प्रदेश की चर्चा करना यह असंभव है। उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रश्न की चर्चा करेंगे और आपका नाम न लिया जाये यह असंभव है। इसलिये बराबर आप क्षमा करेंगे, यही मेरी प्रार्थना है।

चौधरी चरण सिंह--

इस तरह का जवाब दे कर आप बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने मेरे ऊपर क्या इशारा किया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

माननीय चौधरी साहब के दल के एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि इटावा म्युनिस्पैलिटी का मामला कब उठा था। उत्तर में आया कि यह 1969 में हुआ था। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि सरकार ने क्यों देरी की तो मेरे सहयोगी ने कहा कि उस बीच में चौधरी साहब की सरकार थी। अगर यह मालूम हो जाता तो यह आपके हाथ से न छूटता। तो हमने एक बात उनके प्रश्न के उत्तर में कह दी। हम उस समय सरकार में नहीं थे। 69 का मामला है। यह कहा गया कि अनेकों सरकारें इस समय रही हैं। मैं तो आपको सिर्फ विचारों के सम्बन्ध में गलत मानता हूं, नेता के सिलसिले में गलत नहीं मानता हूं।

चौधरी चरण सिंह--

माननीय मुख्य मंत्री जी अगर सदन को चलाना चाहते हैं तो इस तरह के जवाब और हंसी मजाक से चला नहीं सकते है। पिछली दफा भी इस तरह की बकवास कर चुके हैं। आप कहते हैं कि 69 की जिम्मेदारी मेरी है। आपने भी कहा कि मेरे सामने यह खराबी पैदा हुई। अगर कोई खराबी थी तो मेरी नजर से ओझल नहीं हो सकती थी। 69 में हम लोग अपोजीशन में थे। दूसरी बात यह भी है कि 70 में केवल साढ़े सात महीने गवर्नमेंट हमारे पास रही है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

69 से 71 तक कई सरकारें रही हैं, जिनमें चौधरी साहब की भी सरकार रही है।

चौधरी चरण सिंह--

श्री चन्द्रभानु गुप्त हमारे मुख्य मंत्री थे। जवाब ठीक तरह से देने होंगे। इस तरह की छिछोरपन की बात नहीं हो सकती है। आपने अभी-अभी कहा कि 69 में चौधरी साहब की सरकार थी, गुप्ता जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। 17 फरवरी, से 2 अक्तूबर तक मैं चीफ मिनिस्टर रहा, जिसमें आपने बराबर कोशिश की कि कोलिशन गवर्नमेंट न बने। मैं उसे छोड़ता हूं। 69 में नहीं थी, 71 में नहीं थी 70 में साढ़े सात महीने हमारी सरकार थी अगर मेरे समय में ऐसी बात आयी हो तो मैंने जरूर कार्यवाही की होती। मैं इसी को कहना चाहता हूं कि लफ्जों को वापस लें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं भावावेश और क्रोध में कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। जो माननीय चरण सिंह जी कह रहे हैं, वह किसी ने भी नहीं कहा है। (शोर) ...

श्री बांके लाल--

श्रीमन्, सदन में कोई बात छिपायी नहीं जा सकती है। हम हिम्मत देखते हैं, आपकी बात सुनने की। आप सदन के साथ मजाक नहीं कर सकते हैं।

चौधरी चरण सिंह--

श्रीमन्, मेरी दर्खास्त स्टैन्ड करती है और यदि आप अभी रूलिंग नहीं देना चाहते हैं तो बाद में दे दें। जब मैंने एक बात एक्सप्लेन की तो वे अपनी बात को वापस ले लें। मुझे मालूम है कि मुख्य मंत्री जी पब्लिक मीटिंग्स म मरे और दूसरे अपोजीशन लीडर्स के लिये क्या क्या अपशब्दों का प्रयोग करते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

श्रीमन्, मैंने स्पष्ट कहा और फिर दुहराये देता हूं । माननीय सदस्य ने कहा कि इस मामले में 4-5 वर्ष की देर क्यों हुई । मेरे सहयोगी ने कहा कि इस बीच में कई सरकारें रहीं जिसमें माननीय चौधरी साहब की भी सरकार थी । (अत्यधिक शोर)...

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, ये अपने मधुर शब्दों से सत्य पर पर्दा डालना चाहते हैं । इनका कहना बिलकुल इस प्रकार है :--जैसे-बोलहिं बचन मधुर जिमि मोरा । खाहिं महा अहि हृदय कठोरा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

श्रीमन्, मेरा इतना ही कहना है कि चौधरी साहब की सरकार 7 महीने रही । 1969 में तो म इस सदन का सदस्य भी नहीं था । इसलिये मेरी जानकारी नहीं है कि किसकी जिम्मेदारी है । 1969 से यह मामला चल रहा था । चूंकि मैं अब यहां पर बैठा हुआ हूं, इसलिये मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है उत्तर देने की । मेरा कहना है कि इसमें एबनार्मल देर हुई है ।

चौधरी चरण सिंह--

रोजाना का एक तरीका हो गया है । इसलिये मैं सदन का समय लेकर गुस्ताखी कर रहा हूं । 1969 में अगर मैं सरकार में नहीं था तो आप उसको क्यों इस तरह से डिफेन्स कर रहे हैं । आपको और आपके मिनिस्टर को मालूम होना चाहिये कि उस वक्त कौन जिमेदार था । आप उससे बच नहीं सकते हैं । मेरी सरकार तो केवल 1970 में 7 1/2 महीने रही । आपके जो प्रीडिसेसर थे, उनकी सरकार 2 साल 2 महीने रही, 4 अप्रैल से 12 जून तक, उस समय का आपने जिक्र क्यों नहीं किया । अगर उस बीच में भी कोई नाकाबिलियत या खराबी सरकार में हुई तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ? वे अल्फाज जो इन्होने अभी कहे हैं, कार्यवाही में नोटेड होंगे ।

श्री अध्यक्ष--

उनको मैं देख लूंगा ।

चौधरी चरण सिंह--

इस बीच में कई सरकारें रहीं । शब्द "कई" नहीं कहा । आपने कहा कि 1969 में और 1970 में "चरण सिंह" की सरकार रही तो इसलिये इस देरी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रही ।

श्री अध्यक्ष--

मैं कार्यवाही देख लूंगा, जब टाइप होकर आयेगी । तब मैं इस पर उचित कार्यवाही करूंगा

कानपुर नगर के वायुदूषण से संबंधित अध्ययन रिपोर्ट

*श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर) तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वैज्ञानिकों की एक टीम, ने जो कानपुर नगर के वायु दूषण का अध्ययन और खोज करने को आई थी, इस नतीजे पर पंहुची कि कानपुर नगर की 75 प्रतिशत वायु दूषित है, जो देश के बड़े औद्योगिक नगरों में सर्वाधिक है ? यदि हां, तो सरकार इसके रोक थाम के लिये अविलम्ब क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 73 पर)

श्री काशीनाथ मिश्र--

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य का सवाल है कि टीम आयी थी । मंत्री जी ने पहले कह दिया कि टीम नहीं आयी थी। फिर मंत्री जी पढ़ने क्या लगे। एक डेफिनिट टीम की जांच के बारे में माननीय मधुकर दिघे ने यह नतीजा निकाला और मंत्री जी ने पहले ही अपने जवाब में कह दिया कि यह टीम नहीं आयी । तो यह सारा प्रश्न खत्म हो जाता है वहीं । फिर पढ़ने की क्या जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष--

अगर यह सूचना दी गयी है तो बड़ी समझदारी की बात कही गयी है क्योंकि मान लीजिये किसी सदस्य ने तारीख के बारे में कहा लेकिन लक्ष्य तो उसका यही है कि कानपुर में दूषित वायु-मंडल जो हो रहा है उसके बारे में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

यह नहीं है । ऐसे तो बहुत से शहरों की वायु दूषित हो रही है । यह प्रश्न टीम का है कि एक टीम आयी और मंत्री जी ने कह दिया कि टीम आयी ही नहीं । तो फिर उसको पढ़ने की क्या जरूरत है ?

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

व्यवस्था का प्रश्न । यदि प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई बात हो, उत्तर कोई गलत आया हो या अधिक या कम आया हो तो उसमें माननीय काशीनाथ मिश्र या मेरे जैसे सदस्य को बोलने का कोई अधिकार नहीं है । यह सिर्फ स्वयं आपका अधिकार है कि वह किस प्रश्न को असंगत कम या ज्यादा जैसा भी चाहें घोषित कर दें । माननीय काशीनाथ मिश्र को कोई अधिकार नहीं है । यह हर समय विघ्न डालते हैं । आप इनको डांटें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ मिश्र जी अपने सुझाव से अपने शासक दल को लाभान्वित करने का यत्न करें । लेकिन उसके लिये स्थान दूसरा है । वहां आप जैसा भी चाहते हैं कि उत्तर होना चाहिये वैसी सलाह दें । प्रश्न जो आया है और जो उसका जवाब आया है, जैसे हमारे इसी सदन में यह प्रश्न उठा था कि एक हत्या हुई थी जिसमें तारीख गलत थी । तो उधर से कहा गया कि मान लीजिये 9 तारीख नहीं 8 है तो गवर्नमेंट को सही बात बता देना चाहिये क्योंकि ज्यादा सूचना तो शासन के पास है, विरोध पक्ष कुछ अटकल अनुमान से काम लेता है । इसलिये सारी सीमायें जो सवालों की हैं उनको मैं नियंत्रित नहीं करना चाहूंगा । जो प्रश्न आया है मंत्री जी ने सोच समझ कर जवाब दिया है । टीम नहीं आयी है लेकिन जो उनका मन्तव्य है उसकी दिशा में थोड़ी कार्यवाही हुई है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

माननीय काशीनाथ मिश्र का नाम विघटनकारी मिश्र रख दिया जाय । (हंसी) ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपका भी नाम रखना चाहिये क्योंकि आप भी बिना पूछे बोलते हैं । (हंसी) ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मुझे कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते इनका भी रख दें ।

श्री मधुकर दिघे—

माननीय काशीनाथ जी की राय जो अपने मंत्रियों के बारे है वही हम सबकी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दूषित वायु के कारण कानपुर के नागरिकों के ऊपर जो दूषित प्रभाव पड़ रहा है इसे रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस सम्बन्ध में एक अधिकारी की नियुक्ति की गयी है और जहां-जहां बाइलाज के मुताबिक चिमनियां नहीं हैं उनको ऊंचा करके ठीक करने के लिये कहा गया है तथा अब यह भी किया गया है कि नये उद्योग न लगने पायें ।

श्री मधुकर दिघे—

जब रिपोर्ट सरकार के सामने आयी तब सरकार ने इसके लिये क्या कार्यवाही की कि वहां के लोगों का स्वास्थ्य खराब न हो ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिन-जिन फैक्टरियों में कमी थी उनको नोटिस दिया गया ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से शुद्ध वायु का प्रतिशत क्या होना चाहिये और इस समय कानपुर में दूषित वायु का प्रतिशत क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो अन्य बड़े-बड़े शहरों की दूषित वायु का प्रतिशत है वही कानपुर में भी है । सही प्रतिशत जानने के लिये नोटिस चाहिये ।

श्री मधुकर दिघे—

कानपुर में जो औद्योगिक बस्तियां हैं उनमें बहुत अधिक भीड़ हो गयी हैं जिसके कारण भी वायु दूषित होती है । तो क्या उनमें भी कम करने तथा भविष्य में और अधि औद्योगिक बस्तियां न बनाने के सम्बन्ध में भी सरकार विचार कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दूषित वायु तो चिमनियों के खराब होने के कारण है ।

श्री मधुकर दिघे—

एक ही जगह अधिक उद्योग होने से और अधिक बस्तियां होने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिये क्या सरकार इन बस्तियों को कम करने पर विचार कर रही है, यह प्रश्न है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अब नये कारखाने खोलने पर पाबन्दी लगा दी गई है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार ने इस प्रकार की कोई जानकारी करायी है कि इस दूषित वायु के कारण किस किस प्रकार की बीमारी पैदा होती है !

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जांच से यही पता चला कि दूषित वायु का प्रतिशत उतना ही है जितना कि अन्य बड़े-बड़े शहरों में है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । मैंने यह पूछा है कि किस चीज का दुष्परिणाम है जिससे हम इस नतीजे पर पंहुचे और क्या उसका सर्वे कराया गया कि क्षय रोग या किस रोग से कितने आदमी बीमार है ? इस वायु दूषण के सिलसिले में जो परिणाम निकला है, उस सिलसिले में आपके विभाग ने कोई कार्यवाही करायी है । कि इसके फलस्वरूप कितने लोग बीमार हैं और किस रोग से बीमार हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

इस वायु दूषण का जो दुष्प्रभाव पड़ता है उसका किस तरह से निराकरण हो, इस सम्बन्ध में कोई सर्वे किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जिस कमेटी ने सर्वेक्षण किया था उन्होंने स्वयं सुझाव दिया है कि क्या-क्या होना चाहिये वायु दूषण के जो कारण हैं वे ये हैं कि चिमनियों से जो धुंआ निकलता है उसके साथ कोयले के छोटे-छोटे पार्टिकिल्स व डस्ट बाहर आकर वायुमंडल को दूषित करते हैं । कारबन डाइ-आक्साइड जो निकलता है वह आमजनता के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल सकता है । चिमनी के धुयें के साथ कोयले के छोटी-छोटी कंकड़ियां निकल कर भी वायु मंडल को दूषित करती है हम इस सिलसिले में अभी बहुत पीछे हैं । बड़े-बड़े देश भी अभी तक इस समस्या पर पूरी तरह से काबू नहीं कर पाये हैं । यह सही है जो माधव बाबू ने पूछा है कि कितने लोग क्षय रोग से या किस रोग से बीमार है इस दूषण वायु की वजह है । फेफड़े खराब होने का कारण केवल वायु दूषण ही नहीं है, इसके लिये अलग-अलग कारण भी हो सकते हैं । कानपुर में फेफड़े की बीमारी पर 100 प्रतिशत कब तक काबू पा सकेंगे यह कहना अभी सम्भव नहीं है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

इस आधार पर किन-किन फैक्टरियों को नोटिस दी गयी, कब दी गयी और अभी तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

इसके लिये अलग से प्रश्न किया जायेगा तो हम उसका उत्तर देंगे । यह तो एक सीमित प्रश्न था जिसका जवाब रिपोर्ट में ही दिया हुआ है ।

चौधरी राम पाल सिंह यादव--

इसकी रोकथाम के लिये क्या व्यवस्था हुई है ? आपने तो अपनी पुरानी जानकारी के बुनियाद पर जवाब दे दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि नगरों में जो पुरानी चिमनियां हैं जिनके कारण वायुमंडल दूषित होने की लगातार शिकायतें मिलती है, उन नगरपालिकाओं की तरफ से आदेश दिया गया है कि वे फैक्टरियां अपनी चिमनियों को ऊंचा करा लें? मेरी सूचना है कि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है।

श्री हेमवती नन्दन बगुणा---

जैसा कि मैंने निवेदन किया, इसकी डिटेल में सूचना मेरे पास अभी नहीं है। कमेटी ने स्वयं नगरपालिका को रिपोर्ट दी है, हमारे पास उसकी प्रतिलिपि आयी है। अब यह कि नगर-पालिका के अन्दर किस फैक्टरी की चिमनी छोटी है, टैनरी की गलत है, टेक्सटाइल की गलत है या स्टील फैक्टरी की गलत है, यह सब डिटेल मेरे पास नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मान्यवर, मैं अपनी जानकारी के आधार पर पूछना चाहता हूं, मेरी जानकारी है कि कानपुर में क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसका क्या कारण है। अनेकों लोग खुजली से पीड़ित हैं। 2-3 करोड़ की आबादी वाले इस नगर में करोड़ों लोग बीमारियों से पीड़ित हैं और उनके लिये दवाओं की व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

यह सवाल नहीं, आप दूसरा सवाल कोई पूछिये।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे मेरी यह बात सही मान कर जो कि नोटिस वहां दिये गये हैं उनका कोई पालन नहीं हुआ है। अब तक कहीं पर भी न तो चिमनी की ऊंचाई बढ़ायी गयी है और न कहीं जाली लगायी गयी हैं। क्या सरकार इस बात की पुनः जांच करायेगी और यह आदेश देगी कि जो नोटिस दिया गया है उसका सही परिपालन हो जाय और नगरपालिका कार्यात्मक रूप में इस कार्य को करें?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, नगरपालिका स्वायत्तशासी संस्था है। लेकिन निर्देश हम उसको निश्चित रूप से, इस सदन की भावना पहुंचा देंगे और उनसे कहेंगे कि वह इस काम में तवज्जो करें।

नगर महापालिका इलाहाबाद पर बकाया सरकारी ऋण

*3---श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका इलाहाबाद पर सरकार का कितना कर्ज दिनांक 25-6-74 तक बाकी है और उसकी धनराशि किस-किस मद से संबंधित है? कर्ज की वसूली के लिये क्या प्रयत्न किया गया?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

नगर महापालिका इलाहाबाद पर दिनांक 25 जून, 1974 को सरकार का 4,06,61,825 98 ए0 संलग्न तालिका में उल्लिखित मदों पर ऋण के रूप में बाकी था। नगर महापालिका द्वारा शासन के सभी ऋणों का भुगतान निर्धारित किस्तों में समय से किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 74 पर)

कृषि विभाग द्वारा प्रशिक्षित ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण काल का वेतन

*4---श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में दो वर्षीय कृषि प्रसार डिप्लोमा कितने लोग इस समय ग्राम सेवक के पद पर कार्य कर रहे हैं और इन कृषि विभाग के डिप्लोमा प्राप्त ग्राम सेवकों को क्या कोई अन्य प्रशिक्षण भी दिलाया गया? यदि दिया गया तो उसकी अवधि क्या थी, तथा उस अवधि में उनको वेतन मिला या नहीं?

सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)---

इस समय अनुमानतः 2500 कृषि डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति हैं जो ग्राम सेवक के पद पर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं । कृषि विभाग के लगभग 79 प्रदर्शन पर्यवेक्षक जो कृषि डिप्लोमा प्राप्त थे को वर्ष 1962 में इस विभाग में ग्राम सेवक के पद पर लिया गया और उन्हें उस समय 6 माह का और प्रशिक्षण दिया गया । कृषि विभाग के अन्य कृषि डिप्लोमा प्राप्त ग्राम सेवकों को अभी तक इस विभाग द्वारा कोई प्रशिक्षण नहीं दिलाया गया है ।

जिन 79 प्रदर्शन पर्यवेक्षकों को 6 माह का प्रशिक्षण दिया गया था उन्हें प्रशिक्षण की अवधि में कृषि विभाग द्वारा वेतन दिया गया ।

प्रदेश की डाक्टर विहीन डिस्पेन्सरीज

*5---श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितनी डिस्पेंसरी (आदमियों और औरतों की) अलग-अलग ऐसी हैं जिनमें डाक्टरों की व्यवस्था नहीं है और कब से। सभी अस्पतालों में डाक्टर/डाक्टरनी पहुंच जावें इसकी कब तक व्यवस्था कर देंगे?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)---

इस समय इस प्रदेश में 72 पुरुष व 21 महिला डिस्पेंसरियां ऐसी हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं । एक महिला डिस्पेंसरी में विगत 1 वर्षों से डाक्टर नहीं है । शेष सभी पुरुष व महिला डिस्पेंसरियां एक माह से लेकर दो वर्ष तक की अवधि से रिक्त हैं ।

इस समय व्याप्त आर्थिक संकट के कारण शासन ने नयी नियुक्तियों पर अस्थायी रोक लगा दी है । फिलहाल डाक्टरविहीन डिस्पेंसरीज में डाक्टर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन ने यह निर्णय लिया है कि उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जहां द्वितीय डाक्टर उपलब्ध हो गया है, एक डाक्टर को स्थानान्तरित करके रिक्ति को भर दिया जाय।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

मान्यवर, क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस महिला डिस्पेंसरी में गत 1 वर्षों से डाक्टरनी नहीं है, उसका क्या कारण है और क्या यह बात सही है कि जब से वह डिस्पेंसरी प्रारम्भ हुयी है उस समय से डाक्टरनी नहीं है । इसके अलावा किस जिले में और इस डिस्पेंसरी का क्या नाम है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

यह डाक्टरनी क्या होता है, डाक्टर तो होता है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष---

डाक्टरनी नहीं होना चाहिये यह ठीक कह रहे हैं । चाहे लेडी डाक्टर हो या मर्द डाक्टर हो, डाक्टर ही कहा जाता है । डाक्टरनी शब्द ठीक नहीं है ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जिला हरदोई के पिहानी डिस्पेंसरी में 14 वर्षों से डाक्टर नहीं है । वहां नियुक्ति होती है, लेकिन वैसे ही लेडी डाक्टरों की कमी है और पिछड़े स्थानों में होने के कारण वह वहां नहीं जाना चाहते । अभी 3 जुलाई को पोस्टिंग की गयी है, श्रीमती राजबाला गुप्ता की, लेकिन वह अभी तक वहां नहीं पहुंची है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वहां जितनी डिस्पेंसरीज हैं या अस्पताल हैं उनमें से अभी अधिकांश डिस्पेंसरीज में डाक्टर्स नहीं हैं। चूंकि वहां पर उनको सुविधायें नहीं हैं इसलिये वह वहां नहीं जाते । तो आप यह देखें कि जो डाक्टर वहां जायें उनके लिये स्पेशल एलाउन्स की आप व्यवस्था करेंगे?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

श्रीमन् यह तो नया प्रश्न है । इसकी सूचना हमारे पास नहीं है कि पहाड़ी जगहों पर डाक्टर नहीं है । इसके लिये मुझे देखना पड़ेगा कि वहां पहाड़ी स्थान कहां है जहां डाक्टर नहीं हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवाई (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, जैसा अभी बताया गया कि डाक्टर डिस्पेंसरीज में जाना नहीं चाहते और लेडी डाक्टरों की कमी है, मैं पूछना चाहती हूं कि लखनऊ में कितने हास्पिटल हैं और इस वक्त वहां कितनी लेडी डाक्टर रिजर्व ड्यूटी पर हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह तो अलग से प्रश्न हो गया । अगर ऐसी बात है तो देख लिया जायगा ।

श्री वीरेंद्र वर्मा--

माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे यदि उनके पास यह जानकारी उपलब्ध हो कि 2 वर्ष से अधिक प्रदेश में ऐसी कितनी डिस्पेंसरी हैं जहां डाक्टर नहीं हैं ? इसके क्या कारण हैं ? क्या यह सभी देहात की डिस्पेंसरी हैं?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

दो वर्ष से अधिक की ऐसी खाली जगह केवल एक लेडी डाक्टर की है । किस डिस्पेंसरी में कितने समय से डाक्टर नहीं हैं इसकी अलग-अलग सूचना नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या यह सही है कि लेडी डाक्टर ऐसे स्थानों में नहीं जाती हैं जहां उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है ? अगर हां, तो सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

यह सही है । मैंने निवेदन कर दिया कि उनके रहने के लिये स्थान होना चाहिये परन्तु आर्थिक संकट के कारण रहने का प्रबन्ध नहीं किया जा सका है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

माननीय मंत्री जी क्या बताने का कष्ट करेंगे कि इस सूबे में बहुत से ऐसे गांव और जिले हैं जहां पर डिस्पेंसरी है लेकिन डाक्टर नहीं है ? जहां पर डिस्पेंसरी हैं और उन में दवाइयां हैं लेकिन डाक्टर नहीं हैं तो दवाइयां किस आधार पर दी जाती हैं और वह दवाइयां कहां जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न अलग हो गया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के कारण रहने का प्रबन्ध नहीं हो सकता है । तो मेरा अनुमान है कि पहले आर्थिक संकट नहीं था लेकिन बहुगुणा सरकार का एक साल से आर्थिक संकट प्रारम्भ हुआ है । इसलिये पहले आवास का प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर न मिलने पर मेरा कुछ तो उत्तर अध्यक्ष महोदय मिलना चाहिये । जो यह कुव्यवस्था है वह हमारे मुख्य मंत्री जी के काल से प्रारम्भ हुई है इसलिये आप अपने अच्छे प्रबन्ध काल में उनके रहने की व्यवस्था क्यों नहीं की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

बीच में संविद सरकार आ गयी थी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

संविद सरकार आयी और उसने गलत काम किया लेकिन जब आप आये तो आपने क्यों व्यवस्था नहीं की है इस सरकार के स्वर्णिम युग में 14 वर्ष तक जहां जहां स्थान रहने के लिये नहीं है वहां आवास का प्रबन्ध क्यों नहीं किया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

कुछ जगहों पर प्रबन्ध है लेकिन उसकी सूची नहीं है । आज की परिस्थिति ऐसी है कि जहां पर निवास स्थान नहीं है वहां आर्थिक संकट के कारण प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है । डाक्टर एक जगह पर 14 वर्ष से नहीं है और बकिया जगह ऐसा नहीं है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा--

मंत्री जी ने कहा कि डाक्टर भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं । तो इससे पूर्व दूसरे हास्पिटल्स से हटाकर वहां भेजने में क्या कठिनाई थी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

श्रीमन्, पहले से हर जगह जहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां दो डाक्टर्स होते थे । हमारे प्रदेश के प्रायः सभी अस्पतालों में यह प्रबन्ध कर दिया गया है लेकिन अब केंद्र द्वारा यह सूचित किया गया है कि जो उनका पैसा आता था परिवार नियोजन के सिलसिले में वह अब डेढ़ डाक्टर के अनुसार देंगे तो पहले से भी जहां पर नई नियुक्तियां नहीं हो रही थीं उसके आदेश हो चुके हैं और जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी और जहां बाकी हैं वहां डाक्टर भेजने का प्रबन्ध कर दिया जायेगा ।

बदायूं जिले के स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय अन्य स्वास्थ्य विभागों के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*6--श्री मुहम्मद असरार अहमद, (जिला बदायूं) श्री पुरुषोत्तम कौशिक, श्री कृपा शंकर आर्य (जिला देवरिया) तथा श्री केसरी लाल (जिला कानपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद, बदायूं के स्वास्थ्य कार्यालय में व स्थानीय अन्य स्वास्थ्य विभागों में कौन-कौन सरकारी कर्मचारी 3 वर्ष 4 वर्ष, 5 वर्ष एवं पांच वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और उनका इतनी अवधि तक कार्य करने के बाद स्थानान्तरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जनपद, बदायूं के स्वास्थ्य कार्यालय एवं स्थानीय अन्य स्वास्थ्य विभागों में 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तथा 5 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों की सूची संलग्न है। इन कर्मचारियों का स्थानातरण शासन की वर्तमान नीति के अनुसार नहीं किया गया है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 75-/6 पर)

श्री मुहम्मद असरार---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि पिछले तीन वर्षों में जब यह नीति नहीं बदली थी, कर्मचारियों का स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न क्या है?

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

अब स्थानान्तरण नहीं हो रहे हैं लेकिन पहले क्यों नहीं किये गये?

श्री अध्यक्ष--

तीन, चार, पांच वर्ष के कितने लोग हैं? तीन वर्ष वाले तो अधिक होंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

हर एक का ब्यौरा अलग है। टोटल 400 हैं जो 6, 5, 4, और 3 वर्ष से अधिक के हैं। सितम्बर में नीति बदली है तो मेरा कहना है कि पहले यह स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया और यह नीति किस तारीख से बदली गयी है।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

वास्तव में गजटेड आफिसर्स के लिये यह आवश्यक है कि 5 वर्ष के बाद एक जगह पर न रहे और उनका स्थानान्तरण कर दिया जाय लेकिन जो छोटे कर्मचारी होते हैं उनके लिये यह था कि दूसरी सीट पर अथवा वहीं जिले में किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिये जायं।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)----

आपने कहा कि सितम्बर में यह तय हुआ कि कोई ट्रान्सफर्स नहीं होंगे तो क्या आप यह बतला सकते हैं कि इस बीच में कितने ट्रान्सफर्स किये गये और इस नीति का आपने कहां तक पालन किया?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न दूसरा हो गया। यह इससे असम्बद्ध है।

चौधरी चरण सिंह---

जब यह नई पालिसी अगस्त में ले डाउन की गयी तो इससे पहले इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्या नियम थे?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

मैंने पहले ही निवेदन किया कि पहले यह नियम था कि जो गजटेड आफिसर्स होते थे 5 वर्ष के बाद उनका स्थानान्तरण दूसरे जिले में कर दिया जाय लेकिन जो छोटे कर्मचारी होते थे क्लास 3 व 4 के तो उनका ट्रान्सफर उसी जिले में कहीं अथवा वहीं सीट बदलकर

कर दिया जाय। शिकायत होने पर जिले में ही कहीं अन्य स्थान पर उनका ट्रान्सफर कर दिया जाता था।

चौधरी चरण सिंह---

आपने कंन्फ्यूज कर दिया। पहले ट्रान्सफर्स के सिलसिले में क्या नियम थे?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

मैंने निवेदन कर दिया छोटे कर्मचारियों के बारे में यह नियम था कि उनका ट्रान्सफर बाहर न किया जाय। अगर किसी की बहुत ज्यादा शिकायत हो तो उसका ट्रान्सफर उसी जिले में किसी स्थान पर कर दिया जाय या उसी जगह सीट बदल दी जाय।

चौधरी चरण सिंह---

अब आपने उस पहले वाले नियम में क्या परिवर्तन किया?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

8 जुलाई को यह आर्डर किया कि अब ट्रान्सफर्स न हों लेकिन अगर कोई प्रशासनिक कारण होता है अथवा आवश्यक हो तो कर दिया जाता है वर्ना नहीं होता।

चौधरी चरण सिंह---

मेरी समझ में नहीं आया। पहले यह नियम था कि आम तौर पर ट्रान्सफर न किया जाय। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दिन हो जायं अथवा बहुत ज्यादा जरूरी समझा जाय तो जिले के अन्दर कर सकते हैं और अब भी आपने जो आर्डर किया उसके सिलसिले में भी वही बात कह रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि स्पेसिफिक तथा डेफिनिट परिवर्तन आपने क्या किया?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

इसमें कोई परिवर्तन का प्रश्न है नहीं। कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं।

चौधरी चरण सिंह---

इसमें उत्तर में लिखा है कि इन कर्मचरियों का स्थानान्तरण वर्तमान नीति के अनुसार नहीं किया गया। वर्तमान नीति 8 जुलाई से आई। इसका मतलब यह हुआ कि पहले ट्रान्सफर्स होते थे और अब रोक दिये गये? ऐसा हुआ है क्या? आपका क्या अब ब्लेंकेट आर्डर है कि ट्रान्सफर नहीं होगा? अगर ऐसा नहीं है तो पहले किन सूरतों में हो सकता था और अब किन सूरतों में हो सकता है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

मान्यवर, मैं पहले से ही निवेदन कर रहा हूं कि नीति से मतलब है कि इस वक्त जो स्थानान्तरण हो रहे हैं वे ऐसे हो रहे हैं जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि कोई शिकायत हो जाय या कोई प्रशासनिक कारण आवे तो उनके ट्रांस्फर हो सकेंगे।

चौधरी चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं माननीय मंत्री जी पर तरस खाता हूं। मेरा कहना है कि जो सुविधायें पहले से थीं वही सुविधायें अब भी हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

वर्तमान को भूतकाल के अनुरूप रखा गया है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किसी एक जिले के अन्दर इन चार वर्षों में किसी का कभी ट्रांस्फर हुआ ?

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

आपको किसी के ऊपर दुश्मनी हो तो वह कहना चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

इनमें बहुत से लोगों का ट्रान्सफर हुआ था लेकिन डाइरेक्टर ने रिश्वत लेकर स्थानांतरण रोक दिया । इसके मेरे पास प्रमाण हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

माननीय सदस्य लिखकर दे दें तो अच्छा रहेगा ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मैंने पहले सवाल किया था, मंत्री जी को उसका जवाब देना चाहिये । आपने मेरे प्रश्न को स्वीकार किया है ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना प्रश्न दुहरा दें ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

इन चार वर्षों में क्या इन कर्मचारियों का जिले में एक जगह से दूसरी जगह पर या एक सीट से दूसरी सीट पर कभी स्थानांतरण हुआ है या नहीं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

इसकी सूचना तो नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

तफसील का सवाल है ।

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--

तीन साल और पांच साल का कानून छोड़ने से कर्मचारी या अधिकारी अपने इलाके में गुटबन्दी कर लेता है, जायदाद, खेती, मकान आदि बना लेता है । तो ऐसी स्थिति में क्या आप पुराने नियम को लागू करेंगे जिससे वे वहां पर गुटबन्दी न कर सकें और अपराधों की संख्या कम हो जाय ? इससे अपराधों की संख्या बढ़ी है । या तो आप इसकी जांच करवायें ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपका सुझाव है ।

बदायूं जिले की ग्राम सभा वगैरन व गोठा के भूतपूर्व प्रधानों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

*7--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1971 में भूतपूर्व प्रधान (1971 के) वगैरन ग्राम गोठा, ब्लाक वजीरगंज, जिला बदायूं के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं धनराशि के दुरु-

प्रयोग की शिकायतें 1972–1974 की अवधि में शासन को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो अलग-अलग आरोप क्या थे ? संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा न चलाये जाने का क्या करण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

ग्राम सभा वगैरन के भूतपूर्व प्रधान तथा ग्राम सभा गोठा के भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध शासन को तथा जिलाधिकारी को जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं उनका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

जांच करने पर ग्राम सभा बगैरन के प्रधान के विरुद्ध कोई शिकायत सिद्ध नहीं पाई गई। अतएव उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा गोठा के प्रधान के विरुद्ध यह शिकायत सिद्ध पाई गई है कि हरिजन कालोनी के संबंध में प्राप्त अनुदान में से उन्होंने 3,300 रु0 अनियमित ढंग से ईटों की कीमत तथा ढुलाई के लिये भट्ठे पर 1964 में जमा किया तथा कई वर्ष तक उस धनराशि को वापस नहीं किया। यह धनराशि उन्होंने जुलाई तथा अगस्त 1973 में वापस जमा कर दी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सम्भव नहीं थी क्योंकि यह प्रधान पद पर नहीं हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 77 पर)।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब इन दोनों प्रधानों के विरुद्ध इन्क्वायरी की गई तो उसकी कोई रिपोर्ट शासन को मिली है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

मान्यवर, इन ग्राम सभापति के विरुद्ध जो जांच की गई वह जिला अधिकारी ने जिला नियोजन अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी के द्वारा करवाई है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

किस तरीख की जांच कराई और उन लोगों को मौका दिया कि वह यह यह कर सकें कि उनके खिलाफ जो आरोप हैं वह सच हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

मान्यवर, मेरे पास जांच रिपोर्ट नहीं है अगर जांच रिपोर्ट होती तो मैं बता देता कि उन लोगों से पूछा गया या नहीं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

मेरी खुद जानकारी है क्योंकि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है मैंने शिकायत की और लोगों ने भी की यह 1964 में हुआ और अब 1973 में जांच हुई तो इतने दिनों तक 9 वर्षों तक अपने पास ही रोके रहे। तभी उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं हो सकी इतने साल बाद अब गबन की कार्यवाही कैसे होगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

मान्यवर, अगर कार्यवाही नहीं की जाती तो यह धन वापस नहीं होता, यह ठीक है कि यह टेम्पोरेरी इम्बेजलमेंट है लेकिन बाद में वसूल हो गया। अब यह प्रधान नहीं हैं वह भूतपूर्व हो गये हैं। भूतपूर्व के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है।

चौधरी चरण सिंह---

अगर कोई आदमी गबन करता है तो उसके लिये दो रेमेडीज होती हैं एक तो सिविल और दूसरा क्रिमिनल। मैंने माननीय आर्य जी की बात सुनी कि रुपया वसूल हो गया है। तो रुपया तो उसको देना ही देना था। क्योंकि रुपया वसूल हो गया है और अब वह सभापति नहीं रहा इस वजह से क्रिमिनल कार्यवाही को रोकने का क्या कारण है? उसमें तो इससे कोई बाधा नहीं आती। यह तो 9 दिन की बात नहीं यह 9 साल तक नहीं हुई। तो 9 वर्ष तक क्रिमिनल कार्यवाही क्यों नहीं हो पाई। अगर ऐसा हो तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से प्रदेश का क्या हाल होगा और फिर आप करप्शन मिटाने की बात करते हैं। 9 साल तक क्रिमिनल कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं हो पाई?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

मान्यवर, गांव पंचायत को अधिकार है, पंचायत के हाथ में है कार्यवाही करना अगर अनियमितता होती तो वह श्री श्यामलाल जी उस वक्त प्रधान थे उनके विरुद्ध न्यायलय में केस प्रस्तुत कर सकती है। यह ग्राम सभा का अधिकार है।

चौधरी चरण सिंह---

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनको मालूम है कि इम्बेजलमेंट कागनिजेबुल आफेंस है अगर पंचायत नहीं करती है तो गवर्नमेंट को अधिकार है। अगर पंचायत अपना फर्ज पूरा नहीं करती है तो सरकार को करना चाहिये बेशिक पंचायत की जिम्मेदारी है कागनिजेबिल आफेंस में गवर्नमेंट तो कर सकती थी।

श्री बल्देव सिंह आर्य---

मान्यवर, सरकार बराबर इस बात की कोशिश करती रही कि पंचायत रुपये को वापस करें और पंचायत ने रुपया वापस कर दिया। सरकार ने पंचायत को रुपया दिया था न कि भट्टे वाले को। भटठे वाले को रुपया पंचायत ने दिया इसलिये पंचायत को अधिकार था कि उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करती।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न काल समाप्त।

मुहम्मद असरार अहमद---

मैंने अभी प्रश्न करना है (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष---

वह आप बाद में लिख कर पूछ लें।

एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन के गाजीपुर केन्द्र के सहायक बिक्री अधिकारी की गबन के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

*8---श्री रघुबीर तथा श्री झिलमिट (जिला गाजीपुर)---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 19-6-74 को जिला गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के गोदाम से लगभग 8 लाख रुपये की उर्वरक सेल्स

[नोट :---नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 7 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।]

मैनेजर द्वारा अनियमित ढंग से बेचकर इसकी धनराशि का गबन कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इसी के साथ जिला कृषि अधिकारी और संबंधित कर्मचारियों का भी खुल्लम-खुल्ला उक्त गबन में हाथ है। यदि हां, तो इन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के गाजीपुर केन्द्र से उर्वरक संबंधी लेखा में से 3.70 लाख रुपये के गबन के संदेह के आधार पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। संबंधित सहायक बिक्री अधिकारी ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर ऐन्टीसिपेटरी बेल प्राप्त की है। जिला कृषि अधिकारी तथा उनसे सम्बद्ध अन्य कर्मचारियों की इस मामले से संबंध की सूचना नहीं है। मामले में आवश्यक जांच की जा रही है।

आजमगढ़ जिले की ग्राम सभा मदियापार के प्रधान के विरुद्ध गबन का आरोप

*9--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी गढ़वाल)--

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मदियापार, तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़ के प्रधान द्वारा भूमि व बाग के नाजायज विक्रय और वितरण करने व गांव पंचायत के धन का गबन करने के आरोप से सम्बद्ध कोई शिकायती पत्र नवम्बर, 1973 प्राप्त हुआ तथा उसकी विशेष जांच जिला अधिकारी, आजमगढ़ ने की और शिकायतों को सत्य पाया ? यदि हां, तो सरकार ने उस ग्राम प्रधान के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ऐसा एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसपर उप संचालक चकबन्दी द्वारा जांच की गई। इस जांच में केवल भूमि के अनियमित आवंटन तथा उससे प्राप्त आय के दुरुपयोग करने का आरोप सत्य पाया गया। इनके विषय में परगनाधिकारी द्वारा प्रधान के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

जिला सहकारी बैंक लि०, मैनपुरी के परिवेक्षक श्री श्रीराम का अवशेष वेतन

*10--बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, मैनपुरी में कार्यरत हरिजन परिवेक्षक श्री श्रीराम के विभिन्न स्थानों पर काम करने का वेतन भुगतान जो 1-4-1961 से 18-1-1973 तक 13,783.16 रु0 होता आज तक पी0सी0यू0, लखनऊ द्वारा नहीं किया जा रहा है. वह भुगतान क्यों नहीं किया गया ? और अब कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 78 पर।)

विकास क्षेत्र जहानागंज, जिला आजमगढ़ के ग्रामसेवक श्री त्रिलोकी नाथ सिंह का अवशेष वेतन

*11--श्री रघुवीर--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र जहानागंज, जिला आजमगढ़ के बहुत से ग्राम सेवक जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ को वेतन वृद्धि और वेतन

न मिलने के सम्बन्ध में दिनांक 15-- --65, 27--3- 65, 14--4-65, 16-6-65, 13-8-65, 22-2-66, 16-8-66, 28-1-67, 7-7-68, 10-11-68, 7-4-69, 16-3-70, 29-4-70, 25-5-71, 15-4-72, 17-4-73 व 29- 5-73 को प्रार्थना-पत्र दिये? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

विकास क्षेत्र जहानागंज जिला आजमगढ़ के एक भूतपूर्व ग्राम सेवक श्री त्रिलोकीनाथ सिंह के अतिरिक्त किसी भी ग्राम सेवक ने वेतनवृद्धि अथवा वेतन न मिलनेके संबंध में इन तिथियों को कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। उक्त श्री त्रिलोकी नाथ सिंह के अवशेष पावने को काल-बाधित हो जाने के कारण उनका भुगतान पूर्व समीक्षा के उपरान्त ही सम्भव हो सकेगा जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर के हरिजन विद्यार्थियों के लिये मेस की व्यवस्था

*12---श्री राम नारायण पाठक, श्री राम औतार सिंह भदौरिया तथा श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर में शिक्षा पाने वाले हरिजन विद्यार्थियों के लिये कोई अलग मेस निर्धारित किया गया है तथा उनको मारा-पीटा गया है ? जिसकी मुख्य मंत्री से लिखित शिकायत हाल ही में उन लोगों ने की है ? यदि हां, तो घटना क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी नहीं। हरिजन छात्रों के लिए कोई अलग मेस निर्धारित नहीं है। छात्रों में आपसी मार-पीट की घटनायें छोटी-छोटी बातों पर मतभेद के कारण हुई थी। शिकायत पर जांच हुई। जो मामले पुलिस में गये थे उनमें अन्तिम आख्या लग गई।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कर्मचारियों के विरुद्ध पर्चे छपवाने तथा जाली आदेश बनाने का आरोप

*13---श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि चिकित्सालयों के 10 नये पैसे के पर्चेको छपाने के सम्बन्ध में शासन का एक जाली आदेश 1968-69, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कुछ कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सांठ-गांठ से बनाया गया ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार था और दोषी पाये गये कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? इस प्रकार के जाली आदेश बनाने से शासन को कितनी धनराशि की हानि उठानी पड़ी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

प्रश्नगत जाली आदेश बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने जिस एक कर्मचारी श्री धर्मपाल को दोषी समझा उसे निलम्बित कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। बाद में इस मामले की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा भी की गयी जिसमें कुछ अन्य कर्मचारियों पर भी सन्देह व्यक्त किया गया है। अब उन सबके विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं। आर्थिक हानि के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के प्राइवेट वार्डों की धनराशि का स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कर्मचारियों पर बकाया

*14—श्री जमुना प्रसाद बोस तथा श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के प्राइवेट वार्ड में कराई गई चिकित्सा से सम्बन्धित धनराशि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कर्मचारियों पर पिछले काफी वर्षों से बकाया चली आ रही है ? यदि हां, तो कितनी, और कर्मचारियों के नाम क्या हैं तथा बकाया धनराशि न वसूली के कारण क्या हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के प्राइवेट वार्डों की कोई धनराशि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के किसी कर्मचारी पर अब बाकी नहीं है ।

सिविल अस्पताल गोरखपुर में बिजली के अभाव के फलस्वरूप मरीजों की कथित मृत्यु

*15—श्री मधुकर दिघे तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार जांच कर बताने की कृपा करेगी कि जनपद, गोरखपुर के सिविल अस्पताल में माह जून, 1974 के किन-किन दिनांकों में बिजली 24 घंटे नहीं रही है और क्या यह सही है कि बिजली के अभाव में इन दिनों एक्सरे व सर्जरी कक्ष में अंधकार होने के कारण आपरेशन आदि न होने पर कई दर्जन मरीज मर गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उत्तरदायी लोगों पर मानव-वध का अपराध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जून, 1974 में सिविल अस्पताल, गोरखपुर में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बिजली 24 घंटे न रही हो। कभी-कभी कुछ समय के लिए बिजली चली गई थी, परन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिजली के कुछ समय के अभाव में एक्सरे व सर्जरी कक्ष में अन्धकार होने के कारण आपरेशन आदि रुके हों। न ही इस कारण उन दिनों किसी मरीज की मृत्यु हुई है।

छितौनी जिला देवरिया के राजकीय चिकित्सालय हेतु डाक्टर की मांग

*16—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के छितौनी जैसे तराई क्षेत्र जो बाढ़ तथा अनेक प्राणघातक एवं संक्रामक रोगों से पीड़ित क्षेत्र है का राजकीय चिकित्सालय अधिक समय से डाक्टर तथा लेडी डाक्टर विहीन है । यदि हां, तो वहां तत्काल वर्तमान वर्षा तथा संभावित बाढ़ के कारण फैलने वाले नाना प्रकार के प्राणघातक एवं संक्रामक रोगों के फैलने के पूर्व ही एक डाक्टर और एक महिला डाक्टर की नियुक्ति करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

छितौनी, जिला देवरिया के महिला चिकित्सालय में एक लेडी डाक्टर 28 मार्च, 1973 से कार्य कर रही है। वहां कोई पुरुष चिकित्सालय नहीं है, फिर भी छितौनी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से वहां एक डाक्टर 27 अगस्त, 1974 से तैनात कर दिया गया था। बाढ़ सम्बन्धी कार्य के समाप्त होने पर उसको दिनांक 24 सितम्बर, 1974 को वापस बुला लिया गया।

गोपालपुर सहकारी कृषि समिति लिमिटेड, जिला मिर्जापुर की जांच रिपोर्ट

*17—श्री सुखद राज सिंह (जिला बहराइच) तथा श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत गोपालपुर सहकारी कृषि समिति लि० की उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 65 के अन्तर्गत जांच कराई गई, यदि हां, तो कब और कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। उक्त जांच अक्तूबर व नवम्बर 1974 में की गई। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में किसी को दोषी नहीं बताया है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका जिला बुलन्दशहर द्वारा मकानों का गिराया जाना

*18—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि नगरपालिका, बुलन्दशहर में मई व जून, 1974 में ऐसे अनेकों मकानों को भी गिरा दिया गया जिनके नक्शों को प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी ने पास कर रखा था? यदि हां, तो किसकी आज्ञा से किस-किस के मकान गिराये गये? क्या उसके विरुद्ध जून, 1974 में सरकार को शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हमवती नन्दन बहुगुणा—

नगरपालिका बुलन्दशहर द्वारा मई व जून, 1974 में कोई ऐसा मकान नहीं गिराया गया जिसका नक्शा प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी द्वारा पास था। इस सम्बन्ध में शासन को कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

ग्राम बरगदवा, जिला बस्ती के ग्राम प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*19—श्री चन्द्र शेखर सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कष्ट करेगी कि ग्राम बरगदवा, ब्लाक साथ तहसील बांसी, जिला बस्ती के ग्राम प्रधान के विरुद्ध ग्राम समाज की सम्पत्ति हड़पने एवं भ्रष्टाचार करने की शिकायत तहसीलदार बांसी को सन् 1974 में मिली? यदि हां, तो शिकायत क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें प्रधान द्वारा गांव सभा के पेड़ अनधिकृत रूप से बेच देने, पोखरे की मिट्टी बेचने, प्राप्त धनराशि का हिसाब न रखने एवं उसका दुरुपयोग करने, और चकबन्दी में आबादी के लिये छोड़ी गई भूमि को बेचने की शिकायतें थी। इन शिकायतों की जांच कानूनगो द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट परगनाधिकारी को प्रधान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।

ग्राम सेवकों द्वारा भूमि विकास बैंक का ऋण वितरण कार्य

*20—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रदेश के समस्त ग्राम सेवकों ने भूमि विकास बैंक से ऋण वितरण का कार्य बन्द कर रखा है? यदि हां, तो कब से तथा क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

21—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल तथा श्री राम चरन शाह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

सुल्तानपुर जिले के किश्नी ग्राम के नाले पर पुल का निर्माण

*22—श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम किश्नी, तहसील मुसाफिर खाना, जिला सुल्तानपुर के निकट नाले पर पुल के निर्माण के संबंध में कोई आदेश जिलाधिकारी को दिनांक 14 जनवरी, 1974 को प्रसारित किये गये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

दिनांक 14 जनवरी, 1974 को भूतपूर्व जिलाधिकारी, अध्यक्ष, जिला परिषद् को भेजे गये शासकीय पत्र में केवल यह कहा गया था कि ग्राम किशनी, तहसील मुसाफिरखाना के निकट के नाले पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था की जाय। जिला परिषद् ने सूचित किया है कि पुल के निर्माण पर लगभग 1 1/2 लाख रुपये तथा सम्पर्क मार्ग बनाने में लगभग 50,000 रु० व्यय होगा जो जिला परिषद् वहन करने में असमर्थ है। धनाभाव के कारण इस कार्य के लिये शासन द्वारा भी कोई अनुदान दिया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

देवरिया जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन श्री नवदेश्वर शुक्ल के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*23—श्री मधुकर दिघे तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला अस्पताल में कुल कितने लैब टेक्नीशियन ऐसे हैं जो देवरिया जनपद के निवासी हैं और कितने वर्षों से एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं ? क्या उनमें से किसी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, बदतमीजी तथा मारपीट आदि करने की अनेकों शिकायतें हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

देवरिया जिला अस्पताल में देवरिया जनपद के निवासी तीन लैब टेक्नीशियन कार्यरत हैं। उनमें से सर्वश्री गोरखनाथ पाण्डेय तथा नवदेश्वर शुक्ल सन् 1964 से और श्री मुहम्मद इलियास सन् 1970 से उक्त अस्पताल में कार्यरत हैं। श्री नवदेश्वर शुक्ल के विरुद्ध श्री काशीनाथ द्वारा की गयी शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने श्री शुक्ल के ऊपर दवा बेचते हुये पकड़े जाने का आरोप लगाया है जो आरोप जांच करने पर निराधार पाया गया है। अतः उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

बस्ती जिले के ग्राम कठेला ग्रान्ट के चिकित्सालय भवन का निर्माण

*24—श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जनपद के सर्व प्रथम ग्रामीण चिकित्सालय, कठेला ग्रान्ट का स्थानीय जनता की लगातार मांग के बावजूद भी आज तक कोई अपना निजी पक्का भवन नहीं बना है और यह एक जर्जर तथा पुराने मकान में गत तीस पैंतीस वर्षों से चल रहा है ? यदि हां तो क्यों ? क्या सरकार क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उसके महत्व को देखते हुए अविलम्ब इसका विस्तृत पक्का भवन तथा डाक्टर आदि के क्वार्टर्स बनवायेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

यह सही है कि जिला बस्ती के ग्राम कटेला ग्रान्ट के चिकित्सालय का अपना भवन नहीं है परन्तु धनाभाव के कारण चिकित्सालय का भवन तथा डाक्टर आदि के क्वार्टर्स का निर्माण सम्भव नहीं है ।

आजमगढ़ जिले के हरैया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य चिकित्सक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*25--श्री जगदीश मिश्र (जिला आजमगढ़)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड हरैया, जिला आजमगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य, चिकित्सक के विरुद्ध ग्राम जनता एवं उनके अधीन काम करने वाले कई कर्मचारियों के शिकायती-पत्र "3 मास" के अन्दर सरकार को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो शिकायतें क्या-क्या हैं और उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव----

जी हां । हरैया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य चिकित्सक के विरुद्ध मुख्य चार शिकायती पत्र प्राप्त हुये । मुख्य शिकायतें निम्न प्रकार हैं :---

1--कर्मचारियों के अप्रैल, 1974 का वेतन समय से वितरित न करना ।

2---सरकारी धन का दुरुपयोग करना ।

3---स्वास्थ्य केन्द्र के महिला कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करना तथा उससे घर का काम लेना ।

4---राजकीय गाड़ी को टैक्सी की भांति किराये पर चलाना ।

(2) जांच के फलस्वरूप उपरोक्त शिकायतों में से प्रथम शिकायत सही पाई गई । उक्त चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

जिला परिषद्, सुल्तानपुर के मिलन केन्द्र को आवास गृह में परिणित होना

*26---श्री शिव कुमार पान्डेय (जिला सुल्तानपुर) तथा जय राम गौतम----

क्या सरकारको ज्ञात है कि जिला परिषद्, सुल्तानपुर द्वारा शासकीय अनुदान सहायता से अपने कार्यालय के हाते में निर्मित मिलन केन्द्र को वर्तमान जिलाधिकारी ने अनुदान प्राप्त करनेकी शर्तों के विपरीत आवास गृह में परिणित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

यह सही है कि जिला परिषद् सुल्तानपुर ने मिलन केन्द्र को आवास गृह में परिणित किया है । परन्तु अभी यह जांच की जा रही है कि क्या यह कार्य मिलन केन्द्र के लिये स्वीकृत अनुदान की शर्तों के विपरीत किया गया है ।

इटावा जिले की ग्राम पंचायतों को दी गयी आर्थिक सहायता

*27---श्रीमती सुखदा मिश्रा (जिला इटावा)---

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिये सरकार ग्राम पंचायतों को कोई अर्थ सहायता या अनुदानदेती है ? यदि हां, तो 1973-74 में जिला इटावा की ग्राम पंचायतों को कुल कितनी अर्थ सहायता अथवा अनुदान दिया गया और 1974-75 के वर्ष में कितनी अर्थ सहायता तथा अनुदान दिये जाने का विचार है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य----

शासन द्वारा पंचायतों को केवल उत्पादक परिसम्पत्ति के विकास और सृजन हेतु ऋण के रूप में अर्थ सहायता तृतीय एवं चतुर्थ योजनाकाल में दी गई है। यह ऋण योजना 1974-75 में समाप्त कर दी गई है।

वर्ष 1973-74 में जिला इटावा की केवल एक गांव पंचायत को उपरोक्त योजना के अन्तर्गत 4,300 रु0 का ऋण पंपिंग सेट लगाने हेतु दिया गया है।

पशुपालन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन के एरियर का भुगतान

*28---श्री गोविन्द सिंह नेगी----

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पशुपालन विभाग के फार्मों एवं अस्पतालों में कार्यरत कितने ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जिन्हें नये वेतन-मान, एरियर का अभी तक भुगतान नहीं किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा----

पशुपालन विभाग के 293 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नये वेतनमान के एरियर का अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है।

ग्राम सभा उमरी, जिला जालौन के प्रधान के विरुद्ध गबन का मुकदमा

*29---श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)----

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले की तहसील जालौन के विकास खंड, रामपुर की किन-किन ग्राम सभाओं के प्रधानों के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार, नियम विरुद्ध काम करने तथा गांव सभा की सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा करने तथा पद का दुरुपयोग करने के आरोप में आजकल जांच की जा रही है ? जांच कौन-कौन अधिकारी कर रहे हैं ? आरोप क्या-क्या हैं ? गम्भीर आरोप होने के कारण क्या उक्त प्रधानों को निलम्बित भी किया गया है ? यदि हां, तो कब तथा किस-किस को ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य----

जालौन जिले की तहसील जालौन के विकास खण्ड रामपुर की केवल एक ग्राम सभा उमरी के प्रधान के विरुद्ध विभिन्न आरोपों के संबंध में जांच हुई है। यह जांच परगनाधिकारी जालौन द्वारा की गई है। उक्त प्रधान के विरुद्ध गांव सभा के धन का गबन, अनियमित व्यय तथा दुरुपयोग, गांव सभा के स्वीकृति के बिना विभिन्न अनियमित कार्य करना व गांव सभा का लेखा-जोखा नियम पूर्वक न रखने के आरोप हैं। उक्त आरोपों पर जांच कराने पर प्रथम दृष्टा दोषी पाये जाने पर परगनाधिकारी द्वारा प्रधान को 28 फरवरी, 1973 को निलम्बित किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय की रूलिंग के कारण 31-3-73 को निलम्बन आदेश वापस ले लिये गये। प्रधान के विरुद्ध 409 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा चला दिया गया है।

रीजनल सेन्टर आफ रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को दिये गये अनुदानों का उपयोग

*30---श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)----

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रीजनल सेंटर आफ रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को दिये गये अनुदानों के उपयोग के संबंध में कोई राजाज्ञा जारी की गयी थी ? यदि हां, तो क्या इन अनुदानों का उपयोग हो गया है ? यदि नहीं, तो शासन ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा----

इस सेन्टर के अनुदानों के उपयोग के संबंध में कोई राजाज्ञा जारी नहीं की गई थी। सेन्टर को स्वीकृत सभी अनुदानों का उपयोग हो गया है अतः शासन द्वारा इस संबंध में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

नगर प्रशासन शोध एवम् प्रशिक्षण केन्द्र को स्वीकृत अनावर्तक अनुदान में कथित गोलमाल

*31---श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जन प्रशासन विभाग के अन्तर्गत नगर प्रशासन शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र में माह जनवरी, 1974 में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अनावर्तक अनुदान में 65,000 रुपये का गोल माल है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा----

उक्त केन्द्र को जनवरी, 1974 में कोई अनुदान स्वीकृत नहीं हुआ। अतः इस मद में गोल माल का प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पताल मैनपुरी में बालक की मृत्यु

*32---श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि मैनपुरी जिला अस्पताल में 16 जून, 1974 को एक चौदह वर्षीय बालक की मृत्यु इसलिये हो गयी कि उसके लिये आवश्यक दवायें अस्पताल से न देकर बाजार से मंगाने के लिये पर्चा लिखा गया था ? जब कि रात के 10 बजे इतनी जल्दी बाजार से दवायें लायी नहीं जा सकती थीं ? यदि हां, तो इस दुखद घटना के लिये जिम्मेदार कौन हैं ? और सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव----

मैनपुरी अस्पताल में 16 जून, 1974 को न्यादी बुखार से पीड़ित गिरी हुई अवस्था में एक 14 वर्षीय बालक भर्ती किया गया था। अस्पताल में उसे सभी अपेक्षित दवाइयां दी गयीं और सभी सम्भव उपचार किये गये। दो एक दवायें जिनकी भविष्य में आवश्यकता पड़ सकती थी और जो अस्पताल में नहीं थी बाजार से लाने के लिये कहा गया था। किन्तु बालक की हालत अति गम्भीर होने के कारण 10--30 रात को उसकी मृत्यु हो गयी। अतः दवाई न मिलने के कारण बालक की मृत्यु नहीं हुई।

प्रतापगढ़ जिले की गांव सभा कादीपुर के प्रधान के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*33---श्री राम स्वरूप भारतीय (जिला प्रतापगढ़)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31--12--73 तथा 18--3--74 को (श्री राम लखन सिंह) सरपंच, न्याय पंचायत, छतौनी, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ ने गांव सभा कादीपुर, तहसील पट्टी, प्रतापगढ़ के प्रधान के विरुद्ध जिलाधीश प्रतापगढ़ को कोई प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें यह आरोप लगाया था कि दिनांक 27--11--73 को सहकारी संघ, रामगंज पर जो मृपत बीज वितरण किया गया था प्रधान ने कुछ व्यक्तियों का नाम लिखा कर उनके नाम पर स्वयं बीज ले लिया ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को श्री रामलखन सिंह के दो शिकायती पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 73 तथा 15 मई, 1974 प्राप्त हुये थे। इन पर जांच कराने पर आरोप सत्य पाया गया जिस पर परगनाधिकारी ने प्रधान से 70 किलो गेहूँ के बीज का मूल्य वसूल करने के आदेश दिया और प्रधान को इस पद से हटाने की कार्यवाही प्रारम्भ की।

मुड़िया नबीबक्श, जिला बरेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा परिवार नियोजन केन्द्र के भवन का निर्माण

*34--श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम मुड़िया नबी बख्श, ब्लाक रिघा, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली में विधिवत् तौर पर सरकार के आदेश हुये कि एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं परिवार नियोजन केन्द्र खोला जाय, उसकी कुछ इमारतें भी बनी लेकिन इधर एक साल से सब काम रुका पड़ा है ? सरकार बतायेगी कि यह काम क्यों रोक दिया गया और कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मुड़िया नबी बख्श, जिला बरेली में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक परिवार नियोजन केन्द्र किराये के भवन में कार्यरत हैं।

वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है।

परिवार नियोजन केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी किन्तु बाद में धनाभाव के कारण भारत सरकार के निर्देशों पर इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

राजकीय मेडिकल कालेजों तथा के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में अनुसूचित जाति के अध्यापक

*35--श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार से संबंधित सभी मेडिकल कालेजों तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित के0 जी0 मेडिकल कालेज में होने वाली नियुक्तियां जैसे डिमान्सट्रेटर, लेक्चरर, रजिस्ट्रार, मेडिकल आफिसर, प्रोफेसर आदि में अनुसूचित जातियों के प्रार्थियों के लिये वरीयता या आरक्षण प्रदान है ? यदि हां, तो ऐसे कितने डाक्टर प्रदेश के मेडिकल कालेजों में सेवारत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार इस विषय में क्या कदम उठा रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रोफेसर, रीडर व लेक्चरर आदि के पदों पर नियुक्ति के लिये अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इन पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 5 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा शिथिल किये जाने की सुविधा रहती है।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ,लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है और विश्वविद्यालय के नियमों में भी उक्त पदों पर नियुक्ति के लिये आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है ।

इस समय राजकीय मेडिकल कालेजों तथा के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में अनुसूचित जाति का कोई अध्यापक कार्यरत नहीं है ।

यद्यपि इन पदों के लिये अनुसूचित जाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते, फिर भी शासन द्वारा इन पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

[मंगलवार, दिनांक १७ दिसम्बर, १९७४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला भूमि संरक्षण कार्यालय, खीरी में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायती-पत्र

*1--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर-खीरी)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं एवं जिला भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा सार्वजनिक धन एवं संपत्ति का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में दिनांक 20-5-74 से 10-8-74 के बीच कितने शिकायती-पत्र श्री इन्द्रपाल सिंह, ब्लाक प्रमुख पसिगवां, जिला खीरी तथा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, मैगलगंज जिला खीरी द्वारा भेजे गये प्राप्त हुये ? मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

दिनांक 20-5-74 से 10-8-74 के मध्य सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, मैगलगंज, खीरी से कोई शिकायती-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है और न ही कृषि विभाग का कोई ऐसा पद वहां स्वीकृत है । उक्त अवधि में सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक, मैगलगंज से 0 अपवाद पत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें इन्हीं के द्वारा सत्यापित एक सूचना प्रति श्री इन्द्रपाल सिंह, ब्लाक प्रमुख, पसिवां, खीरी की भी सम्मिलित है। इनमें मुख्य आरोप निम्न प्रकार हैं :---

(1) अलियापुर परियोजना खीरी में एग्रो इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन के ट्रैक्टरों द्वारा प्राइवेट जुताई कराकर सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक व भूमि संरक्षण निरीक्षक द्वारा पैसा वसूला जाना ।

(2) उक्त परियोजना में प्राइवेट जुताई के घंटों को समतलीकरण में समायोजित कर कृषकों पर अतिरिक्त खर्चा डाला जाना ।

(3) उक्त परियोजना में ठेकेदार को फर्जी भुगतान किया जाना ।

(4) उक्त परियोजना में नकद पैसा लेकर गन्ने की ढुलाई के घंटों को कृषकों के खसरों के विरुद्ध समतलीकरण कार्य के रूप में समायोजित कर दिया जाना ।

(5) श्री शिव कुमार भारद्वाज, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक, मैगलगंज को तीन माह का वेतन नहीं भुगतान किया जाना ।

उपरोक्त सभी कथित आरोपों की जांच उप निदेशक, भूमि संरक्षण, लखनऊ द्वारा करने पर असत्य पाये गये । श्री भारद्वाज, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक को बकाया वेतन भुगतान कर दिया गया है । संबंधित कार्यकर्ताओं का स्थानान्तरण भी कर दिया गया है ।

1~~25~~07

7679

जिला परिवार नियोजन कार्यालय बस्ती के मृत कर्मचारी की उपलब्धियों का भुगतान

*2—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिवार नियोजन कार्यालय बस्ती के किसी स्थायी कर्मचारी की मृत्यु 1972 में हो गई थी जबकि वह सेवारत था ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी के अधिकृत परिवार को उसकी उपलब्धियों का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां, चूंकि इनकी उपलब्धियों के भुगतान का मामला महालेखाकार द्वारा अभी तक तय नहीं किया जा सका है। अतः इनके परिवार को अन्तःकालीन पेन्शन स्वीकृत की जा रही है।

*3-4—श्री राम सेवक यादव—

[विवंगत हो जाने के कारण निरस्त]

शीतगृह, बूढ़नपुर, जिला आजमगढ़ में रखे गये आलू की क्षति तथा क्षति पूर्ति की कथित मांग

*5—श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

दिनांक 6-8-74 के नत्थी (घ) तारा0 प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय सहकारी संघ से कितना रुपया क्षतिपूर्ति हेतु मांगा गया है तथा यह भी सही है कि जेनरेटर की खराबी के कारण ही शीत गृह म पूरी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पायी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं, प्रान्तीय सहकारी संघ से क्षति-पूर्ति हेतु रुपये की मांग नहीं की गई है। विद्युत विभाग के उप-केन्द्र फीडर के जल जाने तथा जेनरेटर की खराबी के कारण शीतगृह को पूरी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पायी।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के संक्रामक रोग शाखा के निलम्बित कर्मचारियों के बहाली का आदेश

*6—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 13-12-72 को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय संक्रामक रोग शाखा में कार्य करने वाले कैशियर एवं मुख्य लिपिक को क्यों निलम्बित किया गया था और 14-8-73 को उन्हें फिर क्यों बहाल कर लिया गया। उन कर्मचारियों को निलम्बित करते समय क्या शासनादेश दि0 22-4-71 को ध्यान में रखा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के संक्रामक रोग शाखा में कार्य करने वाले कैशियर एवं मुख्य लिपिक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रारम्भिक जांच में आरोप गंभीर पाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 13 दिसम्बर, 1972 को उन्हें निलम्बित किया गया था। नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा विभागीय जांच में उन पर लगाये गये आरोप आंशिक रूप से ही सिद्ध होने के कारण उन्हें केवल

[श्री लक्ष्मीशंकर यादव]

चेतावनी देकर 14 अगस्त, 1973 से बहाल कर दिया गया। इस विषय पर दिनांक 22 अप्रैल, 1971 का कोई शासनादेश नहीं है। इसलिये उसके अनुसार कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

टाउन एरिया कमेटी पूरनपुर, जिला पीलीभीत द्वारा तहबाजारी की वसूली

*7--श्री हरीश चन्द्र खंडेलवाल (जिला पीलीभीत)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत जिले की टाउन एरिया कमेटी पूरनपूर द्वारा दिनांक 1-1-73 से तहबाजारी की वसूली प्रारम्भ कर दी गई जिसकी सूचना का एक परचा चेयरमैन के हस्ताक्षर से बांटा गया? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा तहबाजारी वसूल करने की स्वीकृति कमेटी को दी गई थी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

टाउन एरिया कमेटी पूरनपुर ने बिना जिला मैजिस्ट्रेट की स्वीकृति प्राप्त किये अपने क्षेत्र में दिनांक 1 जनवरी, 1973 से तहबाजारी की वसूली आरम्भ कर दी थी जिसकी शिकायत मिलने पर जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा वसूली रुकवा दी गयी तथा टाउन एरिया कमेटी को निर्देश दिये गये कि नियमों के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही तहबाजारी लगावें और वसूल करें। उक्त कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है और न तहबाजारी की वसूली की जा रही है। तहबाजारी वसूल करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती जिला मजिस्ट्रेट ही यह स्वीकृति देने के लिये सक्षम हैं।

शाहजहांपुर जिले की जिलालाबाद टाउन एरिया को नगरपालिका बनाने की मांग

*8--श्री दलसिंह यादव (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलालाबाद टाउन एरिया, जिला शाहजहांपुर को नगरपालिका में प्रोन्नत करने हेतु राज्य सरकार को जिलाधिकारी द्वारा कोई आख्या प्रेषित की गई? यदि हां, तो यह आख्या कब प्राप्त हुई तथा सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां। यह आख्या शासन को दिनांक 13-9-74 को प्राप्त हुई। शासन ने इस आख्या पर अपने पत्र दिनांक 28-9-74 द्वारा कुछ सूचनायें मांगीं थीं जो अब दिनांक 13-12-74 को जिलाधिकारी से प्राप्त हुई है। उसके आधार पर जलालाबाद टाउन एरिया को चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका बनाये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

जसपुरा विकास खंड, जिला बांदा के बी० डी० ओ० के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*9--श्री मधुकर दिघे, श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया) तथा श्री कालीचरन यादव (जिला गाजीपुर) तथा श्री बेग प्रसाद वर्मा--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बी० डी० ओ० विकास खंड जसपुरा जिला बांदा, के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं तथा रिश्तेदारों के प्रति पक्षपात पूर्ण कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता के दो पत्र दिनांक 13-8-84 तथा 20-8-74 उन्हें मुख्य मंत्री को व आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पत्रों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी हां। इन शिकायती पत्रों को जिलाधिकारी, बांदा के पास जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

भूमि विकास बैंक से प्राप्त ऋण पम्पसेट खरीदने हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित फर्में

*10---श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूमि विकास बैंकों से कर्ज लेकर काश्तकारों द्वारा जो पंपिंग सेट खरीदे जाते हैं तो ऐसे पंपिंग सेटों की बिक्री के लिये फिर-फिर फर्मों तथा इन्जनों को मान्यता प्रदान की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

भूमि विकास बैंक से कर्ज लेकर उन सभी पम्पसेट के निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं से पम्पसेट खरीद सकते हैं जो उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश से रेट कान्ट्रैक्ट के अन्तर्गत अनुमोदित हैं। ऐसे फर्मों तथा इंजनों की संख्या क्रमशः 145 तथा 242 है।

पम्पसेट के जेट इंजन के प्रकाशित मूल्य सूची एवं सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्य में अन्तर

*11---श्री रघुनाथ सिंह---

क्या सरकार का ध्यान सेन्ट्रल सेल्स कारपोरेशन के जेट (इंजन) राजकोट द्वारा विकास कार्यालयों को भेजी गई उस सूची की ओर गया है जिसमें कि 5 हार्स पावर सी0 सी0 सैट 3×2, 1/2 पम्प 1500 और एच0एम0 का विक्रय मूल्य 4149.50 पैसे रखा गया है जबकि इसी इंजन का सामान्य जनता के लिये विक्रय मूल्य उनके द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार 1,900 रुपया है? यदि हां, तो इस अन्तर का कारण क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

पांच हार्स पावर के जेट इंजन का रेट कान्ट्रैक्ट के अनुसार वर्तमान मूल्य 2,850 रुपया है तथा साथ में प्रयोग आने वाली आवश्यक फुटकर सामग्री, सरचार्ज तथा टैक्स सहित सम्पूर्ण पम्पसेट का मूल्य रु0 4149.50 पैसे हैं। इस इंजन का मूल्य 2,850 रुपये उद्योग निदेशक द्वारा अनुमोदित है। सामान्य जनता के लिये प्रकाशित मूल्य सूची में भी इसका मूल्य रु0 4149.50 पै0 है।

विकास खण्ड देवा, जिला बाराबंकी की ग्राम सेविका के अवशेष वेतन का भुगतान

*12---श्री मधुकर दिघे---

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री को पता है कि विकास खण्ड देवा, जिला बाराबंकी में कार्यरत कुछ ग्राम सेविकाओं का 1-8-1972 से 17-10-72 तक का वेतन बकाया पड़ा है? यदि हां, तो क्यों और सरकार उसके भुगतान के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जनपद बाराबंकी के वि0 खं0, देवा में 5 ग्राम सेविकाएं कार्यरत हैं जिनमें से 4 ग्राम सेविकाओं का वर्ष 1972 का कोई अवशेष वेतन देय नहीं है। एक ग्राम सेविका का 1-8-72 से 18-10-72 तक का वेतन विकास खण्ड, अहरौरी हरदोई से भुगतान होना शेष है। बकाया

[श्री बल्देव सिंह आर्य]

वेतन का बिल महालेखाकार इलाहाबाद को सत्यापन हेतु भेजा गया है, प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायगी ।

आजमगढ़ जिले की हरिजन बस्तियों में अर्धनिर्मित कूप

*13—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री दिनांक 23-7-74 के तारांकित प्रश्न सं0 9 और 10 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि अपूर्ण कुओं का अनुदान वितरण कब-कब तथा किसको-किसको किया गया था और अपूर्ण रहने का कारण क्या है? और उक्त प्रश्नोत्तर के बाद अपूर्ण कुओं की जांच किस अधिकारी से कराई गई और उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

पिछले प्रश्न के उत्तर में जो 14 अपूर्ण कुएं बताये गये थे, उनमें केवल 11 कूप, जो हरिजन सहायक विभाग द्वारा अनुदान देकर बनाये जा रहे हैं उनके अनुदान का विवरण व जांच का निष्कर्ष संलग्न तालिका में दिया दिया है । कुएं अनुदान ग्रहीता की अपनी सुविधानुसार बन रहे हैं ।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ 79-80 पर)

कृषि विभाग के कृषि सेवा वर्ग-3 के कर्मचारियों का विचाराधीन पेन्शन

*14—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 4 एवं 5 के अस्थायी कर्मचारियों को वर्ग (3) के पेंशन-बिल अधिष्ठान में समाहित होने के बाद भी सिविल सर्विस रेग्यूलेशन की धारा 370 एवं कृषि निदेशक के पेन्शन परिपत्र संख्या 154 में दिये गये शासनादेशों के अनुसार इन कर्मचारियों की अस्थायी सेवा की गणना 1-4-74 से पेन्शन के लिये नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कृषि विभाग के भूतपूर्व अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 4 व 5 के कर्मचारियों को अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 में समाहित करने के दिनांक 1-4-47 से की गई सेवाओं की गणना पेन्शन हेतु करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

सहायक कृषि निरीक्षक जसराना, जिला मैनपुरी का निलम्बन

*15—श्री शारदा प्रसाद रावत श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद) तथा श्री राम निहोर (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक कृषि निरीक्षक जसराना, जिला मैनपुरी को दफा 409 में दिनांक 6-8-1963 को निलम्बित किया गया था जिसे बाद में सेशन जज मैनपुरी की अदालत में दिनांक 6-5-71 को निर्दोष पाये जाने का निर्णय दिया और इस फैसले के आधार पर ही जिला कृषि अधिकारी, मैनपुरी ने 24-1-72 को उप निदेशक, कृषि आगरा मंडल को लिखा कि न्यायालय के निर्णय को अंतिम मानते हुए इनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है इसलिये इन्हें निर्णय की तारीख से बहाल करने की सहमति प्रदान की जाय? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसके बावजूद भी उक्त सहायक कृषि निरीक्षक को अब तक बहाल नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 81 पर)

*16--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

ग्राम चन्दपुरवा, जिला हमीरपुर में टाइम डिपाजिट खाते में जमा की गई कथित धनराशि

1--श्री प्रताप नारायण (जिला हमीरपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम चन्दपुरवा बुजुर्ग जनपद हमीरपुर में दिनांक 31-1-74 को कोई धनराशि का 2 वर्ष के लिये टाइम डिपाजिट हुआ है? यदि हां तो वह धनराशि कितनी है तथा धनराशि जमा करने वाले का नाम क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

संबंधित दिनांक को कोई धनराशि टाइम डिपाजिट खाते में जमा नहीं की गई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

कानपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीतर गांव के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

2--कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र भीतर गांव के सम्बन्धित कर्मचारियों को अप्रैल, 1974 का वेतन दिया गया था यदि हां, तो कब? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

समस्त कर्मचारियों को माह अप्रैल, के वेतन का भुगतान 13 मई से 16 अक्टूबर, 1974 के बीच कर दिया गया है।

आबकारी विभाग में कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारी

3--डाक्टर मलिखान सिंह (जिला जालौन)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में विभिन्न वर्गों में सेवारत कर्मचारियों की कितनी संख्या है तथा उनमें अनुसूचित जाति के कर्मचारी कितने हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 82 पर)

मिर्जापुर जिला परिषद् को विभिन्न मदों पर दी गयी धनराशि

4--श्री राम सुन्दर पांडेय--

दिनांक 30-7-74 के तारांकित प्रश्न सं0 78 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1971-72 में जो धनराशि जिला परिषद् मिर्जापुर को दी गई है उसमें से टाट पट्टी आदि के क्रय करने में तथा लिंक रोड बनाने में अलग-अलग कितना रुपया व्यय किया गया है और लिंक रोड कौन-कौन बनाये गये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

वर्ष 1971-72 में जो धनराशि दी गई थी, उसमें से टाट पट्टी नहीं क्रय की गई । यह धनराशि उस समय जिन जिन मदों पर व्यय की गई, वह निम्नलिखित हैं:--

	रु0
1--लिंक रोड के निर्माण पर	2,35,000
2--अध्यापकों के वेतन पर	12,30,000
3--साज-सज्जा	6,000
4--दुकानों के निर्माण पर	10,000
योग ..	14,81,000

जिन सड़कों के निर्माण पर यह धनराशि व्यय की गई है तथा कार्य जारी है, उनके नाम निम्नलिखित हैं:--

1--मीरजापुर-गोपीगंज रोड
2--मुजेहरा-फीडर रोड
3--विन्हम-फीडर रोड
4--भटौली-मीरजापुर रोड
5--टांडा-फीडर रोड
6--कछवा-कटका रोड
7--शाहगंज-राजपुर रोड
8--मडिहान-पटेहरा रोड
9--बेलहरा-रजवाहा रोड

आजमगढ़ जिले में रजावपुर-भीमवर वाया बाजार गोशाई मार्ग का निर्माण

5--श्री रामसुन्दर पान्डेय--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत रजावपुर भीमवर वाया बाजार गोशाई का निर्माण क्रेश प्रोग्राम के अधीन कब प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो अब तक पूरा न होने का कारण क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

यह सड़क क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत नहीं ली गई । रजावपुर से हरैया तक सड़क का कार्य-क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत 11 दिसम्बर, 1971 से लिया गया था । इस पर मिट्टी, पुलिया एवं ईट की सोलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है । 4 किलोमीटर पर एक कोट गिट्टी कूटी जा चुकी है । गाजीपुर से प्राप्त रोड रोलर के खराब हो जाने के कारण गिट्टी कूटने का कार्य पूरा न हो सका । पुनः रोड रोलर हेतु प्रयत्न किया जा रहा है ।

बाराबंकी जिले के कृषि अमीनों का निलम्बन

6—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में 7 वर्षों से सेवारत कृषि अमीनों को 1 सितम्बर, 1974 से निकाला जा रहा है? यदि हां, तो क्यों, कितने लोगों को और किस आधार पर निकाला जा रहा है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बाराबंकी जनपद में कार्यरत कृषि अमीनों को 1 सितम्बर, 1974 से निकालने का कोई प्रस्ताव नहीं था। 28-8-74 को 12 कृषि अमीनों की सेवायें जिलाधिकारी के आदेशानुसार समाप्त की गई थीं क्योंकि इन अमीनों की वसूली बहुत ही कम थी एवं अनेक प्रयासों के उपरान्त भी इनकी कार्यक्षमता में कोई प्रगति नहीं हुई।

7—श्री मोहम्मद रफी खां—

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित।]

टाउन एरिया कमेटी पूरनपुर, जिला पीलीभीत में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत

8—श्री हरीश चन्द्र खन्डेलवाल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत जिला स्थित टा० ए० कमेटी पूरनपुर में व्याप्त अनियमितताओं, भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग सम्बन्धी कितने शिकायती-पत्र वित्तीय वर्ष 1972-73 व 1973-74 में जिला अधिकारी पीलीभीत को प्राप्त हुये? शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वर्ष 1972-73 में 7 शिकायती पत्र तथा वर्ष 1973-74 में 5 शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, पीलीभीत को प्राप्त हुए थे। इन शिकायती-पत्रों में की गई शिकायतों तथा उन पर कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 83-85 पर)

पंचायतराज विभाग के पंचायत सेवकों का मांगपत्र

9—श्री सुखद राज सिंह तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या मन्त्री जी कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश में कार्यरत पंचायतराज विभाग के 200 पंचायत सेवकों को गत 24-24 वर्ष से एक ही वेतनमान में कार्य करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें अधिकारियों के समान उनकी लम्बी विभागीय सेवा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए सेलेक्सन ग्रेड दिये जाने पर विचार करेगी तथा क्या इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज कृषक संघ का कोई मांग-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

पंचायत सेवक पहली अक्तूबर, 1971 से पूर्व पंचायत मन्त्री के नाम से जाने जाते थे तथा राजकीय कर्मचारी नहीं थे। उक्त तिथि से उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया तथा वेतन आयोग की संस्तुति पर उनका वर्तमान पुनरीक्षित वेतनमान 175-3-205-ब० रो०-

4-225-द0 रो0-5-250 रु0 है जो पहली अगस्त, 1972 से लागू किया गया है। वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत पदों को 185-265 रु0 के वेतनमान में रखने की संस्तुति की है। उ0प्र0 पंचायत सेवक संघ की ओर से मांग-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें 230-380 रु0 का वेतनमान देने तथा 25 प्रतिशत पदों को 280-450 रु0 का सेलेक्शन ग्रेड देने की मांग भी सम्मिलित है। ये मांगें वेतन असंगति समिति के विचाराधीन हैं।

ललितपुर जिले के विकास खण्ड मड़ावरा व विरधा का अधूरा भवन निर्माण

10--श्री रघुनाथ सिंह--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जनपद ललितपुर के विकास खण्ड मड़ावरा व विरधा में बनवाले विकास खंड कार्यालय भवन का निर्माण अभी तक क्यों पूरा नहीं हुआ तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है।

केन्द्रीय कारागार नैनी के वृद्ध कैदियों को मुक्त करने की मांग

11--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनी सेन्ट्रल जेल में कितने ऐसे कैदी हैं जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं और उनकी उम्र भी 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है? यदि हां, तो ऐसी दशा में उन्हें छोड़ने के सम्बन्ध में क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

केन्द्रीय कारागार, नैनी में केवल एक बन्दी है जिसकी आयु 81 वर्ष है जो चलने फिरने में असमर्थ है। उसके स्वास्थ्य के विषय में डाक्टरी रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके प्राप्त होने पर उसकी जेल से पूर्व मुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

नैनी सेन्ट्रल जेल के कैदी श्री तुफैल अहमद को रिहा करने का कथित आदेश

12--श्री अठई राम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनी सेन्ट्रल जेल मे बन्द कैदी श्री फना गोरखपुरी (तुफैल अहमद) को 11 जून, 73 को सरकार का यह आदेश हुआ था कि उन्हें रिहा कर दिया जाय और दूसरा आदेश यह हुआ था कि उनको बी० क्लास दिया जाय? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

केन्द्रीय कारागार, नैनी के बन्दी तुफैल अहमद फना के जेल से मुक्त किये जाने तथा उन्हें जेल में बी क्लास, यदि इससे उच्च श्रेणी का तात्पर्य है, दिये जाने हेतु शासन के कोई आदेश नहीं हुए हैं।

13--श्री राम सुन्दर पाण्डेय--

[4थे सोमवार में प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जौनपुर जिले के धर्मापुर विकास क्षेत्र में पेयजल योजना की मांग

14---श्री उमा नाथ---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करगे कि जौनपुर जनपद के धर्मापुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल योजना के अन्तर्गत कहां-कहां नलकूप लगाये जाने का प्रस्ताव सन् 1972 से शासन के विचाराधीन है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

बाराबंकी नगरस्थित थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

15---श्री राम चरन शाह (जिला लखीमपुर-खीरी)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी नगर स्थित थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में हुई जांच (1973-74 तथा 1974-75 में 31 अगस्त के बीच) के परिणाम स्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

प्रश्न में उल्लिखित जांच से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये हैं:---

(1) 1972-73 तथा 1973-74 में भंडार के तत्कालीन सचिव ने भंडार के अन्य कर्मचारियों से सांठ-गांठ करके कतिपय वस्तुओं की अवैधानिक बिक्री से 22,901.39 रुपये का अपहरण किया ।

(2) वर्ष 1974-75 में अवैधानिक रूप से बिक्री करके 17,249.50 रुपये की भण्डार को क्षति पहुंचाई गई ।

उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में निम्नांकित कार्यवाही की गई:---

ऊपर नं0 (1) के सम्बन्ध में दिनांक 18-9-73 को एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई और विशेष अनुसन्धान शाखा द्वारा जांच की जा रही है । साथ ही संबंधित सचिव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है तथा अन्य संबंधित कर्मचारियों को भण्डार की सेवा से पृथक करके उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत सरचार्ज की कार्यवाही की जा रही है ।

ऊपर नं0 (2) के संबंध में भी क्षति की पूर्ति के लिये उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत सरचार्ज की कार्यवाही की जा रही है ।

विकास खण्ड सिकुपुरा व जैथरा, जिला एटा की साधन सहकारी समितियों द्वारा काश्तकारों को दिया गया ऋण

16---श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिला में विकास खंड सिकुपुरा तथा जैथरा में साधन सहकारी समितियों के माध्यम से काश्तकारों पर कितना कर्ज बंटा हुआ है और उसमें से 2 वर्ष पूर्व से कितना बकाया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

एटा जिला के विकास खण्ड सिद्धपुरा में साधन सहकारी समितियों के माध्यम से काश्तकारों को रु0 6,458.88 बटा हुआ है जो बकाये में है ।

2--उपरोक्त जिले के जैथरा विकास खण्ड में साधन सहकारी समितियों के माध्यम से रु0 5,43,629.00 बटा हुआ है जिसमें से रु0 1,88,493 दो वर्ष से पूर्व का बकाया है ।

पशुचिकित्सक तथा चिकित्सा अधिकारी को स्वयं अपना वेतन आहरण न करने का अधिकार

17--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक तथा पशुचिकित्सा अधिकारी राज पत्रित होने के बाद भी अपना वेतन स्वयं आहरण नहीं कर सकते हैं? यदि हां, तो एसा क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वर्तमान शासनादेश के अनुसार समस्त राजपत्रित अधिकारियों जिनके वेतनमान का अधिकतम 1200 रु0 से अधिक न हो, के वेतन तथा भत्ते इत्यादि के आहरण एवं वितरण का अधिकार कार्यालयाध्यक्षों को प्राप्त है । इसलिए पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक तथा पशु चिकित्सा अधिकारियों को वेतन स्वयं आहरण करने का अधिकार दिय जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उनके वेतनमान का अधिकतम 1200 रु0 से कम है ।

18--श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[4थे सोमवार में प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला कारागार लखीमपुर खीरी के वार्डर का निलम्बन भत्ता

19--श्री मन्ना लाल--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी जिला कारागार में कार्यरत कौन-कौन वार्डर कब-कब से निलम्बित हैं तथा उनको निलम्बन का लिखित आदेश तथा चार्ज शीट किस-किस तिथि को दी गई तथा उपरोक्त निलम्बित वार्डरों को निलम्बन भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो किस दर से ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

केवल एक वार्डर श्री मुहम्मद अली दिनांक 24-10-73 से निलम्बित है । उन पर निलम्बन का लिखित आदेश दिनांक 5-11-73 को तामील किया गया । उनको प्रथम बार चार्जशीट दिनांक 8-11-73 को और पुनः संशोधित चार्जशीट दिनांक 3-6-74 को दी गई । उनको निलम्बन भत्ता वेतन का 1/3 के दर से निर्वाह भत्ता के रूप में दिया जा रहा है परन्तु कारागार महानिरीक्षक ने नियुक्ति अधिकारी को यह आदेश दे दिये हैं कि निर्वाह भत्ता वर्तमान शासनादेशों के अनुसार दिया जाय ।

20--श्री हिम्मत सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

स्वास्थ्य सेवा निदेशक कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध गबन सम्बन्धी सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट

21--श्री हिम्मत सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 के वर्षों में स्वास्थ्य सेवा निदेशक कार्यालय के कर्मचारियों (श्री बी० बी० सिंह पी० ए० स्वास्थ्य सेवा निदेशक एवं श्री एम० ए० अन्सारी भू० पू० मुख्य सहायक स्वास्थ्य सेवा निदेशक) के विरुद्ध गबन एवं भ्रष्टाचार की कुछ प्राप्त शिकायतों की गुप्तचर विभाग एवं सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और इन कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां। जांच रिपोर्ट में विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है, जो प्रगति में है।

भूतपूर्व सदस्या तथा मुख्य मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष जी, आज हम सब जो यहां सदन में एकत्रित हुए हैं उस वक्त एक दुखद सिलसिले से हम सब का दिल भर आता है। हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम की महान सेनानी, गांधी युग की देन, भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक पदों को सुशोभित करने वाली और हमारे इस सदन की जो नेता एवं प्रदेश की मुख्य मंत्री श्रीमती सुचेता कृपालानी का पहली दिसम्बर को दिल्ली में हृदयगति रुकने से निधन हो गया। मान्यवर, जिन लोगों को भी सुचेता जी के साथ काम करने का अवसर मिला है उन्हें अच्छी तरह स्मरण होगा, उन्हें अच्छी तरह जानकारी होगी कि वह कितनी निर्भीक, कितनी दृढ़-प्रतिज्ञ और कितनी अपने रास्ते पर अविचल गति से चलने वाली महिला थीं। उनके निधन से केवल महिला जगत को नहीं, भारत के सार्वजनिक और राजनैतिक जीवन को गहरा धक्का लगा है। सौभाग्य से मुझे 1938 से जब मैं इन्टर-मीडिएट फर्स्ट इअर में पढ़ता था, उस समय से मान्यवर, सुचेता जी के साथ एक स्वयंसेवक के नाते काम करने का अवसर मिला था। मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है जब सन् 1931 में गांधी जी के आह्वान पर सुचेता जी खद्दर बेचने के लिये हमारे बोर्डिंग-हाउस में आई थीं। वही थी उनके साथ मेरी पहली पहचान, जो उनके साथ हुई थी, उस दिन से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके साथ राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक बहुत सुन्दर और सुखद एक के बाद दूसरा प्रकरण याद आता है। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की एक प्रवक्ता के रूप में ही नहीं पढ़ी-लिखी औरतों में प्रमुख होने के नाते ही नहीं, गांधी युग की महान् देन के नाते ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक के नाते भी लोग उन्हें सदैव याद करेंगे। सुचेता जी का सार्वजनिक जीवन और पारिवारिक जीवन के साथ जैसा हमेशा एक दृष्टिकोण रहा है और रहा था, वह एक उदाहरण है। वह बहुत दिनों तक कांग्रेस की सेवा करती रही। कांग्रेस के बाहर भी गईं, आचार्य जी के साथ नई पार्टी को जन्म भी दिया, श्रद्धेय आचार्य जी की राय के खिलाफ कांग्रेस में भी लौट आईं कांग्रेस की मुख्य मंत्री भी रहीं, लेकिन आचार्य जी को उनका ऐसा सहयोगी और धर्म पत्नी और उनका ऐसा सुन्दर, सुखी परिवार जो मिला वह औरों के लिए प्रायः कठिन होता है, यदि परिवार में राजनैतिक मतैक्य न हो।

सुचेता जी की कहानी स्वाराज्य की लड़ाई की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। भारत के विभाजन की दुखद घड़ी याद आती है, जब साम्प्रदायिकता भारत के अन्दर और पाकिस्तान में नग्न नृत्य कर रही थी, खून की प्यासी हो रही थी, उस समय नोआखाली में सेवाग्राम के

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

अमर सन्त के साथ उन्होंने जिस साहस के साथ जो सराहनीय कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के साथ दिल्ली में जिस लगन और कर्मठता तथा तन, मन, धन से उन्होंने सेवा कार्य किया, वह स्वयं में एक लम्बी कथा है। वह एक अमर गाथा है जो भारत-वासियों के लिये आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी, लोगों के हृदय में अटल छाप छोड़ें रहेगी जो उस पीढ़ी के हैं, जिनके सामने देश का विभाजन हुआ था।

सुचेता जी एक सुसंस्कृत महिला भी थीं। संगीत के साथ भी उनका बहुत रुचिकर सम्बन्ध था। रोमांच हो आता है जब वह समय याद आता है, जिस समय संविधान सभा में आखिरी दिन जब हमारा झंडा ऊंचा हो रहा था। रिपब्लिकन हिन्दुस्तान का जन्म हो रहा था तो उन्होंने बन्दे मातरम् का गान संसद के हाल में अपनी उस अमर वाणी मे, भारत के उस अमर संगीत को गाया था। हमारे लिए, जो उनके साथ काम करने वाले रहे हैं या जो उनके जमाने के भारतीय राजनीतिक जीवन में काम करने वाले हैं विचारों की विभिन्नता के बावजूद उनकी कार्यशैली, उनके जीवन के अपने मूल्य, उनके जीवन का माधुर्य, कड़वाहट की कमी यह हमेशा याद रहेगा। मान्यवर, उनके निधन से हमारे महारथी श्रद्धेय आचार्य जी को गहरा धक्का लगा है। इस उम्र में, उस सहयोगी को, जो जीवन के झंझावाद के युग में उनका साथी बना, खो देना, आचार्य जी के लिए बहुत दुखद घटना है। लेकिन आचार्य जी भी उन लोगों में से हैं जो दुख और सुख के बीच में, जिन्होंने बहुत अन्तर नहीं माना है, त्याग, तपस्या और बलिदान के साथ जिनका सम्बन्ध रहा है। हम जानते हैं कि इस व्यक्तिगत हानि से उनको बहुत कष्ट पहुंचेगा लेकिन एक ही बात है। उनकी हानि सारे भारत की हानि है। और इसलिए उनका दुख लाखों हृदयों का दुख है। शायद यह सहारा आचार्य जी को कुछ मदद कर सके।

मान्यवर, मैं अपनी ओर से, कांग्रेस दल और इस सदन की ओर से श्रीमती सुचेता कृपालानी के सम्मान में, उनकी स्मृति में, अपना सर झुकाते हुए उनकी आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आचार्य कृपालानी जी को इस महान दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें, और भारतीय महिला जगत को सुचेता जी के आदर्शों से बल मिले। भारतीय महिला आदर्श, महिला शक्ति जागरण के प्रतीक रूप में जो उनका आदर्श था, उस आदर्श को, शक्तिवान बनाने में इस देश के लोगों को और जनता को सहायता मिले। इस प्रार्थना के साथ मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी समवेदना आचार्य जी के पास पहुंचाने की कृपा करें।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ माननीय नेता सदन ने इस सम्बन्ध में कहा है, पूर्णतया सहमत हूं। श्रीमती सुचेता जी हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों की सबसे अगली पंक्ति में रहने वाली एक महिला थीं। यों तो बहुत सी महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, संग्राम चला भी लम्बा। लेकिन इनी-गिनी ऊपर दरजे की जो महिलाएं थीं, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती चटोपाध्याय, आदि उनमें उनकी गणना होती थी। मैं इस सिलसिले में केवल एक ही बात कह कर अपना कथन समाप्त करूंगा क्योंकि उन्हीं बातों को दोहराना होगा जो माननीय बहुगुणा जी ने कहा है। मैं 20 नवम्बर को दिल्ली गया था क्योंकि हमारे सहयोगी रामसेवक यादव जी 19 तारीख को इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज में पहुंचाये गये थे, मगर उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो एयरोड्रोम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर मैं और मेरे दल, भारतीय लोक दल, के मेरे साथी श्री पीलू मोदी, श्री राज नारायण वगैरह थे उनको मालूम हुआ कि आचार्य कृपालानी जी की तबियत खराब है। तो अस्पताल में जाने के बजाय हम और हमारे साथी आचार्य जी के मकान पर पहुंचे। आचार्य जी की हालत बहुत खराब थी और आक्सीजन सिलेंटर वहां पर रखा हुआ था। उसके देखने से मालूम हुआ कि उनकी बहुत ही नाजुक स्थिति थी। एक बार पहले भी हो चुकी थी। तो हम लोग बजाय सब उनके कमरे में एक साथ जाने के एक-एक करके उनके पास गये और अपने दल की अपनी तकलीफ थोड़े लफ्जों में उनसे जाहिर की। और, परमात्मा से प्रार्थना की कि जल्दी ही आचार्य जी रिकवर हो जावें। वहां बहिन सुचेता जी बराबर उस कमरे में हमारे साथ रहीं। हम लोग सिर्फ तीन आदमी ही मिल पाये थे तभी हम सबने मिल कर तय किया कि अब और कोई नहीं मिलेगा क्योंकि उससे उनके हृदय पर भार पड़ेगा। तो हमने सुचेता जी को बाहर बुलवाया, वह बहुत थकी सी मालूम होती थीं जिससे यह मालूम होता था कि उन पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन है। तो हम सबने उनसे यह कहा कि ठीक है कि आचार्य जी की सेवा करना आपका परम कर्त्तव्य है परन्तु सेवा भी आप उनकी तभी कर पायेंगी जब कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। खैर रखा होगा जरूर उन्होंने लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी थी कि उनको तो भरसक यत्न करना ही था, सेवा-सुश्रूषा करनी थी। यह खुशकिस्मती की बात थी कि आचार्य जी तो रिकवर कर गये। अब इस आघात का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तो स्पष्ट है ही परन्तु वे संकट से निकल आये, और उधर सुचेता जी पर मालूम होता है कि इतना भार हुआ कि वह उसको बरदाश्त नहीं कर सकीं। मैं इन शब्दों के साथ आपसे भारतीय लोक दल की तरफ से और अपनी ओर से भी यही चाहूंगा कि, अब तो उनके परिवार में पहले से ही दो प्राणी थी--तो अब आचार्य जी ही रह गये, उनके पास हमारी समवेदनाएं भेज दें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो विचार स्वर्गीया सुचेता जी के बारे में व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, मुझे भी उनके साथ नेता विरोधी दल के नाते और दूसरी हैसियत से भी काम करने का अवसर मिला था। वे बहुत बहुमुखी प्रतिभावाली थीं, देशभक्त थीं, हमारे नेताओं ने ठीक ही कहा है कि स्वाधीनता संग्राम की पहली पंक्ति में थीं। मान्यवर, निष्ठा और सिद्धान्त के पालन में वे अडिग रहीं। आज के इस युग में जब कि लोग स्वार्थ के लिये अपने सिद्धान्तों को बेचते हैं, ऐसे युग में भी वे कभी डिगी नहीं और उन्होंने कुर्सी के पीछे भी कोई ऐसी शक्ति है इसको नहीं माना। न उन्होंने ठकुरसुहाती कहने का प्रयास किया। मैं यद्यपि नेता विरोधी दल था लेकिन मैं उनका अपने साथ बड़ी आत्मीयता का व्यवहार सदा पाता था। सदन में कुछ भी हो परन्तु सदन के बाहर बड़ा स्नेह भरा उनका व्यवहार होता था। विरोधी पक्ष के प्रति उनका आदर, भावनाओं को आदर और कठिन समस्या में बैठ कर उसको सुलझाने का सदैव प्रयास उनका रहता था। हम लोगों की तरफ से कटुता होते हुये भी कटुता को व्यवहार में न आने देना उनका स्वभाव था।

मान्यवर, विभाजन के बाद यह उनके जीवन की दूसरी कड़ी थी कि उन्होंने नोआखली में अकेले जाकर संतप्त हृदयों की सेवा करने का प्रयास किया और ऐसे पैशाचिक कार्य में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। वह यह समझ कर गई थीं, अपने साथ पोटेशियम साइनाइड लेकर गई थीं कि यदि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ तो इसका प्रयोग किया जायगा। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और पहली महिला मुख्य मंत्री इस प्रदेश की थीं जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना कार्य किया प्रशासन की दृष्टि से मुख्य मंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

जी ने अभी कहा। मैं उनकी एक चीज से विशेष रूप से प्रभावित था। वैसे मैं साधारणतया किसी के यहां बहुत कम जाता हूं। मुझे जब उनके यहां जाने का अवसर मिला और उनके विचारों को सुनने का अवसर मिला तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक नारी को मैंने देखा। अपने हाथ से चाय बनाना, अपने पति की सेवा करना तथा अपना आदर्श पत्नी होने के नाते सदैव अपने सामने रखना। इसको उन्होंने सर्वोपरि रखा था। एक दिन मैंने उनसे कहा था कि इतने आदमी हैं यह सब कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अपने पति की सेवा में जो सन्तोष मुझे मिलता है वह मिलना कठिन है।

मान्यवर, अभी हाल में मैं माननीय कृपालानी जी से मिला और उन्होंने बहुत ठीक ही कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ कि वह मुझे अकेला छोड़ कर चली गईं। मैं और क्या कहूं। अन्य माननीय नेताओं ने काफी कहा है। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वह माननीय कृपालानी जी को शक्ति प्रदान करें कि वह इस अवस्था में इस अपार दुख को सहन कर सकें और उनके प्रति मैं अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और हमारा आने वाला युग हमारी बहनों के लिये एक आदर्श का प्रतीक बने।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्रीमती कृपालानी जी के संबंध में माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मुझे भी श्रीमती कृपालानी जी के साथ में इस सदन में काम करने का मौका मिला है। जिस समय वह इस प्रदेश की नेता और मुख्य मंत्री नियुक्ति हुई थीं तो लोगों के दिलों में यह शंका थी कि शायद अपने प्रदेश के प्रशासन को ठीक तौर से चलाने में वह सक्षम नहीं होंगी। लेकिन थोड़े ही दिनों के कार्य-कलाप से उन्होंने लोगों के दिल के विचारों को बदल दिया और मेरे दिल पर छाप पड़ी मैंने देखा कि वह एक कुशल प्रशासक थीं। वह अपने निर्णयों में बहुत दृढ़ थीं, निर्भीक विचारों की थीं और सच्ची गांधीवादी थीं। वह मेरे दिल पर छाप पड़ी और यह उनकी स्मृति हमारे प्रदेश की ही नहीं, देश के लोगों में भी कायम रहेगी। उनकी मृत्यु से हमारे देश के नारीवर्ग को ही नहीं नुकसान हुआ है बल्कि हमारे पूरे प्रदेश को नुकसान हुआ है और हमारा एक महान सेनानी हमारे बीच से चला गया है। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमती सुचेता कृपालानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि वयोवृद्ध नेता श्रद्धेय आचार्य कृपालानी जी के पास हमारे और हमारे दल के विचार पहुंचाने की कृपा करें।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दुनिया में जो आया है एक दिन उसको जाना है मगर अगर कोई कब्ल अजवक्त उठ जाता है तो ज्यादा दुःख होता है। अभी कुछ दिन हुए कि बड़े जोरों से वह दिल्ली में काम कर रही थीं और जब कि मेरा भी जाना हुआ। इधर कृपालानी जी की बीमारी की वजह से वह काफी परेशान थीं। उनकी जिन्दगी एक इतिहास है, एक इंस्टीट्यूशन है। जब कि वह छात्र थीं, स्टूडेंट थीं, तब से आजादी की लड़ाई में कूद पड़ीं और उस वक्त से लेकर आखीर दम तक उन्होंने अपनी जिन्दगी एक लड़ाई की जिन्दगी बना रखी। खास तौर से उनके कारनामे में जब कि हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हुए वह गांधी जी की सहारा बन कर रहीं जब कि पूरे देश में कुश्तखून हो रहा था। उस जमाने में प्रदेश की मुख्य मंत्री रहीं जब कि यह प्रदेश कठिनाई से गुजर रहा था और किस खूबी से चलाया, वह इस प्रदेश के लोगों को मालूम है। उनके उठ जाने से जाहिर है कि जो धक्का दादा जी को लगा वह बयान से बाहर है। वह एक मजबूत आजादी की खम्भा थीं जब कोई खम्भा गिर जाता है तो बुनियाद हिल जाती है, तो उनके उठ जाने से इस देश की बुनियाद हिल गई। महिलाओं में इस कमी को पूरा करना हमारे ऐसे युग में तो मुश्किल ही नजर आता है। जो हमारे

बुजुर्ग साथियों ने अपने विचार रखे मैं उनको अपने से सम्बद्ध करता हूं और दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा सुखी रहे और जो दादा जी को गम हुआ है उस गम में हम सब शरीक हैं इन शब्दों के साथ मैं खिराजे अकीदत पेश करता हूं ।

*चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीया सुचेता कृपालानी जी के प्रति मैं अपने और अपने सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, सुचेता कृपालानी जी इस देश की महान नेता थीं और वह सारे मुल्क में नारी जाति के लिये आदर्श थीं और वह इस समय खास तौर से विरोधी पक्ष की शक्ति मजबूत करने और देश से भ्रष्टाचार मिटाने में संलग्न थीं। उनकी मृत्यु से जो राजनीतिक मंच पर कमी आयी है वह पूरी नहीं की जा सकती है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा और परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शक्ति मिले तथा आचार्य कृपालानी को जो इस वृद्धावस्था में दुखी हैं उनको उसे सहन करने की शक्ति भगवान प्रदान करे। मैं इन शब्दों के साथ उन्हें अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इन भावनाओं को आचार्य कृपालानी तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं ने श्रीमती सुचेता कृपालानी के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार प्रकट किए हैं, मैं उनसे अपने को और मैं समझता हूं सम्पूर्ण सदन को संबद्ध करता हूं। श्रीमती सुचेता कृपालानी 1908 में पैदा हुई थीं और 67 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और तत्पश्चात् शासन और समाज सेवा और परोपकारिता का जो कार्य और जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वह हमारे लिए परम अनुकरणीय रहेगा। अदम्य उत्साह की महिला जिसने स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में पकड़े गये नेताओं की गिरफ्तारी के उपरान्त गुप्त रेडियो का संचालन कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आवाहन को मुखर किया और यहां भी मुख्य मंत्री के रूप में जो कार्य और जो तत्परता उन्होंने दिखायी है वह चिरस्मरणीय रहेगी। निश्चय ही आचार्य कृपालानी जी दुखी होंगे और यह दुःख अकथनीय है। हम सब भी दुखी हैं और इस दुख की बेला में आचार्य जी के प्रति अपनी संवेदना और अपनी प्रार्थना कि इस क्षति से जो उनके ऊपर धक्का लगा है, उन्हें ईश्वर शक्ति दे, क्षमता दे और मैं आपके द्वारा जो विचार व्यक्त हुए हैं कि मैं उनको आचार्य जी तक पहुंचा दूं तो यह काम मैं निश्चय ही करूंगा।

(सभी सदस्य 2 मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

विधान सभा सदस्य, श्री रामसेवक यादव के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस सदन की ओर से एक और दुखद प्रकरण के सम्बन्ध में भाव व्यक्त करना है। भारतीय लोक दल के उप नेता भाई राम सेवक जी भी इस दुनिया में नहीं रहे। 48 साल की अवस्था में उनका निधन, उनके परिवार के लिये ही नहीं, केवल मात्र भारतीय लोक दल के लिये ही नहीं, मेरा निश्चित दृढ़ मत है कि सारे सदन के लिये और प्रजातांत्रिक प्रणाली को अच्छी तरह से चलाने में विश्वास करने वाले लोगों के लिये, और समाज की सेवा में अपना सारा जीवन बलिदान करने वालों को एक बड़ा भारी सदमा और आघात उनकी मृत्यु के रूप में हुआ है। भाई राम सेवक यादव विद्यार्थी आन्दोलन के प्रोडक्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

थे। वे विद्यार्थी यूनियन और छात्र संगठनों के द्वारा काम करते और फिर विद्यार्थी कांग्रेस के द्वारा काम करते हुए उन्होंने अपनी पूर्ण रूप, राजनीतिक रूप, समाजवादी पार्टी में डाक्टर लोहिया के नेतृत्व में बिताया। उनकी मान्यताओं और आस्थाओं के साथ चल कर तीन बार संसद में और एक बार अपने क्षेत्र का इस सदन में प्रतिनिधित्व किया और कई बार कई जन आन्दोलनों में जेल की सजा और यातना काट कर भी एक पर्वताकार, एक निश्चय पर सोहार्द्र नेता के रूप में हमारे प्रदेश और देश के राजनैतिक जीवन को ऊंचा उठाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरा सौभाग्य रहा कि कुछ विद्यार्थी आन्दोलन के कार्यकाल में उनका और जब तक वे सम्बद्ध रहे कांग्रेस के साथ और उसके बाद इस सदन में और फिर एक बार 1969 में चुनाव के जमाने में, हम दोनों एक्सीडेन्ट होने के नाते बलरामपुर अस्पताल में बगल-बगल के कमरों में रहने के नाते एक आत्मीयता का भाव भाई राम सेवक यादव जी के साथ सहज रूप में उत्पन्न हो गया था।

मान्यवर, मेरे छोटे से राजनैतिक जीवन में बड़े-बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के दर्शन का मौका, सहयोग और सम्पर्क का मौका मिला लेकिन जिस सहायता, गम्भीर स्वभाव और दृढ़ निश्चय का स्वरूप भाई राम सेवक यादव में था वैसा मिलना कठिन होता है। विरोधी दल के होते हुए भी कड़ुवाहट उन्हें छू तक नहीं गई थी। अपने विरोधियों से भी कड़ुवा बोलना नहीं जानते थे। उनकी याद में हमेशा-हमेशा मैं अपनी कृतज्ञता के फूल चढ़ाता रहूंगा क्योंकि पिछले 10-15 साल की अवधि में कोई अवसर नहीं आया जब कि कटुता का आभास भी हमारे और उनके बीच में आया हो। मैं उनकी मृत्यु को किसी एक दल/ की नहीं अपितु समस्त राजनीतिक जीवन की हानि मानता हूं। इस कम उम्र में ही वे भगवान को प्यारे हो गये और उस समय प्यारे हुए जब कि वे विकसित हो रहे थे, जब वे देश की राजनीति में निश्चित दिशा ले रहे थे और उस ओर जाने के साथ ही साथ, जैसा कि मैंने निवेदन किया, संसदीय प्रणाली में भी उनका विश्वास और दृढ़ होता जा रहा था।

पिछले बजट सेशन में उन्होंने इस सदन की कार्यवाही में जो ऊंचा हिस्सा लिया, उससे स्पष्ट होता था कि वे कितनी मेहनत अपने काम में करते थे। मैं समझता हूं कि विरोधी दल में बैठ कर वे अपने कार्य को तैयार करने में कई अड़चनें होती हैं लेकिन मेरा निश्चित विश्वास है कि भाईराम सेवक यादव को कोई अड़चन रास्ते में रोक नहीं सकती थी। उनका शील सौजन्य स्वभाव, नेक नीयति, निष्ठा और लगन व परिपक्वता और अपने रास्ते पर चलने की आकांक्षा, अनुकरणीय थी और उसके साथ ही साथ केवल मात्र अपने विश्वासों को ही सर्वोच्च न मानकर सबको साथ ले चलने की महान् शक्ति के वह प्रतिबिम्ब थे, परछाई थे। उनकी छवि, उनका सारा चेहरा एक अच्छे, सच्चे और उदार राजनीतिज्ञ का चेहरा था। उनके निधन से इस सदन का महान् क्षति हुई है जिसको पूरा करना सम्भव नहीं है। उनके निधन से संसदीय प्रजातंत्र की महान् हानि हुई है जिसको पूरा करना आसान नहीं है। उनकी मृत्यु से यह सदन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं 'पुअरर' हो गया है। यह सदन कुछ सोया-खोया-सा लगता है। उनके निधन से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जीवन का एक बड़ा स्तम्भ उठ गया।

मान्यवर, विचारों की विभिन्नता प्रजातंत्र का प्राण है। पर उसमें सहृदयता और एक विशिष्ट परम्परा के साथ निभाने की शक्ति उन्हीं में थी। दोबारा एक्सीडेन्ट में वह आये। किडनी और जिगर, दोनों ने उनका साथ छोड़ा और मैं ऐसा समझता हूं कि जितनी मेहनत उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में की है और जितनी कमी के बावजूद वह जूझे रहे, उन्होंने अपने शरीर से काम लिया जितना वह ले सकते थे और आखिर सांस तक, दम तोड़ते हुये भी अपने विश्वासों के लिये कार्यरत रहे थे। उनकी याद हमें अनेकों बार आयेगी, इस सदन

में आयेगी। उनकी अनुपस्थिति की बात बार बार हमें खटकेगी। और मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि हमारे हृदय पर उनकी गहरी छाप एक माने में हमारी सहायक और सहारा भी रहेगी।

मान्यवर, मैं अपनी ओर से, अपने समस्त कांग्रेस दल की ओर से, सारे सदन की ओर से माननीय यादव जी की स्मृति में श्रद्धांजलि के पुष्प चढ़ाता हूं और उनके दुखी परिवार के साथ, और मान्यवर स्मरण रहे, उनका परिवार सिर्फ छोटे से गृहस्थ का ही परिवार नहीं, बल्कि सारे राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, एक माने में सभी के साथ अपनी समवेदना व्यक्त करते हुये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके स्वजनों को हमारी समवेदना के भाव पहुंचाने की कृपा करें।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)----

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो कुछ भी इस सिलसिले में कहा है वह अत्यन्त समीचीन है और मैं उससे पूर्णतया भारतीय लोक दल और अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। वह कल तक यहीं इस सीट पर बैठा करते थे। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। मैंने अनेक बार उनसे कहा कि भाग-दौड़ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा समय असेम्बली में देना उचित होगा। दूसरी जगह जाने, भाग-दौड़ करने से न वक्त पर खाना मिलता है न आराम करने को मिलता है। अब आपका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि इतनी दौड़ और मेहनत के साथ आप काम करें। लेकिन नहीं, वह कम मानने वाले थे। बावजूद इसके कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, हम लोगों में से कोई भी यह नहीं समझता था कि इस थोड़ी सी उम्र में ही हमें छोड़ कर चले जायेंगे। जैसा कि माननीय बहुगुणा जी ने कहा है, उनके जाने से भारतीय लोक दल को ही क्षति नहीं हुई है, इस सदन ही की क्षति नहीं हुई है, बल्कि सारे सार्वजनिक जीवन की एक महान् क्षति हुई है। वे एक उग्रवादी नीति में विश्वास करने वाले दल के प्रमुख कार्यकर्ता थे जो सदा ही अपने विचारों पर दृढ़ रहते थे। उनका स्वभाव बड़ा ही मृदुल था। जो उससे विरोध रखने वाले थे उनके भी मन में कभी उनके प्रति कड़ुवाहट पैदा नहीं हुई। सन् 55 में वे यहां आये थे। भगवती प्रसाद शुक्ल की हत्या हुई थी बाराबंकी में, उस समय हत्याओं का कुछ सिलसिला सा चल रहा था, तो बाई-इलेक्शन में वे चुन कर आये थे। सन् 57 में वे पार्लियामेन्ट में चले गये। सन् 71 में उनका जबरदस्त एक्सीडेन्ट हुआ। वे ठीक हो गये। सन् 74 में वे यहां इस सदन के मेम्बर चुन कर आये। लोक सभा के कांग्रेस तथा अन्य दलों के सदस्यों से मेरी उनके बारे में बात हुई, सभी लोग उनको ऐसा समझते थे जैसे वे उनके ही दल के सदस्य हों। इस प्रकार का उनका स्वभाव था। सारी उम्र वे अपने विचारों के प्रसार के लिये संघर्ष करते रहे। स्टूडेन्ट कांग्रेस में भी 4-5 साल काम किया, उस वक्त भी वे जेल गये। किसानों को गन्ने का अधिक मूल्य दिलाने के लिये भी उन्होंने बाराबंकी में आन्दोलन चलाया और जेल गये। 3-4 बार वे जेल गये। आल इन्डिया एस० एस० पी० के वे जनरल सेक्रेटरी भी रहे और डा० राममनोहर लोहिया का तो सबसे अधिक विश्वास रामसेवक जी पर था।

दूसरा एक्सीडेन्ट उनका हुआ, वे बीमार हो गये। बीमारी की हालत में ही वे जिला परिषद् के अध्यक्ष के चुनाव के सिलसिले में 7 नवम्बर को वोट देने चले गये। उनका जिगर बहुत खराब था। उनको ऐसा समझा जाता है रास्ते में ही कहीं एक इन्फेक्शन जिसका नाम शायद वायरल इन्फेक्शन है वह हो गया। मैं समझता हूं इस इन्फेक्शन से कई मौतें, 4 मौतें बलरामपुर हास्पिटल में हुई हैं। तो इस इन्फेक्शन से वे रास्ते में प्रभावित हुये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी चरण सिंह श्री]

उनका लेफ्ट लेग फ्रैक्चर हो चुका था, सारा शरीर जर्जर हो चुका था, सारे शरीर पर असर पड़ चुका था और डाक्टर कहते थे कि पूर्ण रूप से ठीक होने में समय लगेगा, 1 ;--20 दिन तक रहना हो सकता है और वे ठीक हो जायेंगे। लेकिन अन्त में जाकर यह रोग यह रूप धारण कर लेगा, यह किसी को आशंका नहीं थी। उन्होंने यह बात मुझसे छिपायी कि वे बाराबंकी में जाकर वोट देना चाहते हैं वरना मैं उनको मना करता। 12 तारीख को मैं लौट कर आया दिल्ली से तो मुलाकात हुई। डाक्टर से मैंने उन्हीं के सामने पूछा कि भाई, कितने दिनों में आप इनको रिलीज कर देंगे अच्छा करके। डाक्टर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दी अच्छे हो जायेंगे। और ठीक ही था डाक्टर का कहना। लेकिन जैसे मैं कमरे से बाहर निकला घंटा डेढ़ घंटे बाद, तो डाक्टर से मैंने फिर अलग बात की, तो उन्होंने कहा कि साहब बहुत क्रिटिकल कंडीशन है।

अब मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहूंगा और मैं उसको ठीक से बयान भी नहीं कर सकता। डाक्टर टंडन जो हमारे यहां के लखनऊ मेडिकल कालेज से शिक्षा प्राप्त डाक्टर हैं, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली में लिवर के एक्सपर्ट डाक्टर हैं और सही में हिन्दुस्तान में चन्द लिवर के एक्सपर्टस में उनकी शुमार है। तो हम लोगों ने, राजनारायण जी ने भी बहुत कोशिश की। और फिर मैं यह कहना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जितना इस सिलसिले में हो सकता था वह मदद नहीं मिली। डाक्टर टंडन फौरन आये और उन्होंने राय दी कि इनको इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में लाया जाय। आखिर 19 तारीख को वे वहां ले जाये गये। पहले घर के लोग इसके लिये राजी नहीं थे लेकिन जब ऐसा लगा कि हालत खराब होती जाती है, तब उनको वहां भेजा गया और वहां जितना मुमकिन हो सकता था उतना उपचार करने की कोशिश की गयी, इलाज की। लेकिन समय आ गया था, और वे चले गये। इन शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि भारतीय लोक दल के सभी सदस्यों की ओर से आप यादव जी के परिवार के संतप्त सदस्यों को ढांढस की बात उन लोगों तक पहुंचा दें। शायद यह कहना अनावश्यक होगा कि हमारा सदन परमात्मा से प्रार्थना करता है कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, नेता सदन और नेता, विरोधी दल ने जो स्वर्गीय श्री रामसेवक जी यादव के निधन पर शोक विचार व्यक्त किये, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, सच ही है कि उनके इस असामायिक निधन पर हम सब शोक संतप्त हैं। मान्यवर, इस सदन में उनके आने से पहले भी मेरा उनसे परिचय था। यह बहुत ठीक हमारे अन्य दो नेताओं ने कहा कि विचार भिन्नता होते हुए भी हर व्यक्ति जो उनसे मिलता था, आत्मीयता का अनुभव करता था। किसी प्रकार की उनके मन में कटुता का आभाष ही नहीं मिलता था। मान्यवर, उनका एक समर्पित जीवन था जैसा कि हमारे चौधरी साहब और माननीय बहुगुणा जी ने वर्णन किया है। ऐसा समर्पित जीवन समाज के लिये कितना आवश्यक है यह कहने की आवश्यकता नहीं है।

वह स्वर्गीय लोहिया जी के सिद्धांतों के पुजारी थे। वह अपने सिद्धांतों पर सदैव अडिग रहे और उन्हीं के अनुसार वह समाज की सेवा करते रहे। उनकी निष्ठा बिल्कुल अडिग थी। सही है कि अगर इस व्यक्ति हममें से चले जाते हैं तो हमारा यह अनुभव करना भी सही है कि इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। वह बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। अपनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मस्तिष्क को संतुलन में रखने और कठिन से कठिन परिस्थितियों में अनेकों अवसरों पर सामाजिक समस्याओं पर मैंने उनको अपने विचारों को बहुत संतुलित ढंग से व्यक्त करते देखा। हम सब उनके निधन से दुखी हैं। मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मुझसे पूर्व वक्ता कह गये हैं। मान्यवर, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके असामयिक निधन के कारण उनके परिवार को जो दुख हुआ है उसे सहन करने की भगवान उनको शक्ति दे और आपसे मान्यवर, प्रार्थना है कि हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को यह संदेश पहुंचाने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, स्वर्गीय राम सेवक यादव जी के संबंध में माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को उनसे संबद्ध करता हूं। वैसे तो मेरा उनका नजदीक का संपर्क इस चुनाव के बाद ही ज्यादा रहा, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनसे मिलने तथा उनसे बातचीत करने, विचार विमर्श करने के बहुत काफी अवसर मिले। श्री यादव जी एक समाजवादी विचार धारा के व्यक्ति थे और उन्होंने देश के एक समाजवादी नेता, देश के समाजवादी विचारक स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया के चरण में बैठकर समाजवाद की शिक्षा पायी थी। समाज के शोषित, पीड़ित गरीबों और हरिजनों के उत्पीड़न को दूर करने के लिये उन्होंने जीवन पर्यन्त कार्य किया और इस समय भी जबकि वह बीमार थे, अपने कार्यों में लगे रहे। समय चाहे जो कुछ भी बदल गया है, परिस्थितियां चाहे जितनी भी बदल गई हैं लेकिन हमने रामसेवक जी को अपने विचारों पर हमेशा मजबूत और दृढ़ पाया।

इस सदन को उनके रहने से काफी क्षति हुयी है और इस प्रदेश की जो क्षति हुयी है वह पूरी होना असंभव है। गरीबों के लिये लड़ने वाला उनके उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाला आज हमारे बीच से उठ गया। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं राम सेवक यादव जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे विचार और मेरे दल कम्युनिस्ट पार्टी के विचार उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

अध्यक्ष महोदय मौत का एक दिन मुअइय्यन है, पर नींद क्यों नहीं आती। वह हमेशा के लिये हमारे बीच से उठ गये। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज वह सदन में मौजूद नहीं हो सकते हैं और वह कुर्सी खाली होगी। वह इस सदन के लाइफ वायर थे और दबी हुयी वर्ग के चैम्पियन थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने चाहे वह छात्र मसला हो चाहे वह वर्ग-मसला हो बड़ी हिम्मत से उठाया न हो।

उनकी मौत से हम सब को अफसोस है और यह सदन उनके न होने से गरीब है। मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

*चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने स्व० राम सेवक यादव जी के निधन के संबंध में जो विचार व्यक्त किये हैं मैं अपने को और अपने दल सोशलिस्ट पार्टी को को उनके विचारों से सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री यादव जी एक महान समाजवादी नेता थे और लम्बे समय तक उनके साथ सोशलिस्ट पार्टी में रह कर हमें भी कम करने का मौका

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी रामपाल सिंह]

मिला है । मान्यवर, श्री यादव जी बिल्कुल एक देवता तुल्य पुरुष थे और उनका आदर्श अपनी जगह अमूल्य है । वे लगातार 10 साल तक लोक सभा के सदस्य रहे । पिछली बार एक बार इस विधान सभा में शुरू-शुरू में आये थे और अबकी बार फिर जब वह वहां आये थे तो उन्होंने अपनी छाप हम सब लोगों पर विशेष रूप से छोड़ी । वह डा0 लोहिया के सिद्धांतों पर बराबर अपना सारा जीवन संघर्ष करते रहे और अंतिम समय तक वह डा0 लोहिया के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में जुटे रहे । इस प्रदेश की गरीब जनता की नजरें इस समय उनके ऊपर लगी हुयी थी । उनके उठ जाने से लगता है इस प्रदेश के गरीब इंसान का उनके जैसा कोई रहनुमा नहीं रहा है । विधान सभा में आर्थिक और सामाजिक मामलों में वह जितना करारा प्रहार करते थे और उनके मिटाने में जितनी शक्ति लगाते थे वह उनके अभाव से लग रहा है कि यह विधान सभा बिल्कुल सूनी-सूनी है । वह यहां बैठते थे तो लगता है कि गरीबों प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति यहां बैठा हुआ है । उनके निधन से हमारे दल को भारी दुख है । मान्यवर, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि श्री यादव जी की आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके दुखी परिवार को निधन के दुख को सहन करने का साहस दे । इन शब्दों में साथ में अपने दल और सोशलिस्ट पार्टी के सभी सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारा और हमारे दल का संदेश उनके परिवार तक भेज दिया जाय ।

*श्री बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ऐसा प्रतीत होता है कि श्री यादव जी गैरहाजिर हैं । मुझे विश्वास नहीं होता है कि वह इस लोक में नहीं हैं । मेरी पहली मुलाकात आंदोलन के सिलसिले में जेल में हुयी थी । वह छोटी-छोटी बातों को लेकर उनको इतने महत्वपूर्ण तरीके से विधान सभा में रखते थे कि मुझे आश्चर्य होता है कि किस तरीके से और किस तैयारी से वह आते थे और विधान सभा में रखते हुये । इसके साथ-साथ कैसे भी कार्यकर्ता उनके पास जायं तो वह उनको राय और सम्मति देने में ऐसा मालूम होता था कि जैसे बड़ा भाई हो । ऐसे समय में मैं अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके घर वालों को चाहता हूं कि शांति उपलब्ध हो ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं ने श्री यादव जी के प्रति जो शोकोद्गार प्रकट किये हैं मैं उनसे अपने को और सदन को सम्बद्ध करता हूं । माननीय श्री राम सेवक यादव जी बाराबंकी जिले में पैदा हुए थे और 48 वर्ष की अवस्था में वह हम से अलग हो गये ।

उनसे मुझसे सामाजिक और समाजवादी दल के कार्य के संबंध में सान्निध्य और आत्मीयता का जो वातावरण था वह बहुत कम लोग जानते हैं । नेता विरोधी दल ने कहा कि डा0 लोहिया के वह सबसे प्रिय थे, तो इसमें कोई दो राये नहीं हो सकती है कि दबे हुए लोगों के प्रति जो डा0 लोहिया का सहज भाव था उसमें श्री राम सेवक यादव सबसे सुयोग्य और संयत व्यक्ति थे । मैंने देखा कि उनका सारा शरीर चूर-चूर हो गया, साइकिल से उन्होंने पार्लियामेंट के सदस्य की हैसियत से बाराबंकी का दौरा किया । शायद ही किसी ने ऐसा किया हो और जिस ढंग से वह काम करते थे उससे गरीब और दबे हुए लोगों को राजनीति में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अवसर संभव था । मैं समझता हूं कि यदि राजनीतिक लोग और दलों के लोग बिना अधिक पैसा खर्च किये हुए अपने जिले में जन जागरण का काम करें, तो लोकतंत्र में संभावना सुदृढ़ होने में कोई शक नहीं होगा और जिस तरह से उनका काम था आप सभी जानते हैं । जब कभी कोई अशांत वातावरण होता था तो वह कितना संयत और शांत रहते थे । सभी को उनकी इस सदन में अनुपस्थिति के लिये अत्यन्त दुख है । जो भी उनको जानते थे उन सभी को दुख है और उनके प्रति दुख का वातावरण सभी महसूस कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि उनके न रहने से सार्वजनिक जीवन में रिक्तता आ गई है । नेता, सदन तथा नेता, विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शाश्वत शांति मिले, हमारी यह समवेदना की भावनायें शोक संतप्त परिवार तक भेज दी जायेंगी।

सभी सदस्य 2 मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री बेनी सिंह अवस्थी के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष जी, एक ओर स्वतंत्रता संग्राम का महारथी, इस सदन का एक भूतपूर्व माननीय सदस्य, उत्तर प्रदेश के राजनैतिक जीवन की स्वच्छता और प्रमाणिकता का स्वरूप और प्रतिरूप, उत्तर प्रदेश सरकार का एक बार मंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री की शक्ल में काम करने वाले भाई बेनी सिंह जी हमारे बीच में रहे । नवम्बर का महीना संभवतः हमारे यहां के कई महारथियों को उठा ले गया । बेनी सिंह का जन्म 1905 हुआ था । 69 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया । निधन किसी का भी हो, दुखद होता है और आत्मीय जनों तथा स्वजनों का हो, तो और भी दुखद होता है । मेरी याद में बेनी सिंह जी जैसे अन्याय से लड़ने वाले समर्थ व्यक्ति बहुत कम हमने देखे । मेरी व्यक्तिगत मैत्री का उनसे संबंध लगभग 25 साल पुराना था लेकिन बेनी सिंह जी का स्थान कानपुर की कांग्रेस और इस प्रदेश में राजनीतिक जीवन में अभूतपूर्व था । एक बात जरूर है कि मृत्यु सबको आती है लेकिन कुछ लोगों को काफी कष्ट उठा कर मृत्यु का आलिंगन प्राप्त होता है लेकिन बेनी सिंह जी की मृत्यु की कथा अनहोनी है । उनके सुपुत्र उन दिन घर पर आये थे । उन्होंने उनसे रात में खाना खाने के बाद कहा कि जाड़ा ज्यादा है, रजाई ओढ़ लेना । खा कर वह सो गये और फिर कभी उठे ही नहीं । न जाने किस वक्त रात में हृदय गति रुक गयी और इहलीला समाप्त हो गयी । उनके निधन से उनके परिवार, मित्रों, कांग्रेस दल और सार्वजनिक जीवन की जो क्षति हुई है उसका सहज आभास होना कठिन है । लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि गांधी युग को देन में उनका जीवन एक था । ऐसे लोगों का जीवन अपने-अपने क्षेत्र में हमेशा उदाहरण बना रहेगा ।

वह किसानों की बात को हमेशा उठाने वाले थे । स्वयं किसानी करने वाले थे । वह कांग्रेस के महा मंत्री भी थे । मिनिस्टर भी जब हुए तो कहते थे अब तो बुवाई आ रही है, जा रहा हूं । कटाई होने वाली है, जा रहा हूं । बीज और खाद का प्रबन्ध करूंगा । अपनी खेती हुक्म से नहीं स्वयं अपने हाथों से करते थे । खेती की सारी कठिनाइयों तथा उसके हर पेच को समझने वाले बेनी सिंह जी थे । कानपुर उनका कार्य क्षेत्र था किन्तु पैसे वालों से तथा धनिक वर्ग से वह उतने ही दूर थे जितना आसमान जमीन से । उनका निरन्तर कानपुर के धनिक वर्ग से युद्ध बना रहा । वह हमारे सदन के सदस्य थे, मंत्री थे और अपने जीवन भर अपने दृष्टिकोण से जो उनको उचित लगा उसी रूप में उन्होंने अनवरत सेवा

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

का व्रत पूरा किया । मान्यवर, मौत सबको आती है लेकिन भगवान ऐसी मौत जो किसी को कष्ट न दे उसी को देता है जिसका बहुत बड़ा तप होता है । इस तपस्वी कांग्रेस कार्यकर्ता का, समाजसेवी का इहलौकिक अन्त रात्रि में हृदयगति के रुकने से जिस प्रकार हुआ है वह उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही हुआ है । बेनी सिंह शांति कठिनाइयों में शांत, निरादर शांत प्रकृति के थे । अशांति से बेनी सिंह से कोई संबंध नहीं था । चोट गहरी से गहरी पड़े लेकिन बिलबिलाने का काम नहीं, खामोशी से बर्दाश्त । सिर नहीं झुकाया अन्याय के सामने, टूट भले ही गये हों । ऐसा महारथी स्वराज्य संग्राम का सैनानी तथा महान समाजसेवी का रूप बेनी सिंह के रूप में आया था जो अब हमारे बीच नहीं रहा । राजनीतिक जीवन उनकी मृत्यु से अपूर्ण हुआ है । मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वह मृत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस महान कष्ट को सहने की शक्ति दे । वैसे बेनीसिंह अपने को ठेट किसान कहने से भी नहीं रहते थे । उन्होंने अपने बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा दी । उनकी एक लड़की इलेक्ट्रोनिक्स की इंजीनियर है । जो मास कम्युनिकेशन मीडिया है उसमें वह रिसर्च का काम करती है और ओवरसीज कम्युनिकेशन को देखती है । इस प्रकार उनकी लड़की और बच्चे सब अपने-अपने जीवन के क्षेत्र में अपने पिता की तरह देश की सेवा उसी उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कर रहे हैं । मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी ओर से, कांग्रेस दल की ओर से और इस माननीय सदन की ओर से श्री बेनी सिंह के शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी समवेदना व्यक्त करने की कृपा करें ।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, माननीया नेता सदन ने जो श्री बेनी सिंह अवस्था के संबंध में कहा मैं उनके हर शब्द से अपने आपको और भारतीय लोक दल को सम्बद्ध करना चाहता हूं । श्री बेनी सिंह एक ऐसे आदमी थे जिनकी प्राइवेट जीवन में और पब्लिक जीवन में कोई दीवार नहीं थी जैसा कि कुछ लोग मानते हैं । प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ उनकी खुली किताब थी जो चाहे पढ़े । मैं लखनऊ आने से पहले उनसे वाकिफ नहीं था । इधर के जो सामाजिक कार्यकर्ता और लीडर कांग्रेस के जमाने में थे पश्चिमी देश के लोग उनसे ज्यादा वाकिफ नहीं थे । सन् 37 से मेरे दिल्ली कांग्रेस कमेटी के इलेक्शन के बाद ही मेरी मुलाकात यहां आने पर उनसे हुई । तभी से मेरा मधुर सम्बन्ध उनसे बना रहा चाहे राजनीति में कोई उतार-चढ़ाव आया । मुझे उनके सिलसिले में सबसे बड़ी बात यह याद आती है कि उन्होंने मेरे साथ मिलकर जमींदारी खाते में सिलसिले में एक आन्दोलन चलाया था जिसमें दस गुनी रेंटल डिपाजिट की बात थी । उसमें मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला । अनेकों मीटिंग्स में मैं उनके साथ गया । मुझे यह भी सौभाग्य मिला कि मैं उनके घर जाऊं । उनके पिता जी से भी मेरी मुलाकात हुई । जैसा कि बहुगुणा जी ने कहा कि वे एक ऐसे पब्लिक मैन थे कि अपने को ठेठ किसान कहते थे । उनका फस्ट लव पहली मुहब्बत, पहला इश्क, पहली लोयलिटी एग्रीकल्चर के प्रति थी, अपने किसान जीवन के प्रति थी । तो इस प्रकार के वह आदमी थे । इस असेम्बली में भी और कैबिनेट में भी मुझको उनके साथ काम करने का मौका मिला है । वह हमारे प्रदेश की राजनीति में अगुआ थे उनके हमारे बीच से उठ जाने से एक बड़ी भारी क्षति हुई है । मैं चाहता हूं आप भारतीय लोक दल की ओर से, मेरी ओर से उनके परिवार के लोगों को मुझे मालूम नहीं कि उनके पूज्य पिता जी हैं या नहीं पर जो भी हों उनके परिवार के लोगों को हमारी यह समवेदना भेजने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, श्री बेनी सिंह जी के निधन से हम सब को बड़ा दुख हुआ है। उनके संबंध में जो माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने विचार व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, उनके एसेम्बली में आने से पहले मेरा उनसे किसी प्रकार का परिचय नहीं था लेकिन असेम्बली में जब वह आये और मंत्री हुए तब मैंने उनको देखा, मेरा उनसे परिचय हुआ लेकिन इतने ही समय में मेरा ऐसा अनुभव है कि वह मेरे लिए बड़ा स्नेह करते थे। वह बड़े सरल स्वभाव के और शांत स्वभाव के थे। कितने भी प्रोवोकेटिव प्रश्न हम लोगों की ओर से होते लेकिन उसका उत्तर वह मुस्करा कर ही देते थे। मान्यवर, ऐसा लगता था मुस्कुराना उनका स्वभाव था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी परिस्थिति में वह विचलित नहीं होते थे। वह इस देश के प्रसिद्ध कार्यकर्ता थे वह चाहे किसी दल के हों कांग्रेस के हों लेकिन जब एक समाज सेवी हम लोगों से उठ जाता है तो मान्यवर, मानव हृदय है इन सारी चीजों को देख कर दुख होता ही है, जितना दुख उनके परिवार को होता है, जितना दुख उनके दल वालों को उनके न रहने से, उनकी हानि से हुआ है उतनी ही हानि इस प्रदेश को भी हुई है। मान्यवर, मैं अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके संतप्त परिवार तक मेरी और मेरे दल की ओर समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)---

मान्यवर, स्वर्गीय बेनी सिंह अवस्थी के निधन के संबंध में माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, स्वर्गीय अवस्थी जी के साथ मुझको भी इस सदन में काम करने का अवसर मिला और इतने समय में मैंने यह देखा कि वह अपने जीवन में गांधी जी के आदर्शों को सही रूप में अपनाने की कोशिश करते थे। विचारों की स्वतंत्रता रहन-सहन में सादगी, तड़क-भड़क में अविश्वास उनकी खास विशेषता थी जिसकी छाप मेरे ऊपर भी बहुत अधिक है। ऐसे व्यक्ति के न रहने से हमारे प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत क्षति हुई है। हम सब लोगों को इस बात का दुख है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके संतप्त परिवार तक हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से समवेदना का संदेश पहुंचाने की कृपा करें।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)---

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय बेनी सिंह अवस्थी जो किसानों के इस सदन में सही नुमाइंदे थे। हाल ही में जब वो अब्जर्बर की हैसियत से उरई जा रहे थे तो हम दोनों डिब्बे में बैठे थे, तो उनकी बातों में वहीं तेजी थी, चाल में वही तेजी थी और हाथों में वही तेजी [illegible]। वो कांग्रेस के एक मजबूत सिपाही थे। उनके उठ जाने से हम सब को काफी धक्का [illegible] यह नहीं मालूम था कि उनके साथ यह मेरा आखिरी सफर होगा। उनके इन्तकाल से कानपुर का इतिहास खत्म हो गया और जाहिर है कि जो इस प्रदेश को हानि हुई है उसका व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनकी [illegible] के लिए दुआ करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

मान्यवर, स्वर्गीय बेनी सिंह जी अवस्थी जिनके बारे में अभी सदन में नेता सदन और नेता विरोधी दल ने तथा अन्य नेताओं ने अपनी समवेदना व्यक्त की है, उससे मैं अपने को और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी रामपाल सिंह]

अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । बेनी सिंह जी अवस्थी हमारे कानपुर के निवासी थे और महान् स्वतंत्रता संग्राम के महान् सेनानी रहे हैं । साथ ही उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी राजनीति में लगाई गई है । वह बहुत ही सादे स्वभाव के, बहुत ही कर्मठ और दबंग कांग्रेसी थे । हमारे जिले में उनका कांग्रेस के ऊपर अपना एक प्रभाव था और उन्हीं के प्रभाव से हमारे जिले की कांग्रेस चलती थी । उनके उठ जाने से जहां प्रदेश को क्षति हुई है, हमारे कानपुर जिले के कांग्रेस संगठन को भी भारी क्षति हुई है । मान्यवर, उन्होंने हमारे जिले में ही नहीं इस प्रदेश में एक आदर्श उपस्थित किया था । पिछले दिनों में जब वह सरकार के मंत्री थे, उसके बावजूद वह सरकारी कोठी में नहीं गये थे । विधायक निवास के पुराने कमरे में वह बराबर रहे और उस कमरे के आगे एक झोपड़ी अपने सचिव के लिये बनवा ली थी और उसी में सचिव को बैठाकर वह सरकारी कामकाज किया करते थे । उन्होंने इस प्रदेश और शासन के सामने एक मिसाल कायम की है, जैसी मिसाल संभवत देखने को नहीं मिलेगी और हमें विरोधी राजनीति में रहते हुए भी उनका व्यक्तित्व और उनकी जो कार्यशैली थी, उनका जो स्नेह था, उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी बहुत पड़ा । मान्यवर, उनके निधन से हमारे दल और हमें महान् दुख है । मैं परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को वह शांति प्रदान करे तथा आपसे भी मान्यवर, हमारी यह प्रार्थना है कि हमारा और हमारे दल का यह संवेदना संदेश आप उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो शोकोद्गार के विचार श्री बेनी सिंह अवस्थी जी के बारे में व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने और सदन को सम्बद्ध करता हूं । बेनीसिंह जी एक सरल प्रकृति के, जैसा कि कहा गया है ठेट देहात के प्रतिनिधि के और ठेट देहात प्रतिनिधि का अर्थ होता है वास्तविक प्रतिनिधि । एक हंसमुख उनका स्वभाव था । उनकी हंसी विरोधपक्ष के कई सदस्यों को समय-समय पर निरस्त कर देती थी और उनके इस सदन के सदस्य की हैसियत से और मंत्री की हैसियत से जो कार्य हैं वे एक अनुकरणीय कार्य, हैं और उनके निधन से निश्चित हो इस प्रदेश के जीवन में, सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में एक रिक्तता पैदा हुई है । इसे किसी हद तक अपूर्णीय कहा जा सकता है ।

मैं आपका संदेश शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा । अब हम उनके लिये दो मिनट मौन खड़े होकर शोक श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए ।)

भूतपूर्व सदस्य, श्री रामलखन शुक्ल के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष जी, एक भूतपूर्व सदस्य, स्वतंत्रता संग्राम के महान सिपाही, काशी विद्यापीठ जो स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों का निर्माण करने वाली महान शैक्षणिक संस्था रही है, उसके शास्त्री श्री रामलखन जी बांस गांव तहसील, जिला गोरखपुर के रहने वाले थे । उनका निधन भी हो गया नवम्बर मास में । राम लखन जी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में तीन बार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जेल गये । उन्होंने अध्यापन कार्य जो लिया था उसको तिलांजलि देनी पड़ी । सार्वजनिक जीवन में जूझ गये और प्रातःस्मारणीय आचार्य नरेंद्र देव जी के साथ समाजवादी पार्टी में चले गये थे। 1961 में कांग्रेस में वापस आये और फिर कांग्रेस के मंच से मृत्यु तक बराबर उनका संबंध रहा । उन्हें 1970 में पैरालिसिस हो गयी और इस दौरान में उनका निधन हम सब के लिए दुखद सूचना रही है । सिर्फ इतना ही है कि उनके क्षेत्र ने उनके सुपुत्र के रूप में इस सदन में श्री चन्द्रशेखर जी को भेजा है इस विधान सभा में । लेकिन रामलखन जी शुक्ल की आत्मीयता, सद्भावना, सौजन्य और सहयोग की सजीव भावना हमारे दिलों पर याद और घर बनाये रखेगी, जिनका उनसे सम्पर्क रहा है । मेरा उनसे घरेलू जैसा सम्बन्ध था । उनका निधन मेरे मित्र की भारी कमी है । पूरे गोरखपुर के राजनीतिक जीवन में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जीवन में, स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी की कमी, एक मानी में कई तरह से बेचैनी का सिलसिला है । भगवान की मर्जी वह उसको प्यारे हो गये । भगवान से मेरी प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें । उनके दुखद परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और मान्यवर, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी और हमारे कांग्रेस दल की ओर से इस सदन की समवेदना शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो कुछ कहा है शुक्ल जी के सम्बन्ध में, मैं उनको भारतीय लोक दल और अपने आपको जोड़ना चाहता हूं । उनके चले जाने से आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पंक्ति छीजी हो गयी, एक ओर सेनानी चल बसा । इसमें कोई शक नहीं है कि विशेषकर गोरखपुर जिले के सार्वजनिक जीवन में उनके चले जाने से बहुत क्षति हुई है ।

इनके साथ में चाहूंगा कि भारतीय लोक दल और मेरी ओर से आप श्री चन्द्रशेखर जी को और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को हमारी समवेदना भेजने की कृपा करें ।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, स्वर्गीय शुक्ल जी के बारे में नेता विरोधी दल और नेता सदन ने जो विचार व्यक्त किये है उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मेरा उनसे परिचय पिछली विधान सभा में ही हुआ था । वे एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, बड़े सरल स्वभाव के थे । वे बहुत दिनों पक बलरामपुर अस्पताल में बीमार रहे, मैं अधिक दिनों तक उनके पास वहां रहा था । मैं 42 दिनो तक बीमार पड़ा हुआ था और वे वहां कई महीने तक रहे थे । उनका सरल स्वभाव मुझे आज भी याद आता है । उनके हर विषय पर स्पष्ट विचार थे । आज वे हमारे बीच में नहीं है । हमको उनके निधन से बहुत दुख पहुंचा है । हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी और हमारे बल की समवेदनायें उनके संतप्तपरिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, रामलखन जी के निधन के बारे में माननीय सदन और अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये है उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और अपनी तथा अपने दल कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपसे निवेदन है कि मेरे और मेरे दल के विचार उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, इधर एक-एक करके हमारे साथी उठते चले गये। जाहिर है कि इससे ज्यादा अफसोसनाक बात और क्या हो सकती है । रामलखन जी आजादी के सिपाही थे और उनके चले जाने से हम सबको बहुत अफसोस हुआ है । मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

*चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

मान्यवर, स्वर्गीय शुक्ल जी के संबंध में नेता सदन और अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को अपने दल सोशलिस्ट पार्टी को सम्बद्ध करता हूं । शुक्ल जी स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे और उनकी मृत्यु से हमें और हमारे दल को महान दुख है । मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें । साथ ही अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं । इसके साथ ही आपसे भी प्रार्थना है कि हमारे दल और हमारी ओर से उनके दुखी परिवार को और भाई चन्द्रशेखर जी को हमारी समवेदनायें भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं ने श्री रामलखन जी शुक्ल के बारे में जो शोकोद्गार के भाव व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और सदन को सम्बद्ध करता हूं । इसी 19 नवम्बर को 60 वर्ष की अल्पायु में गोरखपुर अस्पताल में शुक्ल जी की मृत्यु हुई । वे स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सिपाही थे और गोला थाना, गोरखपुर में उन्होंने सन् 1942 में कब्जा कर लिया था और उसकी संचार व्यवस्था को ठप कर दिया था जिसके कारण उन्हें साढे तीन वर्ष का कठोर कारावास मिला था और उस समय के जिलाधीश के आदेश से उनका घर भी जला दिया गया था और भी यातनायें उनको मिली थीं । वे एक स्वतंत्रता के बहुत बड़े सैनिक सिपाही और सेनानी थे और उनके निधन से हमारा सार्वजनिक जीवन रिक्त हो गया । उनके संतप्त परिवार के प्रति आपकी समवेदनाओं का संदेश पहुंचा दूंगा । आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप खड़े होकर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य 2 मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए ।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है ।

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं । औपचारिक कार्य समाप्त होने के बाद ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1974†

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1974 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापा नहीं गया ।

गुण्डा ऐक्ट तथा डी० आई० आर० के अधीन गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग

(श्री अध्यक्ष द्वारा बन मंत्री जी के पुकारने पर)

(व्यवधान तथा शोर)

श्री अध्यक्ष---

यह नहीं आखिर सदन नियमों से चलेगा। जो औपचारिक कार्य है वह हो जाय। इसके बाद आप कहें (व्यवधान तथा शोर ।)

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)---

बन्दी छात्रों को रिहा करो के नारे लगाये गये ।

(व्यवधान तथा शोर के बीच में)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

आज शिक्षा संकट में है। यह कांग्रेस दल चाहता है कि अन्य दलों का एक भी आदमी न चुना जाय। इंदिराजी के आने से पहले उन्होंने छात्रों के ऊपर दमनचक्र चला दिया और कितने ही छात्रों के हाथ पैर तोड़े जो अन्दोलनकारी छात्र थे उनके विरुद्ध नोटिस दिया। यह उनकी समस्याओं को सुलझाते नहीं हैं। अपनी समस्याओं को लेकर वे आते हैं तो यह अपना दमनचक्र शुरू कर देते हैं। यह उनको बुलाते और उनकी बात सुनते लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी घोषणा कर दें कि छात्रों के ऊपर से गुंडा ऐक्ट वापस लेंगे और जितने मुकदमें छात्रों पर चल रहे हैं उनको भी वापस लेने की घोषणा करें ।

(व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा---

गुंडा ऐक्ट वापस हो। (सदस्यों ने खड़े होकर नारे लगाये) बन्दी छात्रो को रिहा करो छात्रों पर से गुंडा ऐक्ट वापस लो। छात्रों को गुंडा बनाना बन्द करो ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

अभी मैं किसी बात की इजाजत नहीं देता हूं। कल तय हुआ था लेकिन अभी हम किसी कार्यक्रम पर नहीं आये हैं। आपने जो सलाह दी है। (व्यवधान) सवाल यह है कि अगर मैं किसी से कहूं बोलने के लिये तो सब को बैठना चाहिये। अगर सब खड़े रहेंगे तो मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि अव्यवस्था है, यह नहीं हो सकता कि आप खड़े रहिये और अनुमति दी जाय ।

(विरोधी पक्ष की ओर से छात्रों पर से गुंडा ऐक्ट वापस लो--का नारा लगाया गया तथा मेज थपथपाई गई)

श्री बाबू लाल वर्मा---

मान्यवर, जो गुंडा ऐक्ट लगाया गया है, उसको वापस लेना चाहिये।

(शोरगुल-व्यवधान-तथा मेज थपथपाई जाने लगीं)

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं अव्यवस्था की स्थिति में या तो हाउस को ऐडजर्न करूं और या तो आप कोई रास्ता निकालें। मैं ऐसी अव्यवस्था की स्थिति में किसी की बात नहीं सुन रहा हूं। आप अव्यवस्थित हैं ।

(शोरगुल-व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मुझको एक बात बहुत छोटी सी, सिद्धान्त की बात आपके सामने अर्ज करनी है। मैं समझता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी भी कुछ थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे। छोटी सी बात यह है कि डी0 आई0 आर0 में और गुंडा ऐक्ट में विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है. . .

(शोरगुल तथा शेम शेम की आवाज)

डी0 आई0 आर0 और गुंडा ऐक्ट बनने के पहले भी बहुत से लाज हैं जिनसे भी देश चल रहा था। डी0आई0आर0 के प्रति देश के जो पड़ोसी देश हैं वह अच्छी राय नहीं रखते हैं। सन् 1962 में डी0 आई0 आर0 ऐक्ट पास हुआ, तो वह चलता ही रहा। आज उसको कई साल हो गये उस स्थिति को गुजरे हुये लेकिन कांग्रेस उस कानून को अब भी जारी रखना चाहती है दूसरी बात यह है कि एक साहब कह रहे थे कि गुंडा ऐक्ट आपने ही बनवाया था। गुंडा ऐक्ट गुंडों के खिलाफ बना था। कोई भी आदमी किसी के खिलाफ आन्दोलन करता है वह चाहे विद्यार्थी हो या कोई भी आदमी हो, उसको गुंडा ऐक्ट में गिरफ्तार करना तो एक बिलकुल अनुचित चीज है और एक प्रकार से उसकी नियत पर भी हमला करना है। इस तरह से अगर डी0 आई0 आर0 और गुंडा ऐक्ट में लोग गिरफ्तार किये जायेंगे तो और अगर आप इस ऐक्ट में गिरफ्तार करते हैं तो यह शोभा नहीं देता है। गिरफ्तार आप कर लीजिए। लेकिन जिन्होंने गुन्डा ऐक्ट बनाया है उनके माइन्ड में कभी यह नहीं था। यह गुन्डों के लिये था। उस गुन्डे की डिफनीशन में लड़के आते नहीं। हरगिज नहीं आते। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस पर विचार करें और जिस किसी दूसरे कानून के अन्तर्गत आते हैं तो वह उनको बेशक बन्द करें। हम बहुत मजबूर होकर इस बात में शामिल हुए हैं। बिलकुल अनुचित चीज होती जा रही है मेरा उनको सुझाव है कि वह इस पर आश्वासन दें और इस पर विचार करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया है कि वर्तमान सरकार ने विद्यार्थियों के खिलाफ गुन्डा ऐक्ट लागू किया गया है, डी0आई0आर0 लागू किया है, उनका निष्कासन किया है. . . . .

श्री अध्यक्ष--

आपने जो 301 को नोटिस दी है, उसी के संबंध में बोल रहे हैं क्या ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं जानता हूं कि अगर मैं हर जगह नियम का पालन करने लगूं तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष--

यह आपका भ्रम है। नियम का पालन करने से तो अधिक मौका मिलता है। सवाल यह है कि आपने कहा कि नोटिस. . . . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम लोग चौधरी साहेब के कहने पर बैठ गये। चौधरी साहेब को बोलने की आपने आज्ञा दी।

श्री अध्यक्ष--

आपको बोलने का हक है और मुझे पूंछने का हक है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

उसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष--

उसके लिये समय अलग है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

समय तो ले लिया। आपने मेरे बोलने की कड़ी को तोड़ दिया। डी0 आई0 आर0 लागू किया गया। गुन्डा ऐक्ट जो बनना था मैंने भी उस पर चर्चा की थी। मुझे मालूम है कि उसका मतलब केवल वही था जो चौधरी साहब ने रखा है। गुन्डा ऐक्ट का मतलब यह नहीं था कि उसे विद्यार्थियों पर लागू किया जाय। जो चारों तरफ हाथ फैलाया गया है उसका क्या कारण है दूसरी अनेक चीजें यहां हो गयी। अनेक विद्यार्थी जो थे वह आये नहीं, उनकी समस्याओं को सुलझाने में आप असमर्थ रहे हैं। जो वर्तमान वाइस चान्सलर हैं उनके खिलाफ आरोप लगाये गये हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। विश्वविद्यालयों में आपने अधिकारियों को रखा है जो आपके चंगुल में हैं। जितने भी वाइस चान्सलर हैं। वह आई ए एस है। यह आपके पिट्ठू है। उनके रहते विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। परसों की रैली से स्पष्ट होगा कि विद्यार्थियों को राहत नही मिलेगी .....

डेमोक्रेटिक तरीका यहीं है कि वे आन्दोलन करें। या तो अस्पष्ट उनसे कहे कि आन्दोलन करना उनका राइट नहीं और अगर है तो उन्हें आन्दोलन करने का राइट है भले ही वह गलत हो या सही। उसका तरीका यह नहीं है कि आप उन पर डी0 आई0 आर0 लगायें। आपके पास अनेक कानून हैं, गुन्डा ऐक्ट लगाना सरकार का एक निन्दनीय कदम है। आज ही आप ने कहा कि स्टूडेन्ट आन्दोलन के प्रोडक्ट बड़े बड़े लोग हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलहाबाद युनिवर्सिटी, और बनारस युनिवर्सिटियां सब पुलिस के घेरे बना दिये गये हैं। वहां पर विद्यार्थियों के ऊपर बड़ी बेरहमी से प्रहार किया गया जिससे बड़ी ही विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। मैं समझता हूं कि यहां पर 80 प्रतिशत से ज्यादा उन विद्यार्थियों के अभिभावक है। मैं भी इसी प्रकार का अभिभावक हूं। आपके पास अनेक कानून है, उनके अन्तर्गत आप उन्हें सजा दे सकते हैं। गुन्डा ऐक्ट सारे समाज व विद्यार्थी समाज का संकलित करता है। आपके पास इन्डियन पीनल कोड हैं, इसमे ही आप सजा तक दे सकते हैं। आप अपनी बेबसी को ऐसा करके पेश करना चाहते हैं। उनको आप जंजीर के घेरे में जकड़े हुये हैं। आज इस सबसे सारे समाज में बड़ी ही विस्फोटक स्थिति है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि क्लीन हार्टेड होकर विद्यार्थियों को इस डी0 आई0 आर0 के शिकन्जे से मुक्त करें और उसके निष्कासन और निलम्बन को वापस लें ले और जो साधारण कानून आपके पास हैं उनको विद्यार्थियों पर लगायें।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

इस समय जो चर्चा चल रही है (अत्यधिक शोर) मैं जानना चाहता हूं कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी किस नियम के अन्तर्गत अपना भाषण दे रहे हैं, जो समाज में अराजकता व्याप्त है .....

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

श्रीमत्, इन चम्चों की बात हम नहीं सुनना चाहते हैं। मंत्रि मंडल के विस्तार में तुम मंत्री बनाये जाओगे।

श्री काशी नाथ मिश्र--

जो सदन का कायदा कानून है, उनमें से किसके अन्तर्गत माननीय त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

आपकी चम्चेगिरी से आपको मंत्री अवश्य बनाया जायगा। (शोर)

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रश्न सदन के सम्मुख उपस्थित है, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुन्डा ऐक्ट या डी0 आई0 आर0 और मीसा किसी विशेष परिस्थितियों में बनाया गया था और जिस समय इन कानूनों पर विचार हो रहा था, हमारी पार्टी ने इस बात की शंका व्यक्त की थी कि इन कानूनों का दुरुपयोग किया जायगा, जनता के आन्दोलन को दबाया जायगा और मजदूरों को कुचला जायगा। जनता तथा राजनीतिक पार्टियों के आन्दोलनों को दबाने में मजदूरों के आन्दोलनों को कुचलने में, विद्यार्थियों के आन्दोलनों को दबाने में इस्तेमाल किया जायगा और उन अवसरों पर हमेशा चाहे विधान सभा हो चाहे दिल्ली की पार्लियामेन्ट हो यह बराबर आश्वासन दिया गया कि इनका प्रयोग किसी भी जनवादी आन्दोलन को दबाने में नहीं किया जायगा बल्कि इसका प्रयोग समाज विरोधियों तत्वों के खिलाफ, तस्करों के खिलाफ चोर बजारियों और दूसरे लोगों के खिलाफ किया जायगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि सरकार अपने वादों से हट रही है। केवल विद्यार्थी ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों के दो नेता पी0 एन0 सुकुल और शिव कुमार मिश्र जिनको आई0 पी0 सी0 की किसी धारा के मातहत गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिया गया था। अभी थोड़े दिन पहले मालूम हुआ कि उनको मिसा में गिरफ्तार करके पौड़ी या गढ़वाल या अन्य किसी जेल में भेज दिया गया। क्या आवश्यकता थी और कौन विशेष परिस्थिति थी उन पर डी0 आई0 आर0 अथवा मीसा लगाने की। आज अगर कैम्पस में विद्यार्थी एनार्की पैदा करने की कोशिश करते हैं, पिस्तौल और चाकू का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई लिखाई बन्द करने की कोशिश करते हैं और वहां ऐसे आन्दोलन को खड़ा करें जो समाज विरोधी हो या जिससे विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को हानि हो तो आई0 पी0 सी0 में बहुत सी धारायें हैं जिनको इस्तेमाल करके उनको काबू में लाया जा सकता है। लेकिन अगर विद्यार्थियों के आन्दोलन को मीसा और गुन्डा ऐक्ट का इस्तेमाल कर के कुचला गया तो यह हमारे प्रदेश और देश के लिये बहुत ही अनुचित होगा। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि यह गुन्डा ऐक्ट जो विद्यार्थियों के खिलाफ लगाया गया है उसको वापस लें इसलिये हमारा मुख्य मंत्री से अनुरोध है कि अगर कोई पिस्तौल चलाता है, यूनिवर्सिटी में आग लगाता है या पढ़ाई में विघ्न डालता है या कोई ऐसा आन्दोलन खड़ा करने की कोशिश करता है जिससे प्रदेश को शान्ति भंग होने की आशंका हो तो आई0पी0सी0 में बहुत सी धारायें हैं, उनको इस्तेमाल कीजिये। लेकिन जन आन्दोलनों को कुचलने के लिये गुंडा ऐक्ट आदि का इस्तेमाल न कीजिये।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

12 तारीख को यूनिवर्सिटी में 9 लड़कों ने भूख-हड़ताल की। 4 के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया, न उनको एक्सपेल किया गया, न जेल भेजा गया। वह चार पता नहीं सरकार से ताल्लुक रखते थे या क्या बात थी। बाकी 5 को जेल भेज दिया गया और उनमें से 2 को एक्सपेल कर दिया गया। इसलिये कि यूनियन का चुनाव होने वाला है, उसमें वह खड़े होने जा रहे थे। उनको शो-काज नोटिस भी नहीं दिया गया। यह पक्षपात कि 9 में से 5 को तो बन्द कर दिया गया और उसमें से 2 को एक्सपेल कर दिया गया और 4 को छोड़ दिया गया।

और जुर्म वही। अभी गोलीकांड हुआ। उसमें वाइस-चांसलर साहब ने किसी को एक्सपेल नहीं किया। आप कहते हैं कि स्टूडेंट गुंडा हो गया है। गुंडा आप बना रहे हैं। जेल में जिस माहौल में उन्हें बन्द कर रखा है, जाकर देखें, अगर वह गुंडा नहीं है तो वह बनने वाला है। तो मुख्य मंत्री जी, आप स्वयं इसे देखें, उनका चुनाव होने वाला है। जो चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं उनके एक्सप्लेशन के आर्डर्स वापस लीजिये और उनको जेल से छोड़िये।

चौधरी रमपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

जो गुंडा ऐक्ट बना था उसका मतलब यह था कि जो समाज विरोधी तत्व हैं उनको पकड़कर बन्द किया जाय। जो गुंडा हैं, जिनके कारण जनता को मुसीबत है उसे दूर किया जाय। लेकिन आज जितने भी इस प्रदेश के गुंडे हैं वह सब सरकारी पार्टी के मेम्बर हो गये हैं। सरकार को कोई गुंडा मिलता नहीं। तब उन्होंने विद्यार्थियों को पकड़ने का काम शुरू किया। विद्यार्थियों की अपनी एक समस्यायें हैं और वे आज की बेबुनियादी शिक्षा, बेरोजगारी, महंगायी आदि से प्रभावित हैं। जब वे आन्दोलन के लिये आगे कदम बढ़ाते हैं तो उनको गुन्डा कह कर यह सरकार बन्द कर देती है। जिस आन्दोलन के जरिये यह सरकार पैदा हुई, अंग्रेज बिस्तर बांध कर भाग गये, यह सरकार उस आन्दोलन को दबाना चाहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि जनता का आन्दोलन शुरू हो गया तो आप उसे दबा नहीं पायेंगे। आप अपने दल के गुन्डों को पहले पकड़ कर बन्द करें। जो चोर बाजारी करते हैं उनको बन्द करें। विद्यार्थियों को बन्द करने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि इस तरह से अराजकता पैदा हुई तो इस प्रदेश की जनता और विरोध पक्ष मिल कर उसका मुकाबला करेगा। इसलिये सरकार विद्यार्थियों के ऊपर से इस गुन्डा ऐक्ट को उठा ले। (व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

अध्यक्ष जी, महाजनो एन गतः स पंन्थः...

(व्यवधान)

मैं माधव बाबू का बड़ा ही अनुग्रहीत हूं कि वे एक नयी परम्परा डाल रहे हैं कि वे जब जो प्रश्न उठाना चाहें उसे यहां उठा दें। मैं उनकी इस जीत पर उन्हें बधाई देना चाहता हूं। नियमों के तोड़ने पर उनको हृदय से बधाई देता हूं। (व्यवधान) इतने दिन हो गये माधव बाबू का कोई पत्र मेरे पास नहीं आया कि उत्तर प्रदेश के इन 55 जिलों में कहां-कहां किन-किन विद्यार्थियों को सरकार ने गुन्डा ऐक्ट में पकड़ा। मैं नम्रता से बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह शासक दल विद्यार्थीयों के संगठन के लिये और उनके स्वाभिमान के लिये, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स के लिये सदा लड़ता रहा है और जब एक समय में मिली जुली सरकार थी तो हमने इन्हीं विद्यार्थियों के कारण उस सरकार को तोड़ा भी (व्यवधान).....

श्री पुरुशोत्तम कौशिक---

नवन नीच के अति दुख दायी (व्यवधान) नम्रता इनकी ऐसी होती है (व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

विद्यार्थियों के विषय को लेकर आज यहां पर, चाहे काल्पनिक ही क्यों न हो, कम से विरोध पक्ष में एकता तो दिखायी दी। भले ही डिप्टी स्पीकर के प्रश्न को लेकर एक न हुये हो, समान नीति निर्धारित करने में एक न हुये हों, राजनीतिक दलों को एक मिलाने की जो एक अभिलाषा थी वह चाहे पूरी न हुई हो, मगर आज, भले ही काल्पनिक हो, एक विषय में सब लोग विरोध पक्ष के मिल कर एक वानी बोले तो सही। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि आप प्रश्न कीजिये अगर हमसे पूछिये कि विद्यार्थी कहां-कहां बन्द हैं। मैं आपके सामने, इस सदन के सामने स्टेमेन्ट कर दूंगा कि किस जगह, कहां पर कितने विद्यार्थी बन्द हैं और किस ऐक्ट के अन्तर्गत बन्द हैं। आप हमसे बयान मांगते तो हम आपके सामने बयान देते। अभी-अभी कहा गया कि सरकार

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

गुंडों को नहीं पकड़ना चाहती है, बदमाशों को नहीं पकड़ना चाहती है। शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये सरकार आपके सामने एक कागज, श्वेत-पत्र रखने जा रही है उसमें आप देखेंगे कि हमने कितने कालाबाजारियों को पकड़ा है, कितने गुंडों को पकड़ा है। इस सदन के अन्दर आवाज उठाना और बोलना आपको भी आता है तो नम्रता के साथ आवाज से बोलते हुए अपनी बात कहना मुझे भी आता है। मैं मानता हूं कि यहां की कार्यवाही को रोक देना अपना एक महत्व है, तो मैं यह भी मानता हूं कि यहां अपने ढंग से बात करने का महत्व भी अपना है, और सच्ची बात तो यह है कि भारत की 50-60 करोड़ और उ० प्र० की 10 करोड़ जनता हमलोगों की तरफ देख रही है। मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं कि वही इसको तय करे कि आप या हम-दोनों, में किसका आचरण यहां सही है और किसका आचरण गलत है। सन् 76 बहुत दूर नहीं है उसका प्रतिकूल सामने आवेगा लेकिन घबड़ा कर या डर कर या थर्रा कर अभी से तोबा कहने में कोई बात नहीं है और माधव बाबू से तो मुझे बहुत आशा है और इसलिये आशा है कि आप नियमों का पालन करने वाले हैं। लेकिन आज जब आप बोलने लगे और स्पीकर साहब ने कहा कि जरा रुक जाइये, पर आप नहीं रुके और इस तरह से नियमों का पालन नहीं किया। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? आने वाली पीढ़ियां आपकी तरफ देखेंगी। तो यह ईश्वर की कृपा है कि अपनी नीति और रीति में भी आप 90 प्रतिशत विश्वास नहीं रखते। अगर आपके कहने के मुताबिक ही कहीं यह देश चलता होता तो फिर न जाने यह देश कहां पहुंचता। मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति यह नहीं है कि वह विद्यार्थियों का विरोध करे।

हां, कांग्रेस संगठन के एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस सरकार ने यूनिवर्सिटी के 9 विद्यार्थियों में से 4 को पकड़ा और 5 को छोड़ दिया। उनके कहने का मतलब यह है कि सबको क्यों नहीं पकड़ा गया? यह उनकी शिकायत है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि मैं मुख्य मंत्री के पद से यह आदेश जिलाधीशों को भेजूं कि शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने के लिये किसको, कब और किस स्थान पर पकड़ा जाय। (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

हमारे देवरिया में डिजल का एक तस्कर पकड़ा गया था। आपकी सरकार ने... (व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

आप प्रश्न कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं लेकिन जिस तरह से आपको सबको बोलने और अपनी बात कहने का अधिकार सुरक्षित है, उसी तरह से अपनी बात कहने का अधिकार इस माचीज को भी है। हम साफ कह देना चाहते हैं कि हमारे यहां जन आन्दोलन तरह-तरह के उद्देश्य के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं। जन आन्दोलन जनता की शक्तियों को नष्ट करने के लिये भी प्रयोग में आ सकता है। इसलिये यह देखना पड़ेगा कि किस जगह का जन आन्दोलन सही है और कहां का गलत है। यह सरकार इस बात के लिये दृढ़ संकल्प है..... (व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

मैं पूछना चाहता हूं।.... (निरंतर शोर होता रहा)

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये, आपके नेता ने जो कहा है आप उसके अलावा अलग जा रहे हैं। आपके नेता ने जो बात उठायी है उसको लेंगे या आप जो चाहेंगे। (शोर)

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, मैंने जो बात उठायी है उस बात का जवाब अभी नहीं आया है। वह इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। किसी बात का जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जब आप बोलें तो क्या यह न बोलें?

श्री बांके लाल--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि पक्षपात किया जा रहा है। मेरा यह हक है, मैं कहूंगा कि आप जवाब दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं स्पष्टतः यह कहना चाहता हूं कि हमारी यह मंशा नहीं है कि हम गुंडा ऐक्ट, मीसा या डी0 आई0 आर0 में किसी भी ऐसे विद्यार्थी को, किसी भी ऐसे समाज सेवक या सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता को बन्द करें जो अपनी बात को कहने के लिये आन्दोलन करना चाहता है। यह हमारे आदेश से बन्द नहीं किये गये हैं। जैसा मैंने कहा कि जो स्थानीय अधिकारी हैं, जिनके जिम्मे ला-ऐंड आर्डर की व्यवस्था करने का काम है उन लोगों ने ही उनको बन्द किया है। अगर आप कहीं की बाबत प्रश्न करेंगे तो मैं उनका उत्तर अवश्य दूंगा।

(मेजों को पीटने और सम्मिलित स्वर से बोलने के कारण शोर)

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। पहली तो यह है कि मुख्य मंत्री जी ने तमाम इधर-उधर की बातें कहीं हैं कोई ठीक से जवाब नहीं दिया है। आपके गुंडा ऐक्ट, मीसा, डी0 आई0 आर0 हैं। यह गुंडा ऐक्ट यहां आपने बनाया और यह अन्य स्टेट्स में भी बन चुका है। आपका डी0आई0आर0 गवर्नमेंट आफ इंडिया का बनाया हुआ है। जिस वक्त यह पार्लियामेंट में आया था उस वक्त इसके बारे में आश्वासन दिया गया कि यह आर्डिनरी एजीटेशन करने वालों के खिलाफ नहीं है बल्कि जो देश के दुश्मन हैं और जो अपने देश की इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और जिनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये कोई पर्याप्त इवीडेंस नहीं है उनको डी0आई0आर0 में गिरफ्तार किया जायगा। मैं पूछना चाहता हूं कि यह लड़के चाहे उनको मिसगाइड किया गया हो या वेल गाइड किया गया हो, चाहे वह हमारी गल्ती है या किसी और की गल्ती है, यह लड़के गुंडा ऐक्ट में कैसे आते हैं।

दूसरी बात यह है कि गुंडा ऐक्ट की डिफीनीशन में यह लड़के कैसे आते हैं, हरगिज नहीं आते हैं। यहां पर यह आपको कह देना असान है कि इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो कहता हूं कि जिम्मेदारी आपकी है। पालिसी आपकी ले-डाउन की हुयी है, लिहाजा आप यह बचन दीजिये कि जो लड़के पकड़े गये हैं उनके मुकदमें वापस लिये जांय और अगर वह किसी दूसरे क्राइम में दोषी हों तो केस चलाइये। आप कहते हैं कि 9—10 करोड़ जनता का यह हमारा प्रदेश है, इसको आप कानून के मुताबिक ईमानदारी से न्याय दीजिये। करप्शन की बात मैं नहीं कहना चाहता हूं, करप्शन की बात तो मैं बाद में कहूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि यदि कोई गुंडा अपना नाम यूनिवर्सिटी में लिखा दे तो वह गुंडा नहीं रहेगा। ऐसा भी नहीं लिखा है कि जो स्कूलों में पढ़ता है यदि वह गुंडा है तो उनका नाम गुंडा लिस्ट में नहीं चढ़ेगा। मेरा कहने का स्पष्ट मतलब यह है कि एक करोड़ से ऊपर छोटे और बड़े विद्यार्थी होंगे, कई सौ आदमी गुण्डा ऐक्ट

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

में बन्द हैं। कितने बन्द हैं और कहां-कहां बन्द हैं मैं इसे ठीक तरह से नहीं बता सकता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप प्रश्न क्यों नहीं कर लेते हैं कि कितने आदमी गुण्डा ऐक्ट में बन्द हैं और कहां-कहां बन्द हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि गुण्डा ऐक्ट में कोई बन्द नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह मैंने नहीं कहा है कि गुण्डा ऐक्ट में कोई बन्द नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैंने समझा था कि आपने कहा है कि गुण्डा ऐक्ट में कोई बन्द नहीं है। यदि आपने नहीं कहा है तो मैं इसको माने लेता हूं। परन्तु कितने विद्यार्थी ऐसे बन्द हैं जो इस ऐक्ट में नहीं आते हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आप यूनिवर्सिटी वाइज नाम दीजिये और तब मैं देखूंगा और जो इस ऐक्ट में नहीं आता होगा वह नहीं आयेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, गुण्डा ऐक्ट कैसे लागू किया गया, कितने पर लागू किया गया इसको यह सरकार सदन के सामने रखे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह सदन हमसे कहे कि स्टेटमेन्ट रखो या अपनी जानकारी निश्चित किसी के जरिये सदन को दें। तो निश्चित के आधार पर मैं कहूंगा कि फलां जगह सही हुआ है या गलत हुआ है। सदन उसको जान लेगा।

चौधरी चरण सिंह--

श्री बहुगुणा जी यह कह रहे हैं कि उनको एक लिस्ट दे दी जाय कि गुण्डा ऐक्ट या डी0आई0 आर0 में कौन-कौन गिरफ्तार हुआ है और फिर यह जज करेंगे कि वह गुण्डा ऐक्ट में आता है कि नहीं। यदि नहीं आता है तो उनको रिहाई के आदेश दे देंगे। परन्तु यह काम अदालत का देखने का है कि वह व्यक्ति गुण्डा ऐक्ट में आते हैं कि नहीं। मेरा काम सिद्धान्तः यह है कि जो पोलिटिकल एजीटेटर हैं उन पर यह ऐक्ट या डी0 आई0आर0 न लागू किया जाय और गुण्डा लोग पोलीटिकल प्रेशर से बच जाते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अगर कोई गुण्डा ऐक्ट में आता है तो पोलिटिकल प्रेशर से नहीं बच सकता है उसको कोई रोक नहीं सकता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह स्वीकार कर लिया कि मैंने ऐसा नहीं कहा है कि इस ऐक्ट में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। यह उन्होंने नहीं कहा तो इसके सबूत देने की जरूरत नहीं है। परन्तु श्री विचित्र सिंह नाम ठीक से याद नहीं है, विद्यार्थी पर क्यों गुण्डा ऐक्ट लागू किया गया

है ? दूसरी बात मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दो कानूनों का नाम लिया—एक तो गुण्डा ऐक्ट और दूसरा डी0आई0आर0 । अब मैं विद्यार्थियों के नाम बतला रहा हूं । वह पदक होल्डर हैं । मुझे सूचना मिली है कि सूरज बहादुर सिंह, काका आदि हैं जो कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले थे । हमारी टेकनिकलटीज का सहारा लेकर मुख्य मंत्री जी मामले की गंभीरता को हलका न बनावें । मैं फिर कहना चाहता हूं कि आपने ऐक्ट का मिसएप्लीकेशन किया है ।

वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती,
हम आह भी भरते हैं तो.....

संसद में कहा गया है कि कानून और नियम को तोड़ा जाय, तो मैं तोड़ूंगा । आप मुझे सजा दीजिये । मैं चाहता हूं कि आप मुझे सजा दें । दुनियां देखे कि इस मुनासिब काम के लिये सजा मिली है । मैं कहता हूं कि जहां अन्याय होगा, आप कितना भी कहें, यह वातावरण सारे प्रदेश में और देश में बन गया है तो मैं न्याय पाने की कोशिश करूंगा । दूसरी बात आपने कही कि फेहरिश्त दी जाय । मुख्य मंत्री जी मुझ से फेहरिश्त मांगते हैं । आप स्टेटमेन्ट दीजिये, झूठ है । 500 वकीलों ने प्रोसेशन निकाला, सारी अदालतें बंद रहीं । गोरखपुर, पन्तनगर और इलाहाबाद के विद्यार्थियों को मारा गया, इक्सटरनल आर्डर्स निकाले गये । बृजेश कुमार की कुर्की के आदेश किये गये । दूसरी बात आप कहते हैं कि कराड़ों आदमी यहां रहता है । तो आने वाली पीढ़ी देखेगी कि गुण्डा ऐक्ट विद्यार्थियों से हटाने के लिये माधव प्रसाद त्रिपाठी ने नियम तोड़े । आज भ्रष्टाचार सभी जगह फैला हुआ है । (व्यवधान)

यही कारण है कि आज समाज के आदर्श गिर गये हैं । मैं नहीं चाहता हूं कि आज जो आदर्श केन्द्र और प्रान्त उपस्थित कर रहा है वह हमारे बच्चे अनुकरण करें । आप इत्मीनान करें, आप भले ही उनको स्वीकार करें लेकिन हमको चिन्ता है कि वह बदलें । आपने जीवन के मूल्य को बदल दिया है । याद रखिये खाल का मुखौटा पहन कर यह कहना ठीक नहीं है कि हमने पांच में से एक को छोड़ दिया है । अगर एक छोड़ा भी गया तो वही छोड़ा गया जिसके लिये कहा गया कि यह अपना आदमी आ गया है । आपके मापदंड से कम वाले को सजा मिलती है । मैं फिर कहता हूं कि आप कुछ भी कहें लेकिन जो मैंने कहा है वह आपके हित में है । वातावरण बदल रहा है । 76 में चुनाव आ रहे हैं । आप आर्डिनेन्स से बदल सकते हैं । तो आदर्श अपने ताक पर रखिये । आप जब तक चुनाव की प्रणाली नहीं बदलेंगे, जब तक थैली, गोली का सहारा नहीं छोड़ेंगे, तब तक न्याय नहीं मिलेगा । आप उसी के सहारे इस कुर्सी पर बैठे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कहीं वातावरण वह वालेन्ट न हो जाय । आप बचिये, सही रास्ते पर आइये । आखिरी समय में अपने हथकन्डे इस्तेमाल न करें । डी0आई0आर0 और गुण्डा एक्ट में न जाइये ।

छोड़िये इन सब भावनाओं को । आप घोषणा करें कि डी0 आई0 आर0 किसी विद्यार्थी पर लागू नहीं होगा । आप इसकी घोषणा करें कि निष्कासन, निलम्बन, एक्सटर्नमेन्ट आर्डर, डी0 आई0 आर0 एवं गुन्डा ऐक्ट विद्यार्थियों पर अथवा आन्दोलन कर्ताओं पर राजनैतिक कारणों से प्रेरित हो कर जो लगाया गया है इसको आप वापस लेते हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माधव बाबू ने जितनी बातें कही हैं उनमें सब बेसलेस चार्जेज हैं । राजनैतिक कारणों से अथवा किसी दूसरे कारण से इस सरकार ने चाहे वह विद्यार्थी रहा हो अथवा किसी आन्दोलन में रहा हो न किसी का निष्कासन किया है, न निलम्बन किया है, न उसके खिलाफ कोई अन्य कार्यवाही की है । जहां तक यूनिवर्सिटीज तथा कालेजेज का सम्बन्ध है वे स्वायत्तशासी संस्थायें हैं और वाइस चांसलर तथा एक्जिक्यूटिव कौंसिल वहां की कार्यवाही के लिये स्वयं जिम्मेदार

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

हैं। हां, अगर यह असेम्बली आज यह प्रस्ताव करे कि वह मुझे सुपर वाइस चांसलर बनाती है उत्तर प्रदेश का तो मैं उस बोझ को उठा नहीं सकूंगा और न ही मैं उसे स्वीकार करूंगा और उसके लिये मैं क्षमा मांग लूंगा। इसके अलावा जो लोग पकड़े जाते हैं उनकी सुनवाई के लिये हाई कोर्ट हमारे खिलाफ बैठी हुई है। हमने किसी को गलत पकड़ा होता तो हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास कर दिया होता कि हमने यह किया है, वह किया है। (व्यवधान-शोरगुल)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

हाई कोर्ट में सब का जाना कैसे संभव है?

एक सदस्य--

आपके समधी ही हाई कोर्ट के जज हैं। (शोरगुल)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

हाई कोर्ट ने अगर स्ट्रिक्चर पास भी किये तो वह ही व्यक्ति तक लिमिटेड रहेगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

गरीब विद्यार्थी हाई कोर्ट में कैसे जा सकता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मेरा स्पष्ट कहना है कि हमने किसी तरह की रिप्रेसिव पालिसी अख्तियार नहीं की है न विद्यार्थियों के खिलाफ और न आन्दोलन कर्ताओं के खिलाफ, लेकिन जैसा पहले कहा था फिर दोहराये देता हूं कि महज पोलिटिकल कवर लेकर किसी आदमी को इस प्रदेश की शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

पडरौना, देवरिया आदि में हजारों विद्यार्थियों पर ज्यादतियां की गयीं। उनके नाखूनों में पिन चुभाये गये। उनके पैरों में कील ठोंकी गयीं। तरह-तरह के अत्याचार किये गये हैं। इतिहास में इस प्रकार बेमिसाल जघन्य पाप किया गया है।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

आपको नीतिगत घोषणा करनी चाहिये वर्ना यह गुन्डा ऐक्ट जो आज आप इधर के लोगों पर लगा रहे हैं कल जब हम उधर बैठेंगे तो आपके लड़कों पर भी चल सकता है। इस पर आपको विचार करना होगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिये.... (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो अन्याय आज विद्यार्थियों पर हो रहा है...(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे और सदन में घोर व्यवधान हो गया)।

विद्यार्थियों पर गुन्डा ऐक्ट लागू किया जा रहा है और मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि सरकार विद्यार्थियों के हित में काम कर रही है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के जब 5 छात्र अनशन कर रहे थे तो उनको क्यों गिरफ्तार किया गया...इसका क्या

आधार था . . . मैं पूछता हूं कि क्या डी० आई० आर० का मतलब डिफेन्स आफ इंडिया रूल नहीं रह गया है. . .यह सरकार पुलिस और लाठी के बल पर चल रही है. . .

(सदन में बहुत शोर होने लगा—कई सदस्य एक साथ बोलते रहे ।)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, आप मूक बैठे हैं । आज प्रदेश में गुन्डागर्दी किस हद तक पहुंच गई है । आज विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

यह सरकार इस गुन्डा ऐक्ट को वापस ले । हम उत्तर प्रदेश की विधान सभा में इसलिए नहीं आये हैं कि हमारे विद्यार्थियों के ऊपर इस प्रकार घृणित कार्य किये जायं. . .इससे हमारी विधान सभा का अपमान है. . .

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, यह आपके लिए अपमान जनक है आप मौन तोड़ें । मैं बहुत अदब के साथ आप से कहना चाहता हूं कि आप इस मामले में निर्णय करें। जो सूचना हम लोगों ने लिख कर दी है उस पर विचार करायें । (व्यवधान)

(सर्वश्री शतरुद्र प्रकाश, सत्यपाल मलिक तथा दशरथ सिंह अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ सब के सब बोलते रहे ।)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

श्रीमन्, यहां बड़ी विकट परिस्थिति है, उसमें आप मौन हो गये हैं जो अच्छी बात नहीं है । इस परिस्थिति को आप देखें । इस प्रकार का मौन आपके पद की गौरव और गरिमा के सर्वथा विपरीत है । जनतन्त्र की यहां हत्या हो रही है और आप मौन बैठे हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

लोकनायक जयप्रकाश—(जिन्दाबाद जिन्दाबाद विद्यार्थियों पर से गुण्डा ऐक्ट वापस लो वापस लो), जय प्रकाश—(जिन्दाबाद, जिन्दाबाद) ।

तानाशाही की सरकार (नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)
धींगामुश्ती की सरकार (नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)
लाठी गोली की सरकार (नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)
दिल्ली वाले हाथी की सरकार (नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)

(उपरोक्त तमाम नारे श्री मोतीलाल देहलवी द्वारा सदन में बार-बार लगाये गये ।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

आपके अत्याचार और अन्याय से पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार बन गया है और पूरे प्रदेश में यह आग बहुत जल्दी लगने वाली है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

बच्चे तो आपके भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपको उन्हें समझना चाहिए । यह बहुत गंभीर बात है ।

श्री बाबूलाल वर्मा--

अब इस सरकार के दिन पूरे हो गये हैं। यह चलने वाली नहीं है....

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर शोर के मध्य कुछ बोलते रहे। सदन में नारे भी लगाये गये।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष---

यह बहस का हिस्सा नहीं होगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(विरोधी दल की बेंचेज से बहुत सी आवाजें.... होंगी, होंगी)

मैं इन सब बातों की इजाजत बिलकुल नहीं दे रहा हूं।

(घोर व्यवधान..... "दिल्ली की हथिनी की सरकार नहीं चलेगी"।

"गुन्डागरदी की सरकार नहीं चलेगी", "तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी" आदि-आदि नारे बराबर लगाये जाते रहे।)

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

(व्यवधान के बीच) आपने माधव प्रसाद जी को बोलने की इजाजत नहीं दी।

श्री अध्यक्ष---

मैं किसी नेता को बार-बार बोलने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी को बिलकुल इजाजत नहीं दे सकता।

(घोर व्यवधान)

कई सदस्य सदन के बीच खाली स्थान पर चले आये और प्रतिवेदक की कापी उठाकर फेंक दी और पेन भी फेंक दिया।

(घोर व्यवधान के बीच)

उत्तर प्रदेश वन निगम अध्यादेश, 1974†

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश वन निगम अध्यादेश, 1974 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1974†

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मैं उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1974 को सदन के पटल पर रखता हूं।

[+++] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1974†

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

मैं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1974 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां तथा विमुक्त जातियों ऋण अनुतोष अध्यादेश, 1974†

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां तथा विमुक्त जातियां ऋण अनुतोष अध्यादेश, 1974 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974†

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मैं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर तथा भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974†

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

मैं उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर तथा भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1974†

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1974 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अध्यादेश, 1974†

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

मैं उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अध्यादेश, 1974 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

(शोरगुल—व्यवधान)

(कुछ सदस्यों ने मन्त्रियों के पत्रादि भी उठाकर फेंक दिये। इस पर सरकारी पक्ष के कुछ सदस्य भी बीच के खाली स्थान पर आ गये तथा उनके और विरोध पक्ष के सदस्यों में हाथापाई होने लगी। दो एक माइक तोड़ दिये गये।)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं समझता हूं कि हिन्सा की और अराजकता की ऐसी स्थिति है। इसलिए मैं इस सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूं।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 8 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
17 दिसम्बर, 1974।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर]

संलग्नक

कानपुर नगर के वायुदूषण का अध्ययन करने कोई टीम बाहर से नहीं आई थी। परन्तु सिविल लाइन, कानपुर स्थित केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसन्धान संस्थान द्वारा वर्ष 1973 में कानपुर नगर के वायुदूषण के संबंध में कुछ प्रारम्भिक जांच की गई थी। जिसका विवरण उन्होंने अपनी पुस्तिका "ए लिमिटेड स्टेडी आफ एयर क्वालिटी एट कानपुर" में दिया है। इस अध्ययन रिपोर्ट में कानपुर नगर के 75 प्रतिशत वायु दूषित होने की कोई बात नहीं कही है। परन्तु रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि कानपुर नगर की आबादी देश के अन्य बड़े नगरों जैसे कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली के मुकाबिले में कम है तथापि कानपुर की वायु भी इन तीनों शहरों की तरह ही दूषित है जिसका मुख्य कारण यह है कि अपेक्षाकृत कम क्षेत्र में अधिक संख्या में उद्योग स्थापित हुए हैं।

दूषित वायु की रोकथाम के लिये महापालिका द्वारा 'स्मोक न्यूसेन्स बाईलाज' का पूरा उपयोग किया जाता है तथा समय-समय पर कारखानों का निरीक्षण कर इस बात का प्रयास किया जाता है कि चिमनियों का निर्माण निर्धारित ढंग एवं आकार का हो और चिमनियों के नियमानुसार ऊंची होने पर ही महापालिका द्वारा उनका प्लान स्वीकृत किया जाता है। आवासीय क्षेत्र में नये कारखाने खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मन्त्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

[देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर]

क्रम सं०	मद जिसके अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किया गया	शेष धनराशि
		रु०
1	जल सम्भरण योजना	1,67,80,158.75
2	जलोत्सारण योजना	1,11,92,250.21
3	अल्प आय वर्ग भवन निर्माण हेतु	32,312.62
4	ट्रक, ट्रैक्टर आदि का क्रय]	11,685.58
5	महापालिका भवन निर्माण हेतु	1,94,105.02
6	बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण	20,05,288.80
7	मध्य आय वर्ग योजना के अन्तर्गत ऋण ..	35,86,073.00
8	भूमि अर्जन तथा विकास कार्य हेतु	48,96,187.00
9	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये ऋण ..	8,64,138.00
10	मलिन बस्ती सुधार योजना हेतु	4,07,893.00
11	अल्प आय वर्ग योजना के अन्तर्गत ऋण.. ..	39,07,132.00
12	विस्थापित व्यक्तियों हेतु ऋण	2,03,580.00
13	बरसाती पानी की निकासी	2,90,511.00
14	नगर विकास योजना के अन्तर्गत ऋण ..	2,90,511.00
	योग ..	4,46,61,825.98

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर]

बरेली जिले के स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय अन्य स्वास्थ्य विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची

क्रम-संख्या	स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के पदनाम	3 वर्ष से कार्यरत सरकारी कर्मचारी	4 वर्ष से कार्यरत सरकारी कर्मचारी	5 वर्ष से कार्यरत सरकारी कर्मचारी	5 वर्ष से अधिक से कार्यरत सरकारी कर्मचारी
1	2	3	4	5	6
(क)	स्वास्थ्य विभाग—				
1	नर्सिंग असिस्टेन्ट ..	..	..	..	1
2	मुख्य लिपिक ..	..	1	..	..
3	औषध लिपिक ..	..	1	..	..
4	संकलक ..	..	1	..	..
5	ए0 एन0 एम0 ओ0 ..	..	..	1	..
6	ड्राइवर ..	..	..	..	2
7	सेनेटरी सुपरवाइजर ..	..	..	..	1
8	नर्सिंग असिस्टेन्ट ..	..	1	..	..
9	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ..	..	..	..	2
10	स्वास्थ्य निरीक्षक (प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर)	3	1	8	14
	(जनपद में) ..	2	11	3	5
11	प्रयोगशाला प्राविधिक (प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर)	..	2	1	1
	(जनपद में) ..	1	3	3	4
12	बेसिक हेल्थ वर्कर (प्रा0 स्वा0 कार्यकर्ता) (प्राथमिक स्वा0 केन्द्रों पर) ..	12	12	4	93
(ख)	मातृ-शिशु कल्याण स्टाफ (परिवार नियोजन)—				
13	स्वास्थ्य निरीक्षक ..	..	..	2	6	..
14	ए0 एन0 एम0 ..	..	1	1	8	2
15	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ..	..	5	..	30	20

1	2	3	4	5	6
(ग)	परिवार नियोजन--				
16	कनिष्ठ लिपिक	..	1	..	..
17	चलचित्र चालक	..	..	..	1
18	जिला प्रसार शिक्षक	1	..	..	..
19	ज्येष्ठ लिपिक	3	..	5	1
20	खण्ड प्रसार शिक्षक	3	4	4	3
21	ए0 एस0 डब्लू0	..	1	..	..
22	स्वास्थ्य सहायक		15	14	13
23	परिवार कल्याण कार्यकर्ता ..	3	4	1	17
24	वाहन चालक	..	..	..	44
25	चतुर्थ श्रेणी	..	1	..	..
	योग ..	41	59	87	184

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

[देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर]

ग्राम सभा, बगैरन के भूतपूर्व प्रधान, श्री नाथूराम शर्मा के विरुद्ध की गई शिकायतों की सूची

(1) ग्राम सभा तथा ग्राम समाज के बकाया धनराशि की वसूलयाबी न होना।

(2) पैसा लेकर बाजार तंग कर देना जिससे ग्राम सभा को क्षति हुई।

(3) धन का गबन।

(4) आबादी की जमीन हरिजनों एवं निर्धनों को न देकर अन्य लोगों को, जिनको आवश्यकता नहीं थी, दिया जाना।

(5) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से मिलकर धांधलेबाजी करना।

(6) ग्राम समाज के तालाब को नायब तहसीलदार से मिलकर कम कीमत पर नीलाम करना।

(7) तालाब में अनधिकृत रूप से सिंघाड़े डलवाना।

(8) प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनवाने में लापरवाही करना।

(9) स्वीकृत हैन्ड पम्प न लगवाना।

(10) बाजार के ठेके का धन बिना रसीद के वसूल करना।

ग्राम सभा, गोठा के भूतपूर्व प्रधान, श्री श्यामलाल के विरुद्ध की गई शिकायतों की सूची

(1) हरिजन कालोनी के निर्माण के लिये स्वीकृत 6,000 रु0 के अनुदान में से ईंटों की ढुलाई के लिये 300 रु0 ट्रक मालिक को दिये तथा ईंटों की खरीद के लिये 3,000 रु0 भट्ठे पर जमा किये परन्तु ईंटों का उपयोग हरिजन कालोनी के निर्माण में न कर श्री श्याम लाल निजी प्रयोग में लाये।

(2) गांधी चबूतरे का निर्माण नहीं किया गया तथा इस हेतु फर्जी खर्च दिखाया गया

(3) 16 हल खरीदने पर 240 रु0 का फर्जी खर्चा किया गया।

(4) 35 रु0 के दो बक्सों की फर्जी खरीद की गई।

(5) बुध वाले बाजार में लगाया गया नल लापता है।

(6) मानवाई से गोठा तक सड़क का निर्माण गलत दिखाया गया है और फर्जी वाउचर प्रस्तुत करके धन का अपहरण किया गया।

नत्थी 'ङ'

[देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर]

विधान सभा के तृतीय सत्र 1974 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री बाबा रामनाथ के तारांकित प्रश्न सं० 10 के उत्तर का संलग्नक

प्राविन्शियल कोआपरेटिव यूनियन जिसके प्रशासनिक नियन्त्रण में श्री श्रीराम वर्मा, सहकारी पर्यवेक्षक 1-4-61 से 31-10-67 तक रहे, ने बताया है कि श्री वर्मा को निम्न भुगतान देना शेष है:--

1--यात्रा भत्ता का अवशेष रु० 2 प्रति माह की दर से जुलाई व अगस्त, 1961 का ।

2--1-9-61 से 7-9-61 तथा 23-10-61 से 12-11-61 तक कार्यकाल वेतन ।

3--8-9-61 से 22-10-61 तक अवकाश काल वेतन ।

सहकारी बैंक लि०, एटा के जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में श्री वर्मा 1-11-67 से 18-1-1973 तक रहे, ने बताया है कि वर्मा को नवीन वेतनमान का अन्तर एवं अवकाश वेतन देय है ।

ये दोनों संस्थायें स्वायत्त शासित संस्थायें हैं और इनके कर्मचारियों पर शासन का नियंत्रण नहीं है ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ब'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ. . . . 33. . . . पर)

हरिजन कल्याण विभाग के अपूर्ण कूपों का विवरण

क्रमांक	नाम ग्राम	नाम अनुदान ग्रहीता	अनुदान की स्वीकृत धनराशि	प्रथम भुगतान की धनराशि दिनांक	द्वितीय भुगतान की धनराशि दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
			रु0	रु0	रु0	
1	उफरौली ..	.. श्री रूपा ..	1000.00	500.00 21-2-73	300.00 19-6-73	जांच हरिजन कल्याण अधिकारी द्वारा कराई गई। कार्य अपूर्ण है, 200 रु0 प्रत्येक अनुदान ग्रहीता के नाम कार्य पूर्ण करने के लिये हरिजन कल्याण अधिकारी के नाम प्लेज कर पास बुक में जमा है जो दिसम्बर, 1974 तक पूर्ण हो जायेंगे।
2	महुई ..	.. श्री अमेरिका ..	1000.00	500.00 21-2-73	300.00 28-3-73	
3	भगतपुरा ..	.. श्री भग्गू ..	1000.00	500.00 30-11-72	300.00 23-3-73	
4	ककरही दुलार ..	.. श्री राम जियावन ..	1000.00	500.00 30-11-72	300.00 27-3-73	
5	एवती पहलवानपुर	.. श्री सुक्खू राम ..	1000.00	500.00 12-12-72	300.00 31-3-73	..
6	भगतपुर ..	.. श्री खरगू राम ..	1000.00	500.00 12-12-72	300.00 27-3-73	..
7	सिकन्दरपुर	.. श्री खरपत्तू ..	1000.00	500.00 30-1-73	300.00 27-3-73	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
8	जमसर ..	श्री रामदुलारे ..	1000.00	500.00 12-2-73	300.00 10-7-73	..
9	मेघईखास ..	.. श्री बजरंगी ..	1000.00	500.00 12-12-72	300.00 27-3-73	जांच हरिजन कल्याण अधिकारी द्वारा कराई गई। कार्य अपूर्ण है 200 रु0 प्रत्येक अनुदान ग्रहीता के नाम कार्य पूर्ण करने के लिए हरिजन कल्याण अधिकारी के नाम प्लेज कर पास बुक में जमा है जो दिसम्बर, 1974 तक पूर्ण हो जायेंगे।
10	देऊपुर ..	श्री बासदेव ..	1000.00	500.00 8-12-72	300.00 27-3-73	
11	फतेहपुर मण्डाव ..	श्री नौरंग ..	1000.00	500.00 28-2-73	300.00 19-6-73	11-9-74 को पूर्ण शेष 200 रु0 दिया गया। जांच हरिजन कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा कराई गई। कार्य पूर्ण है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1974 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित सर्वश्री शारदा प्रसाद रावत, हर प्रताप सिंह एवं राम निहोर, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर का संलग्नक ।

संलग्नक

सहायक कृषि निरीक्षक, जसराना को बीज भंडार, जसराना पर कतिपय अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिला कृषि अधिकारी द्वारा दिनांक 6-8-1963 से निलम्बित किया गया था । इनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही के अतिरिक्त सवाई बीज को कृषकों से वसूली करके सवाई रजिस्टर में कम मात्रा अंकित करने सम्बन्धी अपराध के लिये न्यायालय में वाद दायर किया गया जिसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सेशन सुपुर्द कर दिया । अपराधिक कार्यवाही में दण्ड विधान की धारा 409 से सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 5-6-71 द्वारा उक्त सहायक कृषि निरीक्षक को बरी कर दिया । यह सही है कि जिला कृषि अधिकारी द्वारा प्रश्नगत संस्तुति की गई थी परन्तु इसे औचित्य पूर्ण न होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया था । सहायक कृषि निरीक्षक जसराना के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में दस आरोप लगाये गये थे । न्यायालय द्वारा उन्हें केवल एक ही आरोप में बरी किया गया है । अन्य के विषय में विभागीय कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी है क्योंकि जसराना बीज भण्डार से सम्बन्धित श्री राधा कृष्ण कामदार के मामले में उक्त बीज भंडार के सभी अभिलेख न्यायालय में जमा है । अब तक के प्रयासों के बावजूद उक्त अभिलेख वापस प्राप्त न होने के कारण अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है ।

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

आबकारी विभाग में पदों में सेवारत कर्मचारियों की संख्या

क्रम-सं0	पद का नाम	पदों पर सेवारत कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति के सेवारत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
	आबकारी आयुक्त के मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय		
	1-12-74 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार		
1	उप आबकारी आयुक्त	4	..
2	सहायक आबकारी आयुक्त	24	2
3	आबकारी अधीक्षक	36	3
	9-8-1974 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार		
4	आबकारी निरीक्षक	339	34
5	प्राविधिक अधिकारी	1	..
6	लेखाधिकारी	1	..
7	सहायक लेखाधिकारी	1	..
8	उप आबकारी निरीक्षक	43	6
9	ताड़ी पर्यवेक्षक	24	2
10	मुख्य कार्यालय में सेवारत अधीक्षक, लेखाकार, सहायक अधीक्षक तथा सहायक आदि	73	5
11	आशु लिपिक	11	2
12	अधीनस्थ कार्यालय में सेवारत मुख्य लिपिक तथा लिपिक	136	12
13	आबकारी सिपाही	1359	179
	मद्य-निषेध अधिष्ठान		
14	राज्य मद्य निषेध अधिकारी	1	..
15	मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी ..	6	1
16	मुख्य मद्य निषेध व्यवस्थापक	2	1
17	मद्य निषेध एवं समाजोत्थान व्यवस्थापक ..	22	4
18	आलेखक एवं प्रालेखक	2	..
19	रिकार्ड कीपर	1	..
20	आशुलिपिक	1	..
21	प्राविधिक पर्यवेक्षक	3	..
22	ड्राइवर	5	1
23	लिपिक/टंकक	7	2
24	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	23	4

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में नगर क्षेत्र समिति, पूरनपुर (जिला पीलीभीत) के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, पीलीभीत को दिये गये शिकायत-पत्रों तथा उनमें उल्लिखित शिकायतों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण

शिकायतकर्ता का नाम	शिकायती पत्रों का दिनांक	शिकायतों और की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3
1—श्री राजेन्द्र कुमार आर्य, सदस्य, नगर क्षेत्र समिति, पूरनपुर	25-9-72, 2-10-72, 3-10-72, 13-10-72, 24-10-72, व 10-3-73	यह छः पत्र नीचे लिखी शिकायतों के सम्बन्ध में थे जिन पर की गई कार्यवाही प्रत्येक शिकायत के नीचे अंकित है :— (1) श्री बल्देव प्रसाद हलवाई द्वारा किए गए अनधिकृत अतिक्रमण के सम्बन्ध में :— यह अनधिकृत अतिक्रमण जिला परिषद् रोड पर किया गया है जिसके सम्बन्ध में जिला परिषद् के अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने हेतु लिखा जा चुका है। इसका सम्बन्ध नगर क्षेत्र समिति, पूरनपुर से नहीं है। (2) बाजार रोड के ठेके के सम्बन्ध में :— बाजार रोड बनवाने हेतु यह ठेका 25-2-71 को जिसका अनुमानित व्यय 59,450.00 रु0 है श्री राधा रमन ठेकेदार को सबसे कम निविदा के आधार पर दिया गया तथा 30-6-72 तक कार्य सम्पन्न न हो सका था। समय के अन्दर कार्य सम्पन्न न हो सकने के कारण अवधि 30-9-1972 तक बढ़ाई गई। पुनः 31-12-72 तक समय में वृद्धि की गई। परन्तु ठेकेदार इस अवधि में भी कार्य सम्पन्न न कर सका। अतः पुनः मार्च, 1974 तक की समय वृद्धि दिनांक 10-8-73 को इस प्रतिबन्ध के साथ बढ़ायी गई कि ठेकेदार 2,000 रु0 की नकद जमानत जमा करेंगे। ठेकेदार उपर्युक्त अवधि में भी कार्य सम्पन्न न कर सका। उसका कहना है कि रोड रोलर न मिलने के कारण वह कार्य सम्पन्न नहीं कर सका है। अब तक कुल 21,466.48 रु० का कार्य हुआ है जिसके विपरीत उक्त कथित ठेकेदार को 18,543.20 रु0 की धनराशि का भुगतान किया गया है तथा उसका ठेका रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है। (3) समिति के निर्माणाध्यक्ष आदि की नियुक्ति के सम्बन्ध में अनियमितता :—

उत्तर प्रदेश सभा

शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत पत्रों का दिनांक	शिकायतों और की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3
		निर्माणाध्यक्षों का चयन चेयरमैन ने स्वेच्छा से कर दिया था जो नियमानुसार न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है ।
		(4) बिजली के सामानों के कोटेशन चेयरमैन ने अपने पुत्र श्री चांद मियां से क्रय किया जो बाजार भाव से अधिक था ।
		इस सम्बन्ध में तहसीलदार, पूरनपुर के माध्यम से जांच कराई गई जिससे विदित होता है कि कोटेशन प्राप्त नहीं किये गये थे । प्रस्ताव संख्या 13/81, दिनांक 21-10-72 में बिजली के बिल के भुगतान की स्वीकृति समिति ने प्रस्ताव संख्या 18/96, दिनांक 4-1-73 से की है । कोटेशन प्राप्त न करने का कारण यह बताया गया कि भुगतान में विलम्ब होता । इस सम्बन्ध में चेयरमैन का स्पष्टीकरण अधियाचित है ।
		(5) श्री राम शरण द्वारा अनधिकृत आधिपत्य करने की शिकायत की गई थी ।
		इस सम्बन्ध में तहसीलदार, पूरनपुर ने सूचित किया कि अतिक्रमण 15-5-73 को हटा दिया गया है तथा तद्हेतु उसने 20 रु0 जुर्माना भी जमा कर दिया है ।
		(6) श्री साबिर खां, टोल मोहर्रिर, राजनैतिक कार्यों में भाग लेने के दोषी हैं एवं ग्राम सभा के सदस्य का तदुपरान्त उपप्रधान होना बताया गया है और सफाई कर्मचारी श्री सन्नू की नियुक्ति सेवा-योजन कार्यालय के माध्यम से नहीं करना व्यक्त किया गया है ।
		इन आरोपों के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है ।
2—श्री हरनारायण भू0पू0 विधायक ।	18-5-72	(1) चेयरमैन उपाध्यक्ष के पद का निर्वाचन नहीं कर रहे हैं :
		उपाध्यक्ष का निर्वाचन 7-7-72 की बैठक में सम्पादित किया गया था ।
		वर्ष 1973-74
1—श्री राजेन्द्र कुमार आर्य	24-9-73	(1) बूचड़खाना अनियमित रूप से बना है तथा मांस विक्रय किया जाता है :

शिकायत कर्ता का नाम	शिकायत पत्रों का दिनांक	शिकायतों और की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3
		इस सम्बन्ध में परगना मजिस्ट्रेट, पूरनपुर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला पशुपालन अधिकारी को विस्तृत आख्या देने के लिए लिखा गया है।
2—श्री राजेन्द्र कुमार आर्य।	17-10-73	(2) चेयरमैन नगर क्षेत्र समिति की कार्यवाही पुस्तिका, टोल टैक्स के चालान वाली पुस्तिका एवं टाउन एरिया मैनुअल का अवलोकन नहीं कराते हैं।
		इस सम्बन्ध में चेयरमैन को निर्देश दिये जा चुके हैं कि वे अपनी उपस्थिति में प्रपत्र एवं पुस्तिका दिखाने की सुव्यवस्था करें। तदुपरान्त ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
3—श्री राजेन्द्र कुमार आर्य।	12-11-73	(3) श्री पोथीराम टोल मोहर्रिर को 26-5-72 से 30-9-72 तक का वेतन नहीं दिया जा रहा है:
		वेतन देने के सम्बन्ध में चेयरमैन को निर्देश दिये जा चुके हैं तथा उनको अवकाश काल का वेतन देने के सम्बन्ध में सूचना दी जा चुकी है।
4—श्री राजेन्द्र कुमार आर्य।	24-11-73	(4) तहबाजारी का ठेका स्वेच्छा से 25-12-72 को दिया गया तथा वसूल की गयी धनराशि को कोष में जमा नहीं किया गया:
		इस सम्बन्ध में तहसील से जांच कराई गई कि ठेका अनियमित रूप से दिया गया और अनियमित रूप से ही वसूली की गयी जो नगर कोष में भी जमा नहीं की गयी। चेयरमैन का इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। तदुपरान्त उचित कार्यवाही की जावेगी।
5—श्री राजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री छोटे सिंह निवासी मोहल्ला कायस्थान।	12-1-74	(5) सार्वजनिक भूमि जो नगर क्षेत्र की सम्पत्ति है उसका उपयोग श्री सुशील कुमार गुप्ता, पुत्र श्री जुगुल बिहारी लाल गुप्ता अपना मकान बनाने के साथ कर रहे हैं।
		इस सम्बन्ध में तहसीलदार पूरनपुर द्वारा जांच कराई गई और यह ज्ञात हुआ है कि चेयरमैन ने लिखित दिया है कि नगर क्षेत्र की ओर से जांच कराई गई थी कोई अवैधानिक निर्माण नहीं पाया गया।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 180 वि० सभा—(2463)—1975—835 (प्रो०)